राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का आठवां दिवस [संख्या ७

बुधवार, १ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह पूर्व ११-०८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : वे सदस्य, जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो अब ऐसा करेंगे ।

श्री सचिव, विधान सभा (श्री मनसाराम पुरोहित) : श्री लालसिंह शक्तावत ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

चौमूं से रिंगस तक बिजली की लाइन

२४ : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) क्या विद्युत् मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर से चौमूं होती हुई बिजली की एक लाइन रिंगस ले जाई जा रही है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त लाइन के लिए चौमू के आगे तक बिजली के खम्भे गाड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन खम्भों को गाड़े हुए कितना अर्सा हुआ तथा इन पर अब तक तार नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) जयपुर से लेकर बारहवें मील तक खम्भे गाड़े गये थे । १२ मील के आगे जो खम्भे लगाये गये हैं वे सर्वे के लिये पॉइलट खम्भे हैं ।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता ।

श्री रामकिशोर व्यास : और जोर से सुन लीजिये ।

(हंसी)

(ख) यह काम अब उन्नति पर है । ये खम्भे करीब ६ महीने पहिले गाड़े गये थे ।

(ग) व (घ) बिजली के तार बिजली के मिलने के एक माह पहिले खींचे जाते हैं क्योंकि तार के चोरी होने का डर रहता है ।

श्री हरिशंकर : अब यह काम पूरा होने में कितने महीने बाकी रह गये हैं ।

Page No.2

श्री रामकिशोर व्यास : निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या ये खम्भे प्री प्लान्ड स्कीम के अन्तर्गत लगाये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह रयुरल इलेक्ट्रिक स्कीम के तहत में लगाये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय ये खम्भे लगाये गये उस समय क्या यह समस्या सामने नहीं थी कि तार मिलने वाले नहीं हैं इसलिये पहले उसका प्रबन्ध करके बाद में ये लगाये जावें ?

श्री रामकिशोर व्यास : तार की समस्या ऐसी नहीं है। तार की बिना पर काम नहीं रुका हुआ है, जितना बिजली के प्लान्ट का है। प्लान्ट का ऑर्डर फोरिन में प्लेस कर रक्खा है। उस प्लान्ट के आने के एक महीने पहले तार खींच दिये जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय ये खम्भे लगाये गये थे उस समय क्या यह उम्मीद थी कि यह प्लान्ट आ जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी, प्लान्ट के आने की जल्दी आशा थी, पर उसमें देर हो गई।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर यह प्लान्ट मंगाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है या किसी दूसरे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दे रक्खी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्लान्ट का ऑर्डर फोरिन कन्ट्री में प्लेस कर रक्खा है। उसे प्लेस किये कई वर्ष हो गए, अभी आ नहीं पाया है। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, आने पर लगा दिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र : आपका क्या प्रोग्राम है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिंगस तक का प्रोग्राम है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इतने जल्दी खम्भे गाड़ने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिजली का प्लान्ट आने पर यदि खम्भे लगाते तो ज्यादा समय लगता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या प्लान्ट आने से पहले ही तार खींच दिये जावेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : प्लान्ट आने वाला है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती सतवन्तकौर।

सरपंच राजपुरा पंचायत के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव

२५. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करणपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सरपंच, राजपुरा पंचायत, तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर के विरुद्ध कौन सी

(श्रीमती सतवन्तकौर)

तारीख को अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था तथा उक्त सरपंच को उस पद पर अब तक बनाए रखने का क्या कारण है एवं इसे इस पद से कब तक अलग कर दिया जावेगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : सरपंच, राजपुरा पंचायत, तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर के विरुद्ध दिनांक ६.१०.५६ को अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था और इस अविश्वास के प्रस्ताव के विरुद्ध अपील होने पर....

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही, है साहब ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह आम शिकायत बनी हुई है कि सदन की मेजों पर जो माइक लगे हुए हैं उनमें जो बात कही जाती है वह बिलकुल सुनने में नहीं आती । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए उचित प्रबन्ध किया जाय जिससे सदस्यों को सुनने में सहूलियत हो । मैं समझता हूँ कि माइक्स डिफेक्टिव हैं ।

श्री अध्यक्ष : माइक का ठीक तरह से यूज़ होने पर आवाज सुनाई देती है ।

श्री भैरोंसिंह : मिनिस्टरों से उम्मीद की जाती है कि ये ठीक तरह से उपयोग करते हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता है ।

एक माननीय सदस्य : आप ठीक तरह से सुनें तो ऐसा नहीं होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरपंच, राजपुरा पंचायत, तहसील पदमपुरा, जिला गंगानगर के विरुद्ध दिनांक ६.१०.५६ को अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था और इस अविश्वास के प्रस्ताव के विरुद्ध अपील होने पर वे अपने पद पर बने रहे क्योंकि अब अपील खारिज की जा चुकी है । श्री सरपंच राजपुरा पंचायत अपने पद से जल्दी ही हटाये जायेंगे ।

श्री धर्मपाल (नोहर) : दूसरा चुनाव कब तक हो जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज्ञा दे दी गई है, नये चुनाव जल्दी ही हो जावेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर ओटोमेटिकली वह हट जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नियम है कि सरपंच को उस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए जब कि उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है । अगर नहीं देता है तो चीफ पंचायत ऑफिसर लिखता है कि हटा दिया जाय । लेकिन उसने पिटीशन दायर कर दिया था ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है । सरपच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर कानून के अनुसार क्या वह ओटोमेटिकली अलग हो जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कानून में लिखा हुआ है कि ओटोमेटिकली नहीं हटेगा।

श्रीमती सतवन्तकौर : इसका फैसला कब तक हो जावेगा ?

Page No.4

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फैसला हो चुका, इत्तला दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

वन-विकास हेतु गत वर्ष निर्धारित धन-राशि

१६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) सन् १९५६-५७ के बजट में जंगलात के डेवलपमेन्ट के लिये कितनी रकम निर्धारित थी ?

(ख) उपरोक्त रकम में से कितनी २ रकम एस्टेब्लिशमेन्ट, सामान खरीद व जंगलात की वास्तविक तरक्की में खर्च की गई ?

(ग) जंगलात के विकास हेतु क्या क्या कदम लिये गये और प्रत्येक हैड में कितना कितना खर्चा हुआ ? कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : १९५६-५७ के बजट में १९.५२२ लाख रुपये स्वीकृत थे। रिवाइज्ड एस्टीमेन्ट में १७.५४८ लाख रुपये रखे गये।

(ख) अब तक की सूचना के अनुसार मार्च १९५७ तक :

एस्टीब्लिशमेन्ट में रु० ३.३०८ लाख।
सामान खरीद में रु० ०.४४० लाख।
जंगलात की तरक्की के कामों में
रु० ११.३१५ लाख।

(मार्च सप्लीमेन्टरी का हिसाब इन अंकों में अभी सम्मिलित नहीं है)

(ग) जंगलात के विकास के हेतु जो कार्य हुए और प्रत्येक हैड में जो रुपया खर्च हुआ उनकी एक तालिका सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जो एस्टेब्लिशमेन्ट में और सामान खरीदने में रुपया खर्च किया गया वह कौन से हैड के मातहत आता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका तो हैड बिलकुल अलग है। इम्प्लीमेन्ट्स का माइनर हैड अलग है।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह जंगलात के विकास के हैड में नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विकास के कार्य के लिए अलग पूछा है। उसका जवाब दिया है वह 'ग' में दिया गया है। सामान खरीदने के लिए अलग हैड में बताया गया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न बिलकुल साफ है अध्यक्ष महोदय, कि जंगलात के विकास हेतु क्या क्या कदम लिये गये और प्रत्येक हैड में कितना कितना खर्चा हुआ ? तो क्या अस्टेब्लिशमेन्ट में, टूल्स और प्लान्ट्स में जो खर्चा हुआ वह जंगलात के विकास में नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं। ११ लाख के आइटम्स दिये हैं। कौन २ से हैड में ११ लाख खर्च हुए उसकी अलग लिस्ट दी हुई है, अलग २ खर्चा हुआ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न बिलकुल साफ है, अध्यक्ष महोदय। जो सामान खरीदा

Page No.5

(श्री भैरोंसिंह)

गया है, जितना एस्टेब्लिशमेन्ट में खर्चा हुआ है, जंगलात के जितने हैड्स हैं उसमें शामिल नहीं होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यों तो ये सारा विकास के लिये ही है। टूल्स और इम्पली-मेंटस भी विकास के लिये ही है। आपने स्कीम अलग अलग पूछी थी इसलिए 'ग' भाग में इसको बताया गया। यों देखा जाय तो सारा महकमा ही विकास का है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मान कर चलें कि इम्प्लीमेन्ट्स, टूल्स खरीदे हुए हैं वे भी विकास की हैड में हुए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिलकुल। यह तो समझने की बात है, फिर विकास कार्य चलता कैसे है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह निश्चित किया था कि इतनी धन-राशि तो विकास के कार्य के लिए होगी और इतनी धन-राशि अन्य कामों में खर्च की जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा आम बजट बनाते वक्त ध्यान रखा जाता है। आम तौर पर यह महकमा विकास की ओर जा रहा है और एस्टेब्लिशमेन्ट के ट्रेंड आदमी मिल रहे हैं। जो पर्सेन्टेज होता है उसमें एक्स्टेन्शन नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो सामान खरीदा है तो क्या वह पर्सेन्टेज से ज्यादा खरीदा गया है, बजट बनाया गया है उसी के अनुसार ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं !

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि बजट बनाते वक्त इस बात का उल्लेख हुआ है कि इतनी तिजोरियाँ खरीद कर ली जांय और क्या उसको एस्टेब्लिशमेन्ट के हैड में लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चल रहे हैं। उस योजना से पर्टिकुलर हैड में खर्च करने की आवश्यकता नहीं, उसमें एप्रोप्रियेशन करके दूसरे हैड में अगर रकम की आवश्यकता रहती है तो उसको पूरी कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें तिजोरियां, फर्नीचर और अलमारियां खरीदी गई हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भी पार्ट है। रिकार्ड रखने की आवश्यकता होती है।

श्री भैरोंसिंह : तिजोरियों की आवश्यकता क्यों हो गई ? ३२ तिजोरियाँ खरीदी गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको मालूम होना चाहिए कि फॉरेस्ट का महकमा कम से कम सालाना ३५ लाख रुपया देता है। रुपया नकद में भी जमा करते हैं। सेफ की आवश्यकता न हो तो रुपया अगर चोरी हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि खरीद के लिए बजट में कोई रकम निर्धारित नहीं हुई थी और यह बाद में योजना बनी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कई दफा मिस्लेनियस हैड में आ जाता है। वह न आपके सामने है और न मेरे सामने है। इसलिए ज्यादा डिटेल में न जायं तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चाकसू–कोटखावड़ा व बसी से तुन्गा तक की सड़क

२७. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जयपुर जिले में तहसील चाकसू के अन्तर्गत चाकसू से कोटखावडा तक बनने वाली सड़क और तहसील बसी के अन्तर्गत बसी से तुन्गा तक बनने वाली रोड़ की क्या प्रोग्रेस है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) चाकसू से कोटखावड़ा की सड़क का ३ मील का सोलिंग और ७ मील का मिट्टी का काम किया गया है। आगे कार्य चालू है।

(ख) बसी से तुन्गा तक जाने वाली सड़क पर पांच मील लम्बाई में सड़क का काम समाप्त हो चुका है और शेष ६ मील में लगभग ढाई मील सोलिंग और पोने तीन मील मिट्टी का काम तैयार है और आगे काम चालू है।

श्री हरिशंकर सिद्धांतन्शास्त्री : यह सड़क तुन्गा से कोटखावडा तक कब तक मिला दी जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सेकन्ड फाइव इयर प्लान का दूसरा इयर है। इसमें पूरा करने की योजना है।

'ओ माइनर' से करनपुर तक की सड़क पर डलवाई गई मिट्टी पर व्यय

२८. श्रीमती सतवंतकोर (करणपुर) : क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) विकास खंड अधिकारी, करनपुर द्वारा जो श्रमदान दिवस पर 'ओ माइनर' से करनपुरमंडी तक सड़क पर मिट्टी डलवाई गई है उस पर कितना खर्च हुआ ?

(ख) यदि वह मिट्टी स्वयं मजदूरों द्वारा डलवाई जाती तो क्या खर्चा होता ?

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करगी ?

विकास मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) और (ख) यह सड़क ए. सी. सी. केम्पर्स द्वारा बनाई गई है जिसमें ३०० केम्पर्स ने २१ दिन तक श्रमदान कार्य किया है। करीब डेढ़ मील लम्बी सड़क के दोनों ओर डेढ़ फुट गहरी और २ फुट चौडी खाइयां खोदी गई है। पांच लाख घन फुट काम हुआ है जो पी.डब्ल्यू.डी. की रेट से १२,००० रु० का होता है।

विकास खंड के बजट से केवल रु. १०० पुरष्कार–वितरण के लिए खर्च किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गत वर्ष नींबी जागीर के जंगल का ठेका

२९. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) नींबी जागीर (जयपुर) के जंगल का ठेका सन् १९५६-५७ में कब, किसको और कितने रुपयों में दिया गया ?

Page No.7

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) सी. सी. एफ. की तरफ से इस ठेके की मन्जूरी के कागजात सरकार के पास कब भेजे गये और उनकी मंजूरी कब हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि कागजात पहुँचने से पहले ही ठेका मंजूर कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : नींबी जंगल का ठेका जागीरदार दूनी ने सर्व श्री ईदूखां व कमरुद्दीन को १२-१२-५५ को ७०० रु. में दिया था।

(ख) दिनांक २३. १०. ५६ को सी. सी. एफ. ने कागजात सरकार के पास भेजे और दिनांक ३१-१०-५६ को उनकी मंजूरी हुई।

(ग) जी नहीं।

श्री भैरूसिंह : क्या यह ठेका जागीरदार द्वारा दिया गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां

श्री भैरोंसिंह : जब यह जागीर सरकार के अधिकार में आ गई तो जागीरदार ने ठेका कैसे दे दिया !

श्री नाथूराम मिर्धा : वह ठेका पहले दिया जा चुका था और जागीर बाद में रिज्यूम हुई !

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ठेका बाद में दिया गया और जागीर पहले रिज्यूमहुई !

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बात कत्तई सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जब यह ठेका जागीर रिज़म्पशन से पहले दिया गया तो सरकार की इजाजत लेने की क्या जरुरत पड़ी !

श्री नाथूराम मिर्धा : कटाई का काम फोरेस्ट विभाग की निगरानी से होता है, इसलिये ठेका देने की मंजूरी जागीरदार को सरकार से लेनी पड़ती है। ठेका चालू नहीं हुआ उससे पहले जागीर रिज़्यूम कर ली गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें सरकार का कुछ इन्ट्रेस्ट है !

श्री नाथूराम मिर्धा : जागीर रिज्यूम होने से पहले सरकार को कोई अधिकार नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : जागीर रिज़म्पशन होने से पहले सरकार का कोई इन्ट्रेस्ट नहीं था, यह मान कर चलें?

श्री नाथूराम मिर्धा : हाँ, ऐसा मानकर चल सकते हैं।

चक ३६ आर. बी. का डी. बी. प्राथमिक विद्यालय

३०. श्रीमती सतवंतकौर (करणपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चक ३६ आर. बी. का डी. बी. प्राइमरी स्कूल इस वर्ष कितने समय के लिए बन्द रहा तथा उससे विद्यार्थियों को जो हानि हुई हैं उसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

(ख) क्या सरकार सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): चक ३६ आर. बी. का डी. बी. प्राइमरी स्कूल सम्भवत: तारीख ६. ११. ५६. से आम चुनावों तक बन्द रहा। जिला बोर्ड से इस सम्बन्ध में जांच करने को कहा गया है।

(ख) जब तक सरकार के पास जांच की रिपोर्ट नहीं आ जावे कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती।

श्रीमती सतवन्तकौर : इसका जवाब समझ में नहीं आया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझा नहीं।

श्रीमती सतवन्तकौर : इसका जवाब क्या दिया, मैं समझ नहीं पाई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा जांच कराई जा रही है, जिसका कुसूर होगा उसको सजा मिलेगी।

श्री धर्मपाल : कब तक जांच पूरी हो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत जल्द हो जायगी।

श्री धर्मपाल : 'शीघ्र' की तारीख निश्चित है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी ही हो जायगी।

श्रीमती चन्द्रकला : कितना अर्सा हुआ है जांच करते हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मालूम होने पर अभी जांच करने के लिए लिखा गया है।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने ऐसा सुना है कि जब सरकार को कोई काम नहीं करना होता है तो "कभी नहीं और अभी नहीं" की जो एक फाइल खुली है वहां भेज दिया जाता है, क्या यह सत्य है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

फोरेस्ट सैटलमेंट के कुछ क्लर्कों का सी. सी. एफ. कार्यालय में काम करना

३१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि फोरेस्ट सैटिलमेंट के चंद क्लर्क सी. सी. एफ. के कार्यालय में काम करते हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि इन क्लर्क्स को हैड आफिस अलाउन्स नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काम बहुत बढ़ जाने के कारण।

(ख) जी हां, नहीं मिलता। सी. सी. एफ. के दफतर के लिए स्वीकृति स्थाई केडर में नहीं होने के कारण।

श्री भैरोंसिंह : क्या सी. सी. एफ. के दफतर में काम करने वाले अन्य क्लर्क्स को इस प्रकार का अलाउन्स मिलता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, जो परमानेन्ट केडर में हैं उनको मिलता है।

Page No.9

श्री भैरोंसिंह : क्या फोरेस्ट सैटलमेंट के कुछ कर्मचारी सी. सी. एफ. के ओफिस में अस्थाई तौर पर काम कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उत्तर दिया था, शायद आपने सुना नहीं। प्लानिंग में ज्यादा काम होने के कारण कुछ क्लेरीकल स्टाफ सी. सी. एफ. के ओफिस में कम होने के कारण फोरेस्ट सैटलमेन्ट से अस्थाई तौर पर लगाये गये हैं। वे वहां पर परमानेन्ट केडर के लोग नहीं हैं, इसलिए उनको अलाउन्स नहीं मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वन विभाग का कायदा है कि सी. सी. एफ. के ओफिस में यानि हैड ओफिस में यदि कोई काम करे तो उनको अलाउन्स दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यदि कोई पर्मानेन्ट केडर में काम करे तो मिलता है। १० दिन के लिए किसी को बुलाना है तो नहीं मिलता है। —

श्री भैरोंसिंह : परमानेन्ट का मतलब परमानेन्ट सर्विस है या हैड ओफिस में परमानेन्ट लोग हैं उनसे है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हैड ओफिस में जो परमानेन्ट लोग हैं उनसे है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो वहां पर अस्थाई लोग हैं उनको भी यह अलाउन्स मिलता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सी. सी. एफ. के दफ्तर के लोग हैं उनको मिलता है, दूसरों को नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जो सी. सी. एफ. के दफ्तर के नहीं हैं उनको भी मिलता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यदि सरकार के ध्यान में ऐसी बात लाई जाय तो क्या सरकार ध्यान देगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका काम इनफोर्मेशन देने का है जो इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता। दूसरी जगह आकर बतायेंगे तो देख लेंगे।

त० आमेर व जयपुर की ग्राम पंचायतों में निर्वाचित एवं मनोनीत हरिजन सदस्य

३२. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील आमेर और तहसील जयपुर में कितनी ग्राम पंचायतें कौन कौन सी जगह हैं ?

(ख) उपरोक्त पंचायतों में किस किस पंचायत में हरिजन सदस्य निर्वाचित हुए ?

(ग) जिन पंचायतों में हरिजन सदस्य निर्वाचित नहीं हुए उनमें से किस किस पंचायत में सरकार की ओर से सदस्य अब तक नामजद किये गये हैं ?

(घ) शेष पंचायतों में अब तक हरिजन सदस्य नामजद नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(ङ) अब इन पंचायतों में हरिजन सदस्य कब तक नामजद कर दिये गे ?

Page No.10

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) तहसील आमेर और तहसील जयपुर में जो ग्राम पंचायतें हैं उनके नाम निम्न हैं :

तहसील आमेर : जालनू, मन्डोता, मोरिजा, अणतपुरा, खेजडोली, बालीसर, टांकरडा, किशनपुरा, निवाणा, नागल सुसावता, धोबलाई, नींदड, तिजगिया, कालाडेरा, गोविन्दगढ़, सामोद, चिताबाडी, खोराकेसल, मीसा, राधाकिशनपुरा, उदयपुरिया, जाहोता, हस्तेडा और धिनाई

तहसील जयपुर : निवारू, झोटवाड़ा, धनकिया, कलावाड़, बैंगरन, बिरसी।

(ख) झोटवाड़ा, किरसी, धनकिया व कालावाड़ में अनुसूचित जाति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। १४ पंचायतों में सदस्य नामजद कर दिये हैं बाकी में करने बाकी हैं।

(ग) अनुसूचित जाति के सदस्य मनोनीत किये जाने का पंचायत अधिनियम में प्रावधान हैं जिसमें हरिजन भी शामिल हैं।

(घ) अभी मांग नहीं प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने पर विचार किया जायगा।

(ङ) मांग आने पर विचार किया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : (ङ) भाग का उत्तर स्पष्ट नहीं आया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा प्रोविजन है कानून में कि हरिजन सदस्य यदि नहीं हैं और गवर्नमेंट उनका होना आवश्यक समझे उनका नोमिनेशन होता है। यदि पंचायतों की डिमान्ड आ जाती है तो गवर्नमेन्ट उस पर विचार करती है।

एक माननीय सदस्य : पंचायतों में हरिजन नामजद किये जाते हैं, उनमें कौन आदमी काबिल हैं और कौन नहीं हैं, इसका कैसे पता चलता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायतें रिकमन्ड करती हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या ग्राम पंचायत द्वारा यह लिखा गया है कि फलां आदमी को नामजद किया जाय और सरकार ने ऐसा नहीं किया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिनके बारे में लिखा है उनके ऑर्डर्स हो गये हैं।

श्री गोकुलचन्द (लछमनगढ़) : वह कार्यवाही जब तक पूरी की जायगी तब तक कितने महीने तक वेट करना पड़ेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिमान्ड आने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री गोरधनसिंह : क्या समय निश्चित नहीं है कि कब तक चुन लिये जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव करने का सवाल नहीं है।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून के अनुसार आवश्यक नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : नोमिनेशन करने की निश्चित अवधि है या नहीं ?

Page No.11

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि उस पंचायत में हरिजनों की संख्या ज्यादा है और सरकार उनको नोमिनेट करना मुनासिब समझती है तो आवश्यक है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मानो यदि कोई हरिजन चुन कर नहीं आया और किसी हरिजन को नोमिनेट करना है तो निश्चित अवधि क्या है; महीना, दो महीना, साल दो साल या ५ साल ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि निश्चित अवधि नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित समझती है कि यदि इन्सपेक्टर रिपोर्ट नहीं करे कि फलां पंचायत में हरिजन पंच की आवश्यकता है, तो सरकार उस पर कोई कार्यवाही न करे ? क्या रिपोर्ट न होने के कारण किसी प्रकार की पंच की नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही न करे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायतों के चुनाव के तुरन्त बाद ही पंचायतों के नये पंचों के चुनाव की इत्तिला सरकार के पास आती है, उसमें हरिजन पंचों की आवश्यकता हो, तो क्या उस सम्बन्ध में कार्यवाही करना उचित नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस तरह से लिखा हुआ आता है कि पंचायतों में हरिजन पंच होने चाहिए, इसी प्रकार से लोकल सेल्फ बोडीज़ से लिखा हुआ आता है, उस पर विचार करके हरिजन पंच रख देते हैं

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार अपनी ओर से इनीशियेटिव लेना पसन्द नहीं करती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार को क्या पता कि किसको नोमीनेट करना चाहिए ?

श्री भैरोंसिंह : जैसा कि आपने बताया कि सरकार को जानकारी हो जाती है, उसके बाद क्या सरकार इनीशियेटिव नहीं ले सकती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार को यह पता नहीं होता कि किसको नोमीनेट करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : जहां हरिजन पंच न हों, वहां किसी हरिजन को पंच बनाने के लिए सिफारिश की जाय ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

गत वर्ष झालावाड़ में दो कूपों की दयाभाव में नीलामी

३३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि सन् १९५६–५७ में झालावाड़ में दो कूप दयाभाव पर नीलाम किये गये परन्तु कम बोली लगने पर सी. सी. एफ. ने नामन्जूर कर दिये ?

(ख) क्या सही है कि सरकार ने उस ही रकम पर इस ठेके को देने की मन्जूरी कर दी ? यदि हां, तो किस तारीख को और क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि इसके बाद इस ही ठेके को दुगुनी कीमत पर लेने के कई

Page No.12

श्री भैरोंसिंह)

आवेदन-पत्र आये जिस पर सरकार ने दुबारा नीलाम करने का हुक्म दिया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(घ) क्या यह सही है कि फिर हुक्म रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो किस तारीख को और क्यों ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। तारीख २४-१०-५६ को। क्योंकि ये कूप डूब में आने वाले थे।

(ख) जी हां। कुछ ठेकेदारों ने एक आवेदन-पत्र तारीख २७-१०-५६ को दिया था लेकिन चूंकि कूप सुपुर्दगी पहले वाले ठेकेदार को दी जा चुकी थी इसलिये दुबारा नीलाम की आज्ञा नहीं दी गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों का ठेका पहले मंजूर हुआ था, उसको केवल इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि दूसरे लोगों के आवेदन-पत्र अधिक बोली के आये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा नहीं।

श्री भैरोंसिंह (१४) : मैंने पूछा था कि जो ठेका पहले मंजूर हुआ था, क्या उस ठेके को केवल इसलिए केन्सिल किया गया कि दूसरे लोगों के आवेदन-पत्र अधिक बोली के आये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले वाला ठेका इसलिए कैंसिल नहीं किया गया था कि दूसरे लोगों के आवेदन-पत्र ज्यादा बोली के आए थे। वह ठेका इसलिये कैंसिल किया गया था कि जो औसतन कीमत होती है, उससे कम कीमत आई थी। इसलिए सी. सी. एफ. ने पहले वाला ठेका नामंजूर किया था।

श्री भैरोंसिंह : जो आवेदन-पत्र आये थे उससे पहले ही आपने पहले वाले ठेके को रोक दिया था, इसके क्या कारण थे ? क्या दूसरे आवेदन-पत्र में अधिक बोली थी, इसलिए ठेका रोका गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेका रोकने का कारण आवेदन-पत्र आना नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : फिर ठेका क्यों रोका गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह ठेका इसलिए रोका गया कि ठेके की रिपोर्ट सी. सी. एफ. के दफ्तर में आती है, वहां जो तीन साल की औसतन कीमत होती है, उसकी दृष्टि से उसे देखते हैं। यदि उससे कम होती है तो कहते हैं कि ठेका मंजूर नहीं किया जाय और दुबारा नीलाम किया जाय। यह पहली स्टेज होती। है इस स्टेज पर इस ठेके को नामंजूर किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ठेका जब नामंजूर हुआ था उससे पहले ही सी. सी. एफ. ने सरकार को लिखा था। आप फाइल देख लीजिये कि जो एवरेज बोली लगनी चाहिये उससे कम बोली लगी है, इसलिये इस ठेके को मंजूर नहीं किया जाय ? It may be seen in the records

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल ठीक है, मैं फाइल देख कर ही कह रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : जब सी. सी. एफ. की सिफारिश थी उस स्थिति में उसी व्यक्ति को ठेका क्यों दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका जवाब (ख) पार्ट में दे दिया गया है ।

उस ठेकेदार ने दुबारा अर्जी दी कि हमारे पास दो महीने का टाइम है, उसके बाद नेक्स्ट इयर कूप डूब में आने वाले हैं इसलिए अगर जल्दी काम नहीं होगा और दुबारा नीलाम करने की कार्यवाही की गई तो सरकार भी घाटे में रहेगी और हम भी घाटे में रहेंगे, ऐसी स्टेज में काम करने की इजाजत दे दी जाय । उस हालत में सी. सी. एफ. और एफ. एम. ने आपस में तय किया कि ठेका दे दिया जाय क्योंकि जो पैसा अभी मिल रहा है वह बाद में नहीं मिलेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिस वक्त यह एफ. एम. के समक्ष आया उस वक्त एवरेज कोस्ट के न आने के कारण सी. सी. एफ. ने जो पहले राय दी थी दुबारा उनसे राय ली गई या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों में डिस्कशन होने के बाद भी राय बनी कि पांच हजार में ठेका दिया जाय क्योंकि अगर नीलाम रोका गया तो पैसा नहीं मिलेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ठेके की रकम एवरेज रकम से कम थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां कम थी । इसी बिना पर सी. सी. एफ. ने ठेके को नामंजूर कर दिया था । लेकिन सरकम्सटान्सेज़ ऐसी हो गई कि जिससे ठेका दुबारा दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये उनमें यह उल्लेख है कि जितने रुपयों पर ठेका दिया जा रहा है, उससे ज्यादा बोली लगाने को तैयार हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने आवेदन-पत्र लेट स्टेज पर दिया था । उस समय तक जंगलों का पजेशन दे दिया गया था और काटने का काम शुरू हो गया था । यह ठीक है कि ज्यादा बोली लगाने के लिये लिखा था लेकिन उसमें लीगल कोम्प्लीकेशन्स आते थे ।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने बताया था कि आवेदन-पत्र आने के कारण ठेका रोक दिया गया। इसका मतलब यह है कि जिस आवेदन-पत्र के आने के कारण ठेका रोक दिया। उसमें यह उल्लेख था कि जितने रुपये में ठेका दिया गया है उससे ज्यादा देने को वे तैयार हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं । जो आप मेरे मुंह से कहाना चाहते है, मैं नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि आवेदन-पत्र के आने से सरकार को भ्रम हो गया था और ठेका रोक दिया, लेकिन ज्यादा रकम देने के आवेदन–पत्र आने पर भी ठेका पहले वाले का क्यों मंजूर हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री भैरोंसिंह : स्पष्ट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : साफ तौर से जो मंत्री महोदय को मालूम था वह बता दिया है ।

Page No.14

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जब आवेदन-पत्र में लिखा था कि वे ज्यादा बोली लगाने के लिये तैयार हैं, फिर भी ठेका नामंजूर नहीं किया गया। क्या उस आवेदन पत्र का उत्तर दिया गया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जवाब देना जरूरी नहीं था कि उनके आवेदन–पत्र नामंजूर कर दिये गये, उनको मालूम हो गया होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस वक्त तक जंगलात के काटने का काम शुरू नहीं हुआ था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिलकुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : यदि गलत है तो ज्यादा बोली लगाने के आवेदन–पत्रों के बाद काम क्यों रोक दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस वक्त सी. सी. एफ. दौरे पर थे। उस समय एफ. एम. के पास में वे आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। उस समय ऑफिस सुपरिटेन्डेन्ट को एफ. एम. ने कहा कि यह काम रोक दें, इसलिए उस समय काम रोक दिया गया। बाद में सी. सी. एफ. के आने के बाद एफ. एम. के साथ डिस्कशन हुआ और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि इस स्टेज पर दूसरे आदमी को ठेका देना नामुमकिन है। इसलिए दुबारा उसको मंजूरी दी गई।

श्री गोरधनसिंह : क्या लकड़ी का काम करने वालों के लिए कोई कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है।

चीफ कन्जर्वेटर के कार्यालय में सरकारी कारें

३४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट के कार्यालय में सरकारी कारें कितनी व ड्राईवर्स की बजेटेड स्ट्रेन्थ कितनी है ?

(ख) क्या यह सही है कि दो ड्राईवर्स मन्जूरशुदा स्ट्रेन्थ से ज्यादा रखे गये हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) तीन। एक चीफ कन्जर्वेटर के दौरे के लिए, एक लेन्ड रोवर चीफ कन्जर्वेटर के स्टाफ और निजी सहायक के दौरे के लिए व एक जीप रिज़र्व में एमर्जेन्सी के लिये।

(ख) एक दो ड्राईवरों को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कॉमर्शियल प्लान्टेशन में स्वीकृत स्ट्रेन्थ में रखा गया है। इस प्रकार मन्जूर शुदा स्ट्रेन्थ में ही ये दो ड्राई-वर्स भी रखे हुये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो कार स्टाफ और निजी सहायक के लिए नियत की गई है, वे उसको काम में नहीं ला सकते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे काम में ही नहीं लाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे कामों में काम आई हैं इस बात का लोग बुक्स में उल्लेख है।

श्री नाथूराम मिर्धा : लोग बुक में ऐसा उल्लेख नहीं है। माननीय सदस्य कोई

Page No.15

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्पेसिफिक सूचना देंगे तो मैं उसकी जांच कराऊंगा ।

११.४०—म. पू.

जयपुर नगर में गन्दगी सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव आया है, जयपुर शहर में जो गन्दगी है उसके बारे में। एक माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा है, मैं उस प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत नहीं देता हूँ क्योंकि यह मसला कोई ऐसा अत्यावश्य, कसार्वजनिक ढंग का नहीं है जिसके लिये कि इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय । बजट के मौके पर कट मोशन्स में या वाद-विवाद में इसका जिक्र कर सकते हैं ।

श्री अर्जनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) What is the name of the proposor, Mr. Speaker ?

श्री अध्यक्ष : It is not necessary to disclose.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : No debate is permissible.

श्री भैरोंसिंह : यह इसलिये मामला जरूरी है कि मन्त्री गण जवाब दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !! श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ।

राजस्थान लोकसेवा आयोग के प्रतिवेदन (१९५४-५५) की प्रस्तुति

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय अध्यक्ष, मैं संविधान के अनुच्छेद ३२३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन सन् १९५४-५५, १ अप्रेल, १९५४ से ३१ मार्च, १९५५ तक मेमोरेण्डम सहित सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, संविधान की इस धारा के अनुसार जो पब्लिक सर्विस कमिशन का प्रतिवेदन प्रस्तुत होना चाहिए वह तो सन् १९५५-५६ या ५६-५७ का होना चाहिये, उसके स्थान पर यहां यह ५४-५५ का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। सदन का अधिकार है कि इस सदन में इस प्रकार की एन्युअल रिपोर्ट्स पेश होनी चाहिए, पर मैं नहीं समझता कि इस प्रकार ५४-५५ की रिपोर्ट इस सदन में अब प्रस्तुत की जाकर इस सदन के अधिकारों पर कुठाराघात क्यों किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ५६-५७ की रिपोर्ट तो अब तैयार की जायगी और ५५-५६ की रिपोर्ट जल्दी ही पेश की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यह हमारा अधिकार है कि नहीं कि संविधान की उपरोक्त धारा में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार इस सदन में ५४-५५ की रिपोर्ट पेश करनी चाहिये या ५५-५६ की या ५६-५७ की रिपोर्ट पेश करनी चाहिये ? ५५-५६ की रिपोर्ट मुख्य मन्त्रीजी के पास आ गई है, उसे सदन में प्रस्तुत करना चाहिये ।

Page No.16

श्री तनसिंह (बाड़मेर) ५४–५५ की रिपोर्ट अब इतनी देर से पेश की जा रही है, इसके पेश करने में इतना समय लगने का क्या कोई विशेष कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रिपोर्ट में बहुत से एतराजात थे जिनको ठीक रखने में समय ज्यादा लग गया।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, प्रश्न तो यह है कि इस सदन में कौन सी रिपोर्ट पेश होनी चाहिये थी और कौनसी रिपोर्ट इस समय पाने का यह सदन हकदार है ?

श्री अध्यक्ष : अभी सिर्फ ५४–५५ की रिपोर्ट पेश की गई है। सदन में जो अभी इस विषय की चर्चा हुई है उसको देखते हुए मुख्य मन्त्रीजी दूसरी रिपोर्ट जल्दी ही पेश कर देंगे।

)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

जन लेखा एवं प्राक्कलन समितियों, १९५७-५८हेतु निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १७७ की उपनियम (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्य की संख्या में से, जन लेखा समिति १९५७-५८ के लिए १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया।

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १७८ के उपनियम (२) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से, प्रावक्कलन समिति १९५७-५८ के लिए १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में ये जो दो प्रस्ताव पेश किये गये हैं इनके बारे में क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

दोनों प्रस्ताव मंजूर किये गये।

(विराम)

श्रीमन् राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद-विवाद हुआ, उसका सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जायगा।

११. ४७–म. पू.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुए वाद–विवादों के उत्तर

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : श्रीमन्, लगातार ३ दिन तक माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस सदन में दोनों पक्षों की ओर से वाद-विवाद हुआ। अब प्रशासकीय विभागों की ओर से या सरकार की ओर से उसका उत्तर देने का समय आया है। मैं इसलिए तो खड़ा नहीं हुआ हूं कि तार्किक उत्तर देकर प्रश्न करने वालों का मुंह बन्द कर दूं। यह भी एक तरीका है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह तरीका एक हद से ज्यादा हमको सफलता नहीं दे सकता। इस सदन की

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मंशा जो मैं समझता हूँ वह यह है कि जो भी प्रश्न या विषय यहां उपस्थित हों उन पर हम सब विचारों के लोग सांगोपांग विचार करें, कोई पहलू छूट नहीं जाय, जो हमारे विचार में नहीं आये, उसे दूसरे सदस्य कहें। एक पक्ष हो, दो पक्ष हों, चार पक्ष हों, चाहे जितने व्यक्ति हैं उतने ही अपनी अपनी दृष्टि से प्रकाश डालते हैं और फिर हम विचारते हैं कि सही फैसला हो और सही विचार किया जाय। इस दृष्टि से जो चर्चा यहां हुई है उस पर मैं अपने कुछ विचार सामान्य तौर पर रखना चाहता हूं और फिर जो विभाग मेरे चार्ज में हैं उन पर भी जो दो चार बातें कही गई हैं उन पर भी रोशनी डालूंगा।

सबसे पहले श्रीमन् राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ उसको देखने की सही दृष्टि यह है, मेरी समझ से, कि आया उन्होंने अपने राज्य की और शासन की सही तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश की है या नहीं? सही तस्वीर के तीन भाग हो जाते हैं; एक तो पिछला कार्य विवरण और दूसरा आज जो वर्तमान स्थिति है वह और तीसरा आगे की प्रोग्रेस।

मैंने इस भाषण को सुना भी और पढ़ा भी और इस वाद-विवाद के बाद फिर पढ़ा और मैं इस विचार पर पहुँचा कि अगर मैं उस तरफ होता तो भी यह राय देता जो अभी देने जा रहा हूँ। उन्होंने शासन की जो सही स्थिति है उसे आपके सामने रखा हैं, उन्होंने जो राज्य ने सेवाएं की हैं उनका जिक्र किया है और जो खामियाँ उन्हें दिखाई पड़ीं उनका भी उल्लेख किया है; कहीं साफ कहा है, कहीं झलका दिया है। पर इस बात की कोशिश नहीं की, जैसा कि पहले हुआ करता था कि राज्य की अच्छी अच्छी बातों को बढ़ा चढ़ा कर उल्लेख कर दिया जाय और जो दूसरी बातें हैं, खामियां हैं उन पर कुछ न कहा जाय।

आपने देखा है और मैंने भी देखा है कि राज्यपाल महोदय ने इस बात की कोशिश की है कि राज्य शासन में किसी प्रकार की कमी उन्हें दिखाई पड़ी है तो उसका जिक्र किया जाय। इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव इधर से उपस्थित किया गया है वह वाजिब है और उसका समर्थन करना चाहिये। दूसरी एक नई बात मुझे भाषण में दिखाई पड़ी वह यह कि जो स्टीरियोटाइप भाषण होता है वैसा यह नहीं है। एक ढांचा बना हुआ होता है जिसमें खानापूरी कर दी जाय और भाषण तैयार हो, इस तरह का नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया और ध्यान दिलाया है कि हमारी पंच वर्षीय योजना को महत्व दिया जाय। उन्होंने नवीन राज्य के निर्माण को महत्व दिया है, जो वाजिब है। आप और हम सब इस बात को मानेंगे कि हमारे सामने, हमारे राष्ट्र के सामने सिवाय नवीन समाज रचना के, या उसको किसी और नाम से आप कह दीजिये, राष्ट्र के निर्माण के काम के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं है। शासन के पास एक काम है जो आंतरिक शांति और रक्षा का है। इसके सिवाय राष्ट्र का निर्माण और विकास की योजना हो, दूसरा कोई काम हमारे पास नहीं है। शासन के सारे यंत्र क्या इसलिये रखे जावें और रहें एक कि शासन या व्यवस्था कायम रहे और उसे सर्टिफिकेट मिल जाय। यह बात अब नहीं रही। यह बात अंग्रेजों के साथ चली गई। वह जमाना लद गया अंग्रेजों के साथ। अब तो चाहे वह चीफ मिनिस्टर

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

हो, चाहे गृह मंत्री हो या कोई दूसरा मंत्री हो, या चाहे वह कोई हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हो, चाहे सदन में बैठनेवाला सदस्य हो, चाहे बाजार में चलने वाला व्यक्ति हो हर एक का यह काम है, जहां तक हो सके यही सोचे कि वह राजस्थान का है और राजस्थान की सर्वांगीण प्रगति कैसे हो। यह काम हमारे सामने है। ऐसी सूरत में यदि राज्यपाल ने अपने भाषण में विकास की बात पर जोर दिया और उनके भाषण में कोई छोटी मोटी बातें रह गई तो मैं नहीं समझता कि कोई दोष हुआ। मैं यह कहूंगा कि वास्तव में सही दिशा में प्रयास किया गया है और राज्यपाल ने सही बात की ओर ध्यान दिलाया है।

अब मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा और आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा, जो चीजें मेरे विभाग से संबन्ध रखती हैं।

पहली बात जो किसी माननीय सदस्य ने कही थी वह वित्त विभाग से संबन्धित थी और उन्होंने कहा था कि वित्त विभाग में मंजूरी मिलने में बहुत देर हुआ करती है। यह सही बात है कि वित्त विभाग में देर हुआ करती थी, मगर वित्त विभाग एक ऐसा महकमा है और आज मुझे यह महकमा मिला है, मैं तो इसके लिए यह आपसे कह दूं कि एक सरस्वती के उपासक को मुख्य मंत्रीजी ने लक्ष्मीजी की गोद में बिठा दिया है, सरस्वती के उपासक को वित्त का महकमा दिया गया है। वित्त-विभाग सचमुच ऐसा है कि अप्रिय बनकर, कठोर बनकर भी आपकी और सदन की और राज्य की (यह वित्त विभाग) बड़ी सेवा कर रहा है। उसका मुख्य काम यह है कि वह देखे कि कहीं पैसा अनावश्यक रूप से तो नहीं मांगा जा रहा है और खर्च किया जा रहा है। यह देखना जरूरी होता है और यह आप लोगों को जरूर अखरता है, हालांकि इसकी कद्र होनी चाहिये परन्तु इसमें देरी लग ही जाती है। देरी तो नहीं लगनी चाहिये लेकिन जो कोई भी योजना आती है उसकी छान-बीन करनी पड़ती है और उसकी छान-बीन का जो तरीका है उसमें काफी देर हो जाया करती है। इसको बचाने के लिये सरकार ने कोशिश की है और एक वर्ष से कोशिश चल रही है कि देर न होने पावे और इसका उपाय यह किया गया है कि जो विकास की योजनाएं वित्त विभाग के पास आवें तो प्रशासकीय विभाग जिसकी जिम्मेदारी हो, उस योजना को कार्यान्वित करने से ही काफी छान-बीन कर लें और जहां तक हो सके वित्त विभाग से पहले से बात-चीत कर ले ताकि बजट में शामिल हो जाये और मंजूरी देते समय वित्त विभाग को ज्यादा छान-बीन की जरूरत न रहे, फिर जब एक बार मंजूरी हो गई तो वित्त विभाग को ऐसी दी गई मंजूरी को दुबारा देखने की जरूरत न रह जावेगी और फॉर्मल कार्यवाही के लिये ही वह चीज रह जावेगी और जल्दी हो जावेगी और दोनों को चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि राज्यपाल महोदय ने भी इसका जिक्र अपने भाषण में संक्षेप में किया था जिसको मैंने आपको विस्तार में समझा दिया है और अब आपको इसके लिये चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं।

एक बात माननीय सदस्य ने अनुसूचित जातियों के बारे में चर्चा करते हुये रखी थीं। उन्होंने दो बातें खास तौर से कही थी।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

एक तो यह कि सरकार इनके निर्माण के लिए यानी पिछड़ी हुई जातियों के निर्माण के लिए काफी खर्च नहीं कर रही है। हालांकि मैंने देखा है कि पिछले साल से दुगुना रुपया इसके लिए रखा गया है, फिर भी वह रुपया कम है। पिछड़ी हुई जातियों, अनुसूचित जातियों की मौजूदा दशा को देखते हुए यदि उन पर चार गुना रुपया भी खर्च करते तो वह रुपया कम है। कहा यह जाता है कि रुपया ज्यादा खर्च करना चाहिए लेकिन मैं यह कहूंगा कि करना चाहिये लेकिन रुपया अधिक लावें कहां से ? आपकी और हमारी सबकी इस कार्य के लिए जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि आप सब इस बात से सहमत होंगे कि हम हर साल जितना काम कर सकते हैं करते हैं, जितने हमारे पास साधन हैं। लेकिन इस बात को मानते हैं कि सरकार इस बात की योजना रखती है और कोशिश करती है कि हरिजन भाई जो हैं वे दूसरे भाइयों के समकक्ष आ जावें और यह उत्सुकता है कि १० वर्षों के अन्दर अन्दर ऐसा हो जाये और १० वर्षों से आगे यह समय जाना नहीं चाहिये। सरकार यह चाहती है कि यह भेदभाव १० वर्षों में खत्म हो जाये लेकिन महज आर्थिक सुविधाएं करने से यह भेदभाव ठीक नहीं होगा। मैं यह समझता हूँ और चाहता हूं कि इसके दो विभाग हो जावें। एक तो यह कि अनुसूचित जाति के भाई जो यह जिम्मेदारी अपने पर रखते हैं कि छूआ-छूत का भेदभाव मिटाया जावे छोड़ दें और यह जिम्मेदारी मैं समझता हूँ उनको अपने ऊपर नहीं रखनी चाहिये। यह एक बहुत बड़ी चीज है। यह जिम्मेदारी सवर्णों को लेनी चाहिये। हमारे सदन में और राज्य में जितने कार्यकर्ता हैं और नेता सवर्ण हैं उन सबका फर्ज है कि अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियें जो हैं और दूसरी जातियें जिनके साथ छूआ-छूत का भेद-भाव होता है उनको हम आश्वासन दें और कहें कि हमारे यह सोचने का काम है और यह आपके सोचने की चीज नहीं है। यह हमारा फर्ज है कि हम उनको आश्वासन दें। वे भले ही कहें, लेकिन हमें उनको आश्वासन देना चाहिये।

मेरे पास एक-दो सदस्य आये और वे इतने समझदार थे; एक तो एम. एल. ए. थे और एक दूसरे थे। उन्होंने कहा कि साहब इसमें हम पांच वर्ष और ठहर जावें, कोई जल्दी नहीं है। यह आप कहिये कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में कुछ किया जावेगा। यह कोई जादू का खेल नहीं है कि जादू किया और काम हो जावे। यहां तो लोगों की भावना को बदलना है, पढ़े-लिखे लोग तो अपनी भावनाओं को बदलते जा रहे हैं लेकिन देहातों में अभी तक वही पुरानी दकियानूसी रीति-रिवाज चले आ रहे हैं। ये बातें हरिजन भाई मेरे सामने पेश कर रहे थे कि यह जादू का खेल नहीं है। आप भले ही कहें कि चार-पांच वर्ष अधिक लग जावें तो कोई एतराज नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि यह भेद-भाव एक मिनट नहीं रहना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जादू से भी हो तो इसको समाप्त कर दिया जाए। अभी हमारे गांवों में लोग बहुत अनपढ़ हैं और इन बातों को इतना जल्दी हजम नहीं कर सकेंगे। वे लोग कहते हैं कि अगर इसमें कुछ देरी भी लगे तो हमारी कोई दुनिया

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

नहीं डूब जावेगी। तो मैं आपके सामने यह विचार रख रहा हूं कि वास्तव में जो काम आज हरिजन कर रहे हैं यह उनके करने का नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सवर्ण ढीले-ढाले बैठे हैं। हरिजन जाकर शिकायतें करते हैं। तो इन शिकायतों का मौका हमें उनको नहीं देना चाहिए बल्कि जो वह शिकायत करते हैं और जिस चीज के लिए वह शिकायत करते हैं उन शिकायतों को दूर करना हमारा काम है। उनका तो एक ही काम है कि वे अपनी उन्नति और उत्थान की ओर ध्यान दें और जो योजनायें सरकार बनाती है उनमें सरकार का सहयोग दें। जैसा अभी मेरे एक सदस्य भाई रामचन्द्रजी ने बताया कि सरकार ने सवर्णों के ऊपर कम रुपया खर्च किया। रुपया कम खर्च किया, मैं भी मानता हूं किन्तु उनके लिए इस वर्ष और भी अधिक पैसा रखा गया है। मगर जो रुपया अब भी रखा है वह भी काफी नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि चर्म उद्योग होने चाहिये। तो जो यह चर्म-उद्योग का सवाल आया है, मैं मानता हूं कि यह सुझाव अच्छा है।

अब मैं एक चीज और कहता हूं कि आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो उसमें आप अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। अगर आप शक्ति लगायेंगे तो मैं समझता हूं कि काम अच्छे होंगे, आपसी खींचतानी में आप अपनी शक्ति व्यय मत कीजिए। अब खींचातानी का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वह खींचा तानी आपके यहां राजस्थान में भी चली थी और मैं जब अजमेर में था उस समय भी वहां पर यह खींचातानी चली थी। वह खींचातानी यह थी कि हरिजनों ने यह निश्चय किया कि हम मरे हुए पशुओं को नहीं उठायेंगे। सवर्णों को या और कोई भी जाति का आदमी हो, सभी व्यक्तियों को आजादी है कि वह आजादी के साथ चल सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। हम उसके लिखने की, चलने की, बोलने की आजादी नहीं छीन सकते। इस आजादी के लिहाज से देखा जाय तो हर एक व्यक्ति, चाहे वह कोई भी काम करे और चाहे न करे, संविधान के अनुसार संसार की कोई भी शक्ति मजबूर नहीं कर सकती कि वह मरे हुए पशुओं को घीसे ही। कोई भी शक्ति उसको बाध्य नहीं कर सकती कि उसको मरे पशुओं को घीसना ही चाहिए। अब यह समस्या पैदा हुई। इस समस्या को किसने उठाया? हरिजनों ने इस समस्या को उठाया। उन्होंने यह संकल्प किया कि हम इस घृणित काम को नहीं करेंगे। अब सोचने की बात है कि उनको यह प्रश्न क्यों उठाना पड़ा? असल में यह प्रश्न किनको उठाना चाहिए था? मैंने एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि भाइयो, यह कोई निन्दनीय काम नहीं है उसका जवाब उन लोगों ने मुझे यह दिया, "तो फिर साहब, ब्राह्मण लोग इस काम को क्यों नहीं कर लेते?" मैंने उनको जवाब दिया कि मैं इस चीज को जरा भी पसन्द नहीं करूंगा कि सवर्ण लोग मरे हुए पशुओं को नहीं घसीटें। संसार की कोई भी शक्ति हरिजनों को मरे पशुओं को घसीटने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आवश्यकता हुई तो मैं खुद मरे हुए पशुओं को घसीट सकता हूँ। जो लोग पशुओं को घसीटना चाहते हैं उनको संसार की कोई शक्ति घसीटने से इन्कार नहीं कर सकती और नहीं उनको ऐसा करने पर

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मजबूर कर सकती है। अब पशु जो मर गये हैं। यह तो हो नहीं सकता कि वह वहीं पड़े रहेंगे, गंदगी तो साफ करनी ही होगी। यह काम तो हम को ही करना होगा क्योंकि वह काम करते आये हैं और अब अगर सवर्ण नहीं उठायेंगे तो फिर मैं उनको घोसूंगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने इस सवाल को ब्राह्मण और सवर्ण की दृष्टि से देखा। जैसे उनके मन में यह सवाल उठा था कि यह काम हम नहीं करेंगे तो यह सवाल तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमें उठाना चाहिए। मैं इन बातों में अधिक समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर इसी तरह से सवर्ण जाग्रत होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर चलेंगे तो हमारी शक्ति इस आंदोलन में नहीं लगेगी बल्कि हमारी शक्ति रचनात्मक कामों की ओर लगेगी और इसी में हमारा लाभ होगा।

अब एक बात चर्म उद्योग की कही है, इसके बारे में मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ। चर्म उद्योग के दो अर्थ होते हैं, दो अंग होते हैं। एक चमड़ा कमाना और दूसरे जूते बनाना। तो भारतवर्ष में चमड़े के कारखाने, जिनको कि टेनिंग फैक्ट्री कहते हैं, जिसमें ट्रेनिंग भी होती है, बने हुए हैं, लेकिन काम की कमी से वे शिथल पड़े हैं। इसलिए राजस्थान में कोई बड़ी टेनिंग फैक्ट्री, जिसमें ट्रेनिंग की भी सुविधा हो, खोलने का विचार किया गया लेकिन वह उपयुक्त नहीं समझी गई। मैं यह बात आपको दूसरे कारण से कह रहा हूं, आप ही बतायें कि बड़ी फैक्ट्रीज़ खोलना क्या हमारे हित में है, वैसे यह फैक्ट्री उपयुक्त जरूर है और यह खुल भी सकती है, मगर क्या यह हमारे हित में है। बड़े बड़े कारखाने खोलना, चाहे वे किसी भी चीज के हों, हमारे हित में नहीं हैं। अगर हम हर एक ग्रामवासी की पर्चेज़िंग पॉवर बढ़ाना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे गृह उद्योग गांवों में या कस्बों में हमें खोलने चाहिये। इन बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियों से हमारा हित नहीं होगा। इन छोटे छोटे गृह-उद्योगों से जो भी पैसा कमाया जा सकता है वह सब हमारे ही घर में, गांव में ही रहेगा। आप जितने भी कारखाने खोलेंगे उनका पैसा गांवों से कस्बों में जायगा, कस्बों से शहरों में जायगा, शहरों से बड़े शहरों में जायगा और फिर बड़े शहरों से हिन्दुस्तान के बाहर जायगा। यह सही बात है, यह ध्रुव सत्य है। तो अगर यह सत्य है तो फिर हम बड़े कारखाने हमारे यहां नहीं खोलेंगे। लेकिन छोटे छोटे काम और गृह उद्योगों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे न केवल जनता को ही बल्कि जनता में सवर्ण लोग जो हैं, हरिजन लोग जो हैं इनको भी मदद मिल सकती है। हमारी सरकार का भी यही ध्येय है कि जितना भी अधिक से अधिक बढ़ावा इन गृह—उद्योगों को ऐसे ही छोटे कामों को, दिया जा सके देना चाहिए और आगे आने वाले पांच वर्षों में भी सरकार का ध्यान इस ओर रहेगा। मैं समझता हूं कि जिस भाई ने भी यह प्रश्न उठाया था उसका समाधान मेरे इस उत्तर से हुआ होगा।

एक बात माननीय सदस्यों ने और कही थी कि खादी संस्थायें राजनीति में भाग लेती हैं। इसके बारे में इतनी बात है कि कई खादी संस्थायें स्वतंत्र हैं जो कि सरकार के भी नियं-

Page No.22

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

त्रण में नहीं हैं। संस्थायें स्वतंत्र हैं वे अपने नियमों के अनुसार राजनीति में भाग ले भी सकती हैं और नहीं भी ले सकती हैं। अगर इन स्वतंत्र खादी संस्थाओं के नियमों में राजनीति में भाग न लेने की बात लिखी है तो वह भाग नहीं ले सकतीं और अगर ऐसी कोई बात नहीं लिखी है तो वह भाग ले सकती हैं। सरकार का नियंत्रण उन्हीं संस्थाओं पर चल सकता है, जो कि या तो सरकारी हों या फिर सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हों; जैसे सरकारी सर्विसेज के लिए कि उन्हें काम सरकार का करना है और अगर वह राजनीति के चक्कर में फंसते हैं तो यह आपत्तिजनक है। इसी तरह से जो खादी की संस्थायें, सरकार से सहायता प्राप्त हैं या सरकारी हैं और वे राजनीति में भाग लेती हैं तो यह वास्तव में आपत्तिजनक है। लेकिन संस्थाओं का राजनीति में भाग लेने का मतलब यह है कि संस्था में जो भी चीजें हैं वे राजनीति के काम में नहीं आनी चाहिए। हर एक आदमी स्वतन्त्र है राजनीति में भाग लेने के लिए। सरकारी कर्मचारी भी वोट देते हैं, उनको अधिकार है कि वे किसी भी पार्टी को वोट दें। अब अगर वे कांग्रेस को वोट देते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते और न ही हम उनको कह सकते हैं कि वे राजनीति में भाग लेते हैं। अगर खादी का कोई भी कार्यकर्ता जिसको ठीक समझता है और किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देता है तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं करता। लेकिन हां, सरकार से सहायता प्राप्त जो संस्थायें हैं और वे राजनीति में भाग लेते हैं तो वास्तव में गुनाह करती हैं।

अब एक बात है भ्रष्टाचार की। अभी कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जब इधर लोग बैठते हैं तो भ्रष्टाचार की बात नहीं करते और ज्यों ही उधर चले जाते हैं तुरन्त भ्रष्टाचार की बात करने लग जाते हैं। वास्तव में यह बड़ी मजेदार बात कही थी। अब बात सही यह है कि इस भ्रष्टाचार के लिए जितनी भी आवाजें उठाई जाती हैं उतना ही मुझे इसमें खोखलापन नजर आता है। मैं सच्चे दिल से आपको यह बात कहता हूं। मैं उस कुर्सी पर भी बैठा हूँ और दूसरी कुर्सी पर भी बैठा हूं इसलिए जो बात मैं कह रहा हूं बहुत ही सोच समझ कर कह रहा हूँ क्योंकि मेरी समझ के माफिक भ्रष्टाचार को मिटाना निहायत जरूरी है लेकिन भ्रष्टाचार सब के अन्त में मिटेगा और जितनी भी खराबियां और बुराइयां देश में हैं, राष्ट्र में हैं उन सब के आखिर में यह भ्रष्टाचार मिटने वाला है। इसके लिए हमें निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी ही भ्रष्टाचार करते हैं तब तो कोई बात नहीं होती है उनके लिए सर्विस रूल्स बने हुए हैं। इन इन सर्विस रूल्स के माफिक कार्यवाही उनके ऊपर होती है और अब तो हमारी राजस्थान सरकार ने और भी विशेष नियम भ्रष्टाचार के ऊपर सोचे हैं जिनके ऊपर हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी प्रकाश डालेंगे। किसी भी चीज को खत्म होने में समय तो लगता ही है। हम किसी भी सफलता के लिए अधिक आशा नहीं कर सकते। यह बीमारी हमारे हर एक के अन्दर घुसी हुई है। रिश्वत देना ही नहीं है। मन में बेईमानी का आना भी असल में भ्रष्टाचार है। अगर हम अपने दिल को टटोलें तो हमें मालूम होगा कि भ्रष्टाचार हममें अधिक से ज्यादा है। जब तक हम अपने से भ्रष्टाचार नहीं निकालेंगे तब तक हमें

Page No.23

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

कामयाबी नहीं मिल सकती । हमें कई दफा अपने स्वार्थवश मजबूर होकर अपने काम के लिए दूसरों को प्रलोभन देना पड़ता है और देते हैं तो अपना काम निकल जाते हैं । असल बात यह है कि जब तक हम इसकी जड़ पर कुठाराघात नहीं कर सकते तब तक इसकी जड़ का कटना मुश्किल है । आखिर हम सोचें, सरकारी कर्मचारी आते कहां से हैं ? कोई हमारा लड़का है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई बहनोई है, आखिर सब हमारी समाज के ही तो वे अंग हैं । कोई कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं, उससे कोई बिगड़ भी जाता है, यह मैं भी मानता हूं कि लेकिन वास्तव में तथ्य की बात यह है कि जैसा हमारा सामाजिक स्तर होगा उससे थोड़ा बहुत ऊंचा और नीचा सरकारी कर्मचारियों का स्तर होगा । इस भ्रष्टाचार की जड़ आखिर बहुत गहरी है, सब दिशाओं में इस जड़ को मिटाने के लिए प्रयत्न होना चाहिये । शिक्षण संस्थाओं में भी यह यत्न शुरू होना चाहिये ताकि हमारे बालकों के ऐसे संस्कार हों, उनकी जीवन की प्रवृत्तियां ऐसी हों जिनमें इस भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिल सके । मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं । चुनाव की जो आजकल प्रणाली है उसका सम्बन्ध थोड़ा-बहुत भ्रष्टाचार से है । आजकल के चुनाव में झूठ बोलकर वोट प्राप्त करना कोई अनुचित नहीं मानता । यह एक रवैया सा हो गया है । जिस प्रकार किसी होटल में हम जाते हैं वहां पर कुछ खा पी लेने के पश्चात् कुछ टिप जो देते हैं वह एक तरह का रिवाज सा हो गया है । अगर टिप कोई नहीं देता है, बहरे लोग यह समझते हैं कि यह कैसा आदमी है जो आज कल की प्रणाली को नहीं समझ रहा है । वे लोग टिप लेना अपना अधिकार समझते हैं उसी प्रकार का रवैया चुनाव में होता है । चुनाव में झूठ बोलना, धोखा देना आज कल आम बात हो गई है । एक मिसाल मैं आपको दूं, कोई उम्मीदवार किसी वोटर के पास आता है । मान लीजिये मैं वोट लेने के लिये राजा नरेन्द्रसिंहजी के पास जाऊं या ज्वालाप्रसादजी के पास जाऊं । यहां मैं बड़े आदमियों का नाम न लूं । अगर किसी छोटे आदमी के पास जाऊं वोट लेने के लिए तो वह यही कहेगा, दा साहब, मैं आपके सिवाय वोट किसको दूंगा, मेरा वोट तो आप ही के लिए है, चाहे उसका पड़ौसी ही क्यों न खड़ा हुआ हो वह कहेगा तो इसी प्रकार ही । जब मैं उसके पास चला जाता हूँ तो उसी का पड़ौसी जो भी एक उम्मीदवार है वह आकर पूछेगा कि आपने दा साहब से क्या कहा है, तो वह यह कहेगा, क्या करूं दा साहब बहुत पुराने व्यक्ति हैं, उनके सामने यह कैसे कहता कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा । मेरा वोट तो आपको ही है, क्योंकि आप मेरे पड़ौसी हैं, रात दिन आपके पास रहता हूँ । दोनों प्रकार की बातें हम जानते हैं । इससे आगे चलकर और हम क्या करते हैं कि अच्छी बात है, टिकट वहां से ले लेना, उनकी मोटर में बैठकर आ जाना और वोट हमको दे देना । हम सब यह बातें करते हैं, क्योंकि हम इसको एक अनिवार्य सा मान बैठे हैं; इसलिए हमें इस प्रकार की बातें करने में आपत्ति नहीं होती और चुनाव तो आजकल हमारे दैनिक जीवन का एक अंग सा बन गया है । जिस प्रकार पुराने जमाने में ब्राह्मणों के लिए त्रिकाल संध्या आवश्यक थी उसी प्रकार ये चुनाव हमारे रोज के कार्य का एक अंग हैं । आज कल चुनावों का चक्कर २४ घंटे हमारे सिर पर सवार रहता है । ग्राम पंचायतों के चुनाव से लेकर पार्लियामेन्ट तक के चुनाव आये दिन

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

हुआ करते हैं। मुझे बता दीजिये कि किस चुनाव में लोग इस प्रकार की बातें नहीं करते और आजकल के छात्र तो हमारी इन बातों से बहुत आगे निकल गये हैं। हम तो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं किन्तु जिनको आजकल की शिक्षा मिली है वे हम से बहुत आगे बढ़ गये हैं इन मामलों में। आज भ्रष्टाचार एक प्रकार से हमारे जीवन में बैठ गया है इसलिए ऐसी बातें होती हैं, फिर भी हम इनको अनुचित नहीं समझते। अगर हमें भ्रष्टाचार को पूर्णतया मिटाना है तो हमें सर्वतोमुखी प्रयत्न करना होगा। जहां आपको सरकार को इस ओर ध्यान दिलाना कर्त्तव्य है, सरकार को उलाहना देते हैं यह आपका कर्तव्य है, आप सरकार की टीका टिप्पणी किया करते हैं, यह आपका अधिकार है और आपको करना भी चाहिये, इसमें सरकार को बुरा मानने की बात नहीं; आप हमें ठीक प्रकार से समझाइये, हम यदि बिगाड़ करते हैं तो आप हमारा कान पकड़िये लेकिन अगर आप यह समझ लेते हैं कि इतनी सी बात कहकर हम छूट जांय तो वह काफी नहीं है। आपको विधान सभा के अन्दर-बाहर इसके लिये अथक परिश्रम से कार्य करना पड़ेगा तभी आप इस भ्रष्टाचार को बहुत कुछ अंशों में मिटा सकते हैं। इससे सरकार के हाथ मजबूत होंगे। सरकार की एक मुसीबत और भी है और वह यह कि जब कभी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है और जब जांच के लिये किसी को भेजा जाता है तो देखा यह गया है कि शिकायत करने वाले जो होते हैं वे मुकुर जाते हैं और अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं। वे क्यों बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, यह दूसरी बात है। या तो किसी कार्यकर्त्ता के दबाव में या किसी के डर से वे बदलते होंगे। मैं इस संबन्ध में मिसाल देकर आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता। भ्रष्टाचार के संबन्ध में अगर किसी को कुछ शिकायत करनी है तो उसको सुबूत देना चाहिये। बिना सुबूत के अगर किसी सरकारी कर्मचारी को शिकायत पर ही कुछ सजा दे देते हैं तो कल आप ही यह कहने लग जावेंगे कि बिना सुबूत ही सजा दे दी गई, इसलिये जहां किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत हो उसके लिए सुबूत होने चाहियें। सरकारी मशीनरी भ्रष्टाचार से दूर हो, हम इसके लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम भ्रष्टाचार को जड़ मूल से मिटाने के लिये कृत संकल्प है तो हमें सर्वतोमुखी इस पर प्रहार करना होगा, जिस प्रकार वार फ्रन्ट में शत्रु पर एक साथ प्रहार किया जाता है तभी उसकी गर्दन हाथ में आती है। उसी तरह से जब तक हम इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमला नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार का मिटना मुश्किल है।

अब मैं अन्त में अपनी तरफ से विधान सभा के सभी सदस्यों को एक बात के लिए जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं और वह भी हृदय से। जब मैं अजमेर का मुख्य मन्त्री था उस समय विधान सभा में, आपकी इस विधान सभा में हाजिर तो नहीं हुआ किन्तु इसकी रिपोर्ट अखबारों में पढ़ने को मिलती थी कि इस इस प्रकार की कार्यवाही सदन में होती है और जब अजमेर का विलीनीकरण राजस्थान में हुआ उस समय मुझे यहां भाषण सुनने को मिले, उस समय की टोन और टेडेन्सी जो थी वह एक प्रकार से मुझे अखरती थी। अब मैं कुछ दिनों से लगातार यहां बैठता हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे उस समय के भाषणों में और आज में काफी परि-

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

र्तन हुआ है। आखिर यह सदन किसलिए है ? एक तरफ से मुझे यह कहा जा रहा है कि जब बजट पर भाषण होंगे तब आप सुन लीजिये। बजट आगे आने वाला है। अगर मैं उसके पहले ही माननीय सदस्यों को धन्यवाद दे देता हूं तो शायद वे मेरे धन्यवाद को झूठा साबित नहीं करेंगे। उसका ख्याल उस समय भी सदस्यों को रहेगा, यही मानकर मुझे धन्यवाद देना है। आखिर विधान सभा है किसलिए ? यह हमारे राज्य के बड़े बड़े प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि मानी जाने वाली सभा है। सारे राज्य की बुराई-भलाई, नैतिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा रखने की जिम्मेदारी हम पर है। 'उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम यहां पर आये हैं। जैसा हम कहेंगे, करेंगे, चलेंगे, उसी का असर सारे राजस्थान की जनता पर पड़ने वाला है। यहां पर अगर हम अप्रिय बातें, अनुचित बातें कहते हैं, करते हैं तो उसका असर जनता पर भी पड़ता है और उस प्रकार का असर पड़ने देना किसी को प्रिय नहीं। कभी गुस्से में अनावश्यक बातें आ जाती हैं तो कोई बात नहीं किन्तु केवल गलत उद्देश्य लेकर किसी गलत बात को अगर हम कहते है तो उसका असर अच्छा नहीं होता। हमारे माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा ठीक ढंग से कहा और बिल्कुल संयमित भाषा में कहा, उसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिये।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : On a point of order, what is the purpose of this instruction ?

(Pause)

I would like to know what the purpose of this instruction is ? We are going away from the point.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं, ले नहीं रहा हूं, समय ज्यादा जरूर ले रहा हूं। मैं फिर इस बात के लिए सदन के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दफा वास्तव में भाषण का स्तर काफी ऊंचा रहा है। आशा करते हैं कि हम इस स्तर को उत्तरोत्तर बनाये रखेंगे। मैं फिर आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पूरे तीन दिन काफी वाद-विवाद हुआ और मैंने इस बात की कोशिश की कि प्रत्येक माननीय सदस्य को मैं गहराई के साथ समझने का प्रयत्न करूं और इस दृष्टि से मैं यहां पर बैठा रहा। विरोधी दल की तरफ से, अब वे मुझे क्षमा करें यह कहने के लिए कि मैं अब भी यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि उसका कौन नेता है ? आज बैठे हुए कोई और दिखाई देते हैं पर उस रोज किसी और को बतलाना गया था। तो उस रोज जिनको बतलया गया था और उन्होंने जो भाषण अपना शुरू किया था और जो कहा उस पर से मुझे यह कहते हुए निराशा होती है कि उसमें बहुत ज्यादा जवाब देने को नहीं है इसलिए कि ज्यादातर बातें अपने भाषण के दौरान में उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों की कहीं, जो उन्होंने जयपुर स्टेट में कई वर्ष तक मिनिस्टर रहकर सेवाएं कीं उनके सम्बन्ध में कहीं। तो इन बातों से तो हमें मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ लेकिन उससे प्रेरणा कम प्राप्त हुई। अब जब वह भाषण दे रहे थे तो उस दौरान में एक माननीय सदस्य ने बीच में पूछा भी कि आप किसके सम्बन्ध में कह रहे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं ? आप आपके ही सम्बन्ध में सारी बातें कह रहे हैं, तो उसका भी मैं आज क्या जवाब दूं क्योंकि आम तौर पर ये विरोधी दल के नेता के द्वारा जो बातें कही जाती हैं उनका पहले जवाब दिया जाता है, पर यहां तो उन्होंने जो बातें सबसे ज्यादा कहीं अपने ही सम्बन्ध में कहीं। पर उन्होंने इस दौरान में भी एक बात का खास कही कि राजाओं का राज्य बहुत ज्यादा अच्छा था और आज लोगों को निराशा होती है, जो कुछ स्थिति सामने है उससे। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मैं इसकी विवेचना में पडूं इसकी आज आवश्यकता नहीं क्योंकि जो चीज बीत चुकी उसके बारे में हम बीती बातों के अन्दर पड़ें, यह उचित नहीं होगा और यह भी सही है कि राजाओं ने त्याग दिखालया अपने राज्यों को सौंपने के अन्दर इसलिए उनके सम्बन्ध में कुछ कहना भी इस सदन में उचित नहीं होगा। लेकिन जनतन्त्र में कुछ मौके आते हैं कि जब उन बातों के बारे में क्रियात्मक रूप से हमारे सामने परीक्षण होता है। पिछले चुनाओं में भी और इस बार चुनाओं में भी, मैं समझता हूं कि, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पिछले राज्य की दुहाई देकर, पिछले सामन्ती शासन की दुहाई देकर काफी चर्चाएं की गई और और आज की राज्य व्यवस्था के बारे में सही और गलत दोनों बातें काफी कही गई। लेकिन इसके बाद जो परिणाम हमारे सामने आया, मैं समझता हूँ, कि वह ज्यादा जवाब देने वाली है बजाय इसके कि मैं स्वयं कुछ जवाब दूं और उस जवाब से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, इसके बजाय कि हम बराबर उसी चीज़ को दोहराते जायं।

यह सही है कि आज जो व्यवस्था है उसमें खामियां हैं, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके तरीके हम सोचें। पर पिछली तरफ देखने मात्र से, मैं समझता हूँ कि हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में राज्य व्यवस्था और जन विकास के सम्बन्ध में जो हमारी दृष्टि होनी चाहिये उसमें दो प्रकार की बातें आम तौर से देखने में आती हैं। उन्हीं माननीय सदस्य ने यह कहा कि पांच हजार के नीचे की जागीरें नहीं ली जानी चाहिए। एक माननीय सदस्य खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी बातों का जवाब और मेरी बातों का हल इस सदन में नहीं है, मुझे तो जनता में जाकर इसका जवाब देना होगा। मैं उनकी भाषा को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और जिस दृष्टि से वे यह बात कहते हैं और जो चीजें इस वक्त भी राजस्थान में चल रही हैं उनकी जानकारी मुझे है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस धमकी भरी भाषा के अन्दर कम से कम इस सदन में बात नहीं कही जावे तो ज्यादा अच्छा है और मैं दृढ़ता पूर्वक यह भी कहना चाहता हूं कि जो उनका मतलब है जनता के द्वारा जवाब दिया जावेगा कि इस प्रकार की बातें कही नहीं जावें, कहने से शोभा नहीं होती। जिन चीजों को लेकर पहले ऐसी कार्यवाहियां की गई उनसे हम आगे नहीं बढ़े, बल्कि कटुता बढ़ी है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न हमारे सामने हैं उनको हम आपसी मेल-जोल से हल करने का प्रयत्न करें बमुकाबले इसके कि मेरा जवाब यहां नहीं मिलेगा, जनता के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

द्वारा मिलेगा। तो जनता ने तो आम चुनाओं में इसका जवाब दे दिया।

(करतल-ध्वनि)

जनता ने और तरह से भी जवाब दे दिया और आज जनता का इस बारे में भी, मैं समझता हूं, इस चुनाव के अन्दर स्पष्ट तौर से मत प्राप्त हुआ है कि जागीरदारी प्रथा सम्पूर्ण रूप से राजस्थान में समाप्त की जानी चाहिये।

(करतल-ध्वनि)

तो जो जनता के मत का आदर करने का प्रश्न है उस जनता के मत का आदर समग्र जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके किया जावेगा, यह मैं उनसे निवेदन करना चाहता हू क्योंकि जनता के मत का आदर करने का प्रश्न है यह.... ....

(श्री नरेन्द्रसिंह को खड़े होते देखकर)

मैं यह कह कर कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हू जिसके लिए आपको खड़ा होना पड़े।

मैं.... ....

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम): When would you finish the zamindari ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Wait for that.

श्री अर्जुनदास : I am thankful o you for the suggestion. Better, if earlier.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Thank you for the suggestion.

लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया कि हम जनमत की बात कहकर उन चीजों को न कहें तो ज्यादा अच्छा है। कह सकते हैं उसे आप अपनी खुद की भावना, कह सकते हैं और सवाल को। मैं इस बात को मानता हूँ कि जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की वजह से अगर कोई प्रश्न खड़े होते हैं, दिक्कतें खड़ी होती हैं तो उनको दूर करने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। उनको हल करने की तरफ साथ बैठकर हमने सोचा है, आगे सोचेंगे, इसके बारे में इन्कारी हमारी नहीं है। पर जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजपूतों की वीरता के इस तरह के उदाहरण हैं और इस तरह से दूसरी बातें हैं तो इस बात लिए हम भी मानते हैं कि राजपूतों ने महान् के वीरता दिखाई है, राजस्थान का इतिहास बनाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण हिस्सा अदा किया है और आज भी राजपूत जाति से हमारा कोई वैर-विरोध नहीं है, पर इस जागीरदारी प्रथा को और राजपूत जाति को आप स्वयं साथ नहीं मिलावेंगे, तो इतिहास में आगे भी ज्यादा अच्छा होगा। इन दोनों मुद्दों को हमें अलग अलग रखना चाहिए जिसकी वजह से कि जो त्याग की महिमा राजपूत जाति के साथ जुड़ी हुई है वह कायम रहे। आज जागीरदारी प्रथा को और राजपूत जाति को कई बार एक साथ मिला कर कहा जाता है, जो उपयुक्त बात नहीं मालूम होती।

अब यहां पर जो चर्चाएं हुई उनके अन्दर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में करीब करीब, मैं यह कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि अधिकतर सदस्यों ने अपनी बातें कहीं। लेकिन वे बातें ऐसी मालूम हुई कि जैसे चुनाव हो रहा हो और हम भाषण दे रहे हैं। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूँ कि हमने स्वयं ने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जब इस बात को स्वीकार किया, जब श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा कि राजस्थान के अन्दर जो आज भ्रष्टाचार है उसे समाप्त किये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जावेगी, तो मैं समझता हूँ कि उस चीज को एप्रिशियेट करने की आवश्यकता थी और यह समझने की आवश्यकता थी कि उस ओर कदम उठाने के लिए एक निश्चित बात सामने रक्खी गई है। मैं आपसे निवेदन करूं और मैं इस बात को दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि केवल यह बात कहना कि जैसे कई व्यक्ति कहते हैं कि चारों तरफ सरकारी सर्विस में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, यह गलत बात है। आज कई व्यक्ति ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और ईमानदारी के साथ राजस्थान की जनता का विश्वास करने में लगे हैं। इसलिये सारी सर्विस को ही ऐसा समझ लेना गलत होगा। हां, हो सकता है सर्विस के कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार का दोष हो तो इसको दूर करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं इस सम्बन्ध में उपाय कारगर हो सकते हैं। यह समझावें तब तो हमें और आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। तो इस तरह के ठोस सुझाव बहुत कम दिये गये हैं, नहीं के बराबर दिये गये। ज्यादा यही कहा गया कि भ्रष्टाचार फैल रहा है, चारों ओर फैल रहा है। दूसरी कई बातें सामनें आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि हमने इस सम्बन्ध में जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जाहिर होता है निश्चित कदम उठाने के बारे में कार्यवाहियां की हैं। सबसे पहला कदम जो हम लोग उठा रहे हैं वह यह है कि बहुत सीनियर ओफिसर को जिसकी भारत व्यापी प्रतिष्ठायें हैं इस सम्बन्ध में, करप्शन के केसेज के बारे में, उनका नाम है श्री बोम्बे वाला, स्पेशल आई. जी. के तौर पर जिन्होंने दिल्ली में काम किया और अभी केरल में काम कर रहे हैं, काफी सीनियर ओफिसर हैं और जिन्होंने बड़े २ सीनियर ओफिसर्स के करप्शन के केसेज को डिटेक्ट किया है, राजस्थान सरकार ने स्पेशल आई. जी. नियुक्त किया है इस काम के लिए।

(करतल-ध्वनि)

उनके साथ में यह भी निर्णय किया है कि उन्हें और भी अधिकारी, ज्योंही वे यहां पहुंचें, दिये जायेंगे, जिनमें उनका विश्वास हो, हमारा विश्वास हो कि वे करप्शन के बारे में ढिलाई नहीं करेंगे और उनको पूरी तौर पर डिटेक्ट करने की कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ साथ जैसा देखा गया है, करप्शन केसेज में इन्वेस्टीगेशन की स्टेज और प्रोसिक्युशन की स्टेज के लिए जो इन्क्वायरी करनी पड़ती है, उसके लिए यह कार्यवाही की जा रही है कि प्रोसिक्युशन के लिए अच्छे व्यक्ति नियुक्त किये जावें जिससे अगर केस आगे चालान किये जावें तो वे सफल हों क्योंकि उनकी असफलता से एक डिमोरेलाइजेशन होता है और जो असर हम चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की बातों के लिए सोच-विचार चल रहा है क्योंकि ये दिक्कतें सामने आती हैं। बहुत सी बार देर लग जाती है और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि जिनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही हो उनको उस जगह से हटा दिया जाये और फिर उस सम्बन्ध में इन्क्वायरी को पूरा किया जा सके तो उस पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्य-

Page No.29

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वाही की जावेगी और सरकारी नियम और विधान को सामने रखते हुए जितना वास्तविक होगा करप्शन के केसेज़ सख्ती से खत्म किये जावेंगे और रुकावटों को दूर किया जावेगा, जिसमें जो रुकावटें सामने आती हैं वे न आ सकें।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि करप्शन होता है और उसको डील करने का जहां तक सवाल है यह हम मानते हैं कि करप्शन के लिए जो कारण होते हैं उन कारणों को डील करना पड़ेगा क्योंकि यदि एक साइड पूरी होगी तो दूसरी अधूरी रह जावेगी। उस पर भी विचार किया जा रहा है। इस प्रश्न पर विचार किया गया है; जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको निवेदन करूं कि कुछ अधिकारी यदि दौरे पर जाते हैं तो उनके सबार्डिनेट वहां पर उनके लिए पार्टी अरेन्ज करते हैं, जिसका मतलब यह है कि सबार्डिनेट से यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो पार्टी अरेन्ज करता है वह अपने पास से करता है किन्तु वह कहीं न कहीं से प्राप्त करता है। उसके लिए निर्णय लिया जा सकता है कि कोई राजस्थान सरकार का आफिसर अपने सबार्डिनेट से पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगा और यदि करेगा तो वह उसके कन्डक्ट के खिलाफ होगा।

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : Officers include Ministers or not?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आफिसर्स में मिनिस्टर्स नहीं आते हैं। आफिसर्स के यहां पर मिनिस्टर्स भी दावतों में नहीं जावेंगे, यह आप मानकर चलें।

(करतल-ध्वनि)

दूसरा मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि रात-दिन सवाल सामने आते हैं; पी. डब्ल्यू. डी. की दिक्कतें हैं, बिजलीघर की दिक्कतें हैं, तो जानकारी से ऐसा मालूम होता है कि कॉन्ट्रेक्टर्स के बिल चुकने बाकी रह जाते हैं, बहुत से बिल ऐसे होते हैं जो नहीं चुक पाते, तो उसके लिए हम एक स्पेशल प्रोसीजर ले डाउन करने पर विचार कर रहे हैं कि इतने निश्चित समय पर जो कुछ भी इस विषय में हो आफिसर अपनी फाइल पर लिख दे। यदि पेमेंट करने की बात हो तो लिख दे और दूसरी हो तो लिख दे क्योंकि प्रोसिजर की बात चलती है तो जितना किया जा सके, जितना डेलीगेशन आफ पॉवर्स समझा जाय नीचे के लिए, उस पर सोच विचार कर ये दिये जावेंगे। बहुत सी बातों में दिक्कतें मालूम होती हैं, गांवों में मुश्किलें मालूम होती हैं तो उसमें ग्राम पंचायतों को एसोसियेट किया जा सकता है और उस पर विचार भी किया जा रहा है; जैसे फोरेस्ट के लिए एक किसान जाता है, वह नाकेदार से डील करता है, पटवारी से डील करता है, उस पर जो सुधार किये जा सकते हैं जिससे ग्राम पंचायतों को पिक्चर में लाया जाय और इस प्रकार की दिक्कतों का कम से कम अवसर प्राप्त हो सके उस पर हम विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं जल्दी ही सदन के सामने वे बातें आ जावेंगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जब यहाँ पर ये बातें चलीं तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि सर्विसेज के अन्दर बहुत कुछ पोलिटिकल इन्फ्ल्युएन्स पैदा हो गया है। यह भी कहा गया है कि सर्विसेज़ सिक्योरिटी फील

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं करती। मैं आपसे निवेदन करूं कि पिछले साल सर्विसेज के लिए राजस्थान में ज्यादातर नियम बना दिये गये हैं और जो रूल्स हैं और जो कमेटीज बनाई गई हैं आमतौर पर उनमें पी. एस. सी के मेम्बर्स बराबर एसोसियेटेड रहते हैं, सेक्रेट्रियेट से और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट होते हैं और वे सब सिलेक्शन करते हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी में एक भी एक्ज़ाम्पल नहीं है कि इन कमेटियों ने अपनी तरफ से सिफारिश की हो और गवर्नमेंट ने उसको टर्न डाउन कर दिया हो। उनको आमतौर पर माना गया है और इससे सर्विसेज में सिक्योरिटी फील हुई है और आज से कुछ समय पहले जो सिलेक्शन, प्रोमोशन के संबंध में जो उथल-पुथल थी आज वह नहीं है, यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं। हां, कुछ ऐसे केसेज मिलेंगे जिनमें फिक्सेशन होना बाकी है, खास तौर पर नोन गजटेड कर्मचारियों के बारे में। तो उनके लिए रूल्स बनने चाहिए और उनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है जिसके अनुसार चला जाय और अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँ तो उपयुक्त होगा कि मुझे यह देख कर संतोष होता है और सबको संतोष हुआ है, चुनाओं से अभी लौट कर आये हैं, लौट कर आने के बाद एक—आध माननीय सदस्य के अलावा सर्विसेज के बारे में किसी ने नहीं कहा है, सर्विसेज में पोलिटिकल इन्फ्ल्युएन्स है, इसके संबंध में चुनावों से जीत कर आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में जो उनके पहले भाषण हैं, जो नहीं कही है और चूंकि मैंने कह दी है और उन्होंने पहले भाषणों में कही थी तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके पहले भाषणों के जो उद्गार सामने आये हैं, वे उनके पहले उद्गार हैं, तो यह बात है। पोलिटिकल इन्फ्ल्युएन्स हुआ है, यह दूर करने की बात है। कोई कोन्करीट बात नहीं कही गई है जिसको कि मान कर चलूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऑफिसर्स को बम्बई या बाहर भेज दें, ट्रेनिंग लेकर आयें और बाहर से सेक्रेटरीज को बुला लें तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और मैं समझता हूँ कि हमारे यहां पर जो सेक्रेटरीज हैं, हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट्स हैं, कई काबलियत की स्टेज पर पहुंचे हुए हैं, जिनमें सबको ट्रेनिंग में भेज देना आवश्यक नहीं है। इन लोगों ने पिछले वर्ष में राजस्थान में जो कुछ काम किया है वह काम कई जगहों के मुकाबले में ठीक समझा जा सकता है और अध्यक्ष महोदय, आज के दिन उनके कार्यों की कसौटी करने के लिये हमारे सामने कुछ आधार हो सकते हैं। उनमें प्लान का इम्प्लीमेन्टेशन एक बहुत बड़ा हमारे सामने आधार है जिसके बेसिस पर हम उनको नाप तौल सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह उन लोगों के प्रति न्याय नहीं होगा जो राजस्थान में ईमानदारी से चल रहे हैं। हमें उन लोगों के लिये न्याय करना है। जो यहां खड़े होकर उनके बारे में कुछ कहते हैं वे बिना उपयुक्त आधार के कुछ कहें तो यह उपयुक्त नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर भाषण देते हुए एक माननीय सदस्य ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विषय में सरकार ने ध्यान कतई नहीं दिया। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शायद कुल मिलाकर साल भर का अर्सा हुआ होगा, साल भर के अरसे के अन्दर जिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन जहां पहले

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उनके हाइएस्ट पर कहूँ तो उपयुक्त होगा, हाइएस्ट राजस्थान सर्विसेज के जो आदमी हैं उनके कम्पेरिज़न से आभास होगा कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जो हाइएस्ट वेतन ४५ रु० था, इन्क्ल्युडिंग डियरनेस अलाउन्स एक साल पहले, लेकिन आज उन्हीं फोर्थ क्लास कर्मचारियों का हाइएस्ट वेतन ४५ रुपये से बढ़कर ६५ रु० हो गया है। आज राजस्थान को बने ८ वर्ष हुए लेकिन एक वर्ष फोर्थ क्लास पर कॉन्सेन्ट्रेट करके इतना इन्क्रीज साल-सवा साल में किया है, यह बात सदन के सम्मुख आई है इसको सामने रख कर चलें तो राजस्थान एडमिनिस्टेटिव सर्विस में जहां १४०० रुपये हाइएस्ट मिलते थे वहां उनके १५०० रुपये किये हैं और उधर ४५ से ६५ हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस दिशा की ओर हम बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा सदन को जानकारी है कि जिनको २५.० रुपये से कम वेतन मिलता है उनके बच्चे-बच्चियों की शिक्षा के लिये यह नियम बनाया गया है कि उनको निःशुल्क शिक्षा दी जायगी चाहे वे कहीं भी पढ़ते हों। इससे समझ में आ सकता है। आप जिस चीज की चर्चा करते हैं उस समय राजस्थान की आर्थिक स्थिति को भी सामने रखते हुए करें तो अच्छा हो। आर्थिक स्थिति जल्दी ही ४-५ दिन में आपके सामने आयेगी। जितनी आवश्यकता आज के दिन हो सकती है कि हम आगे बढ़ें उतना बढ़ने का प्रयत्न किया है। उनकी शिक्षा में और रहन सहन में जितना सुधार हो सके वही उचित होगा लेकिन जिस समय सोचें उस समय राजस्थान के साधनों को भी सामने रखकर चलना होगा। इस सदन के सामने थोड़े से टेक्स का सवाल आवे तो आप उसे पसन्द नहीं करेंगे और साथ ही आप चाहते हैं कि कम से कम १०० रुपये वेतन कर दें। किसी सदस्य ने कहा कि १० करोड रुपया उधर के लोगों के लिए लगायें। सीकर से जो सदस्य आये हैं, वे कह रहे थे, मैं पूरा नहीं समझ पाया। लेकिन बजट आपके सामने आयेगा। उसके आंकडों को, तथ्यों को पूरे तौर से गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि आज के दिन १०० रुपये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो के कर देना संभव नहीं मालूम पड़ेगा। कोई भी यहां आकर बैठे उनको यह असंभव सी बात प्रतीत होगी। लेकिन उनकी तरक्की जितनी होनी चाहिये साधन को देखते हुये, उतनी करने से इन्कारी नहीं है और आशा रखते हैं कि ऐसे साधन पैदा हो सकें जिससे फोर्थ क्लास सर्वेन्टस और कलर्क्स को ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कर सकें, ऐसा सदन मान कर चलेगा ऐसी मैं आशा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, लॉ एन्ड ऑर्डर के सम्बन्ध में यह कहा गया कि लॉ एन्ड ऑर्डर को कायम रखने में जो दूसरे आदमी मदद करते हैं उनको धन्यवाद भी नही भेजा जाता और कहते हैं कि मदद करो। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि कइयों ने इस सिलसिले में मदद की है और जो मदद करें वे हमेशा धन्यवाद के पात्र हैं। इससे इन्कारी नहीं है और मैं आगे के लिए भी कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर में जो मदद देंगे वे हमेशा धन्यवाद की आशा कर सकते हैं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर में मदद देने के स्थान पर उसे बिगाड़ने में मदद नहीं दें........

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं धन्यवाद को लेना नहीं चाहता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि चोरियों की रिपोर्ट भी पहले नहीं करते । मैं समझता हूं, चोरियों की रिपोर्ट नहीं करने के सम्बन्ध में यदि यह बात सही है तो पहले भी जबसे क्रिमिनल केसेज़ की रिपोर्ट आती है उस समय पूरी डिटेल्स रिपोर्ट में आती हैं । इस प्रकार की बातें बराबर ६ साल से सदन में सुनने में आ रही हैं । अगर कुछ केसेज़ की आज रिपोर्ट नहीं होती है तो पहले भी नहीं होती होगी, लेकिन घटनायें कम हुई हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । मैं समझता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में मदद देने की बात कही गई है उस सम्बन्ध में एक बात कह दूं तो अनुचित नहीं होगा । कई बातें ऐसी हैं जिनमें थानेदार को पीट देते हैं, एडीशनल कलेक्टर के मकान में घुस कर मार पीट कर देते हैं, कुर्सियें तोड़ देते हैं, और सिपाहियों को पीट देते हैं । ये सारी घटनायें हो जावें और लॉ एंड ऑर्डर के अन्तर्गत उनके खिलाफ यदि मुकदमा चलाया जाय तो उस वक्त कहा जाता है कि उनको छोड़ दो और नहीं छोड़ते हैं तो भूख–हड़ताल करते हैं । इसी तरह की भूख–हड़ताल आज शुरू कराई गई है । मैं समझता हूँ ऐसी हमदर्दी दूर रखेंगे तो ठीक रहेगा । लॉ एंड ऑर्डर में खराबी न हो, इसलिये मुक–दमें चलाये गये हैं । मेरा इशारा आईदान-सिंह जी की तरफ है जो भूख हड़ताल करते हैं ; पहले जिन्होंने मारपीट की उन पर से मुकदमा हटा लो, नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि भूख हड़ताल की धमकियों से मुकदमें चलाने बन्द नहीं होंगे....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर, सर, अभी आईदान-सिंह जी का नाम लेकर यह फरमाया कि उन्होंने मारपीट की.... ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने मारपीट की । लेकिन जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ जो मुक-दमें चलाये जा रहे हैं उनको नहीं चलाने के लिए कहते हैं ।

राजराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जल्दी ही उनका फैसला हो जावे, यह चाहते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज के दिन जो स्थिति राजस्थान की है वह लल बिफोर स्टोर्म (Lull before storm) है । मैं नहीं समझता कि कौन-सा स्टोर्म पैदा होने वाला है । लेकिन कोई भी स्टोर्म, मैं समझता हूं, जैसा कहा गया उनके तरीके से, वैसा पैदा हुआ तो उसको रोकना पड़ेगा और मजबूरी से रोकना पड़ेगा । लेकिन यदि आम जनता में रोष पैदा होगा तो उसके लिए सतर्क रहने वाले हैं । हम स्वयं जनता की तरफ से आये हैं और जनता के मानस को जानते हैं । उनके अभाव–अभियोगों को दूर करने के लिये हम लोगों का दिमाग लगा हुआ है । जिस स्टोर्म की आप आशा करते हैं वह आसानी से नहीं आने वाला है । इसकी चर्चा पहले भी हुई है लेकिन धीरे-धीरे कम होती जा रही है और आगे भी इसके बादल कम हो जावेंगे और कोई गुंजा-इश नहीं रहेगी ।

फूड सिचुएशन के सम्बन्ध में भी काफी कहा गया और जो बातें कही गई उनके सम्बन्ध में जानकारी मैंने करवाई है । इस

Page No.33

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

समय राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर क्या भाव है फूड या धान के उनकी जानकारी प्राप्त की जावे। उनको सदन के सम्मुख रखूं तो उपयुक्त होगा। जो जानकारी कल रात तक आई है उससे मालूम होता है कि इस समय कहां पर क्या भाव हैं। गेहूं का भाव अजमेर में १५ से १६ के करीब बतलाया है, बीकानेर में १७ से १६ रु., कोटा में साढ़े पन्द्रह से साढ़े सत्रह रुपये, जोधपुर में १७ से १६ रु, पाली में १५ से १६ और बांसवाडे में १५ से १६ बतलाया गया है। मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है, जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। यह ठीक है कि इस वक्त गेहूँ की नई फसल मार्केट में नहीं आई है इसलिए कुछ भावों में तेजी है लेकिन जो कुछ दिनों से भाव ज्यादा थे, उसमें निरन्तर कमी आती जा रही है और मैं ऐसा समझता हूं कि जो स्टोक्स जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में और बीकानेर में निकट भविष्य में पहुंचने वाले हैं, उस सब स्टोक के हमारे पास होने की वजह से राजस्थान में भावों के बारे में, गल्ले की कमी के बारे में शंका-आशंका सदस्यों के मन में हैं, मैं समझता हूं वह स्टोक रहने का कारण नहीं रहेगी। राजस्थान में भाव इस प्रकार होंगे कि सब लोग आसानी से अनाज खरीद सकें और उनको दिक्कत न हो। इससे ज्यादा विषय में विवेचन करना, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि लोकल बोडीज़ को मदद दे देनी चाहिये कि जिसकी वजह से काम तेजी के साथ हो सके। उस दिशा में अभी जो मसूरी में कॉन्फ्रेन्स डेवलपमेंट कमिश्नर्स की हुई, उसमें विचार हुआ है और हम भी विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान में जो पंचायतें हैं उनको किस प्रकार से हम ज्यादा ताकतवर बना पायें। इस दिशा में कार्य किया जायगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। उन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि बम्बई स्टेट में माही के पास कनाडा बांध बन रहा है, उससे कई गांव डूब में आ जायेंगे। मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है और हम बम्बई सरकार और दिल्ली सरकार से बात करेंगे कि उसकी वजह से गांव ज्यादा डूब में न आयें तथा इस प्रकार से बांध बन सकें जिससे लोगों को दिक्कत पैदा न हो।

एक माननीय सदस्य जो सामने बैठने वाले हैं, ने कहा कि शहर बढ़ रहे है और गांव छोटे हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है स्वतन्त्रता के बाद और खास तौर से जो विकास की योजनायें शुरू हुई उसके बाद सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि आज गांवों में सबसे ज्यादा प्रगति हुई है। आज जो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, एक्सटेन्शन ब्लोक्स चलते हैं, उनको जाकर हर आदमी अपनी आंखों से देख सकता है कि गांवों में प्रगति ज्यादा हुई है। आज सड़कों का निर्माण, सिंचाई के काम गांवों के लाभ के लिए हो रहे हैं। माननीय सदस्य क्षमा करें, सिंचाई शहरों में नहीं होती, सिंचाई के लिए जो बांध बनते हैं, वे गांव वालों को लाभ पहुँचाने वाले होते हैं और दूसरी पंच वर्षीय योजना में जो करोड़ों रुपया अनेक योजनाओं में रखा गया है, वह सिंचाई के लिए रखा गया है, सड़कों के निर्माण के लिए रखा गया है, स्कूलों के लिए, औषधालयों के लिए,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कॉम्युनिटी प्राजेक्ट्स के लिए रखा गया है। ये सब योजनायें गाँव वालों को फायदा पहुंचाने वाली हैं। हम जानते हैं कि भारतवर्ष और राजस्थान का असली रूप गांवों में बसता है, हमें किसानों की हालत सुधारनी है और उनकी हालत सुधारना ही हमारा लक्ष्य है। हम इस ओर जागरूक हैं और आगे भी उनकी हालत सुधारने के लिए कार्यवाही की जायगी ताकि गांव वालों के अन्दर आगे बढ़ने की भावना रहे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो कुछ रुपया सड़कों के लिए रखा गया है, स्कूलों के लिए रखा गया है, बाँधों के काम के लिए रखा गया है, वह कम है। रुपया कम है, यह कहा जाय तो मैं समझता हूं उसमें किसी से मुझे मतभेद प्रगट करने का सवाल नहीं है। हम कह सकते हैं कि रुपया कम है और यह ज्यादा होना चाहिये लेकिन हमें एक बात याद रख कर चलना है कि जो रुपया प्लान में प्रोवाइड होता है वह रुपया अखिल-भारतवर्ष की योजनाओं को सामने रख कर तय किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान ने जो योजनायें भेजीं, वे ज्यादा थीं लेकिन जो अखिल भारतीय प्लान तय हुआ उसके अन्दर राजस्थान व अजमेर के लिए १०५ करोड़ रुपये का प्लान तय किया गया है। वह जो १०५ करोड़ रुपया तय किया गया है वह निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि हम राजस्थान के रिसोर्सेज़ बढ़ायें। अगर राजस्थान के रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो मैं मानता हूँ कि हमारे जो प्लान आज १०५ करोड़ रुपयों का है, उस १०५ करोड़ रुपये के अन्दर, राजस्थान केनाल योजना, जिस योजना के बारे में आप सुनचुके हैं और जो तय हो चुकी है, नहीं है, वह इसके अलावा है। इसके अलावा भी और भी कई योजनायें चल रही हैं जो इस प्लान में जुड़ेंगी। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि जो १०५ करोड़ रुपये का प्लान है, वह आगे बढ़ेगा लेकिन आज सड़कों के लिए, तालाबों के लिए, अन्य योजनाओं के लिए रुपया बढ़ाना राजस्थान के अकेले के हाथ की बात नहीं है, यह रुपया उस हालत में बढ़ सकता है कि जो योजनायें हैं, उनको पूरा करने के लिए राजस्थान के रिसोर्सेज़ इतने बढ़ जायँ कि हम कह सकें कि हम अपने रुपये जो राजस्थान के अपने काम में लगाना चाहते हैं, तभी रुपया बढ़ाना सम्भव है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो स्थिति है हमारे सामने, उसको देखते हुए, उस प्लान को बढ़ाना मुश्किल है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जिस इलाके से हम आते हैं, वहां सड़कों की व्यवस्था नहीं है, किसी ने कहा कि वहाँ अमुक व्यवस्था नहीं है, हमें यह बात नहीं देखनी है। एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि डेवलपमेंट कमेटी ने जो प्लान दिया था, वह प्लान इस योजना में नजर नहीं आता। मैं निवेदन करूँ, अध्यक्ष महोदय, जो प्लान डेवलपमेंट कमेटी ने बना कर भेजे हैं, उस प्लान को हम धीरे-धीरे कार्यान्वित करें सो जहां तक मुझे याद आता है, करीब टोटल ६०० करोड़ रुपये की जरूरत होती है। यह पंच वर्षीय योजना केवल १०५ करोड़ रुपये की है, जब कि प्रपोजल ६०० करोड़ के थे। अब आप सोचिये कि उन सबको पूरा कैसे किया जा सकता है? जो प्रजोजल हमारे पास आये, उनकी पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने कांट छांट की, उसके बाद गवर्नमेंट आफ इण्डिया के प्लानिंग कमीशन में जाने के बाद, उनका, अखिल भारतवर्ष की योजनाओं को सामने रख कर निर्णय किया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गया । मैं समझता हूं, आज जो प्लान है, उसमें अगर कोई माननीय सदस्य यह बतायें यहां सदन में ही कहने का सवाल नहीं है, वे हमें बतायें कि अमुक सड़क अनावश्यक है, अमुक बांध अनावश्यक है, दूसरी सड़कें आवश्यक हैं दूसरे बांध आवश्यक हैं, तो परिवर्तन आज भी सम्भव है। इन योजनाओं पर हर वर्ष रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि १० मील कोई सड़क बन चुकी है और कोई माननीय सदस्य कहें कि दूसरी जगह सड़क का निर्माण करें, तो वह सम्भव नहीं होगा। हमें पहले उस सड़क को पूरा करना होगा। नये काम करने का प्रश्न सही है, हम उस पर विचार कर सकते हैं। इसी प्लान के सम्बन्ध में मैं अगर निवेदन करूँ तो गलत नहीं होगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान के अन्दर पहले तीन साल के अन्दर कोई ज्यादा खर्च, योजनाओं पर खर्च नहीं हो पाया और बाद के दो साल में काफी खर्च हो गया, अनाप-शनाप खर्च कर दिया गया दीखता है। मैं अर्ज करूं माननीय सदस्यों को कि सदन द्वारा नियुक्त पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बैठी है जो हर चीज को बारीकी से देखती है, दूसरे एकाउन्टेन्ट जनरल बैठे हैं, जो कि हमारे शासन का हिस्सा नहीं है वे बैठकर देखते हैं। इसके अलावा जो प्लानिंग कमीशन है, वहां से अफसर आते हैं और इस प्रकार बराबर देख रेख होती है, जो काम हम करते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में यह कहना माननीय सदस्यों द्वारा, कि रुपया यों हीं खर्च हो गया होगा, मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं मालूम होता। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारी की सारी चीजों पर निरन्तर विचार किया गया है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में रुपया लेप्स हो गया, यानि कम खर्च हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पहली पंचवर्षीय योजना में करीब ८० प्रतिशत रुपया खर्च किया। मैं समझता हूं कि सारे भारतवर्ष का जो एवरेज प्लान एक्सपेन्डीचर आयेगा, उसमें राजस्थान पीछे रहने वाला नहीं है और मैं समझता हूं कि पहली पांच सात स्टेटों में राजस्थान स्टेट आयेगी, उसमें राजस्थान का पांचवा-सातवा स्थान होगा। इसी प्रकार ऑल इण्डिया के कॉम्युनिटी प्रोजेक्टस और एक्सटेन्सन ब्लोक्स को देखें तो उसके अन्दर भी राजस्थान भारतवर्ष के पहले तीन-चार राज्यों में आता है। मैं समझता हूँ कि आज जो महानुभाव वहां जाते हैं, वे आसानी से समझ सकते है, कि कितना काम किया गया है। जो एस्टीमेट कमेटी बनी है वह देख सकती है कि हमारे यहां जो खर्च किया जाता है, वह वेस्ट होता है, या ठीक तरह से होता है। आज गावों में हाई स्कूल खोले गये हैं, अस्पताल बनाये गये हैं, सड़कें बनी हैं, बांध बने हैं, वे हमारे सामने हैं, भाखरा नांगल का जो काम हुआ है वह भी हमारे सामने है, ...

१-म० प०

आखिर यह कह सकते हैं कि इसमें और ज्यादा ठीक करने से और ज्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन रुपया लगा ही नहीं, कहीं लगा होगा वहां रुपया यों ही खर्च हो गया, ये बातें उपयुक्त नहीं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इकोनोमिक डेवलपमेंट में भारतवर्ष में इतना

Page No.36

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लगा, उसका भरतपुर में तो अन्दाज ही नहीं हो पाया। सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यह कैसे कहा? जो नया खर्चा हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, देश में, वहां कोम्युनिटी प्रोजेक्ट, इरिगेशन वर्क्स होते हैं और भरतपुर जिले का सवाल लें तो राजस्थान बहुत बड़ा पार्वती डेम भरतपुर में बन रहा है। तो मैं समझता हूं, कोई कारण नहीं उपस्थित होता ऐसा कहने का। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि कुछ जिलों में कुछ ज्यादा होता है और दूसरी जगह बहुत कम होता है। मैं स्पष्ट कर दूं सबसे। जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पचवर्षीय योजना है उसको लें। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी योजनाएं पहली चंबल योजना, दूसरी भाखरा योजना और तीसरी राजस्थान केनाल हैं। जहां तक भाखरा का संबन्ध है २७ करोड़ रुपया भाखरा की योजना पर खर्च होता है। ज्यादा से ज्यादा पावर के माने में सीकर और नागौर को पोवर मिलेगा, इस चीज को छोड़ दें हमारे सामने से तो पच्चीस करोड़ समझ लें। No, I am sorry ३३.७ करोड़ रुपया कुल भाखरा की योजना पर खर्च होता है उसमें से एक दो करोड़ इधर उधर का, उसको निकाल ने के बाद ३० करोड़ रुपया बीकानेर डिवीजन पर खर्च होने वाला है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं अर्ज करना चाहदा हूं कि बीकानेर राजस्थान के बड़े शहरों में से पहला शहर होगा जहां हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर जायगी भाखरा की। राजस्थान केनाल की योजना से बीकानेर को फायदा होने वाला है। वह बीकानेर से ४०-५० मील की दूरी पर जाने वाली है। इसका असर बीकानेर पर होगा। कुछ सदस्यों ने कहा कि टीबों पर ध्यान नहीं दिया गया है, पर मैं आपसे निवेदन करूं कि टीबे रहेंगे ही नहीं, ४० लाख एकड जमीन ऐसी होगी जो लहलाती होगी, टीबों को लहलाती जमीन में बदलने का काम सरकार कर रही है। मैंने बताया कि ४० करोड़ के लगभग उधर खर्च होने जा रहा है।

चम्बल योजना में, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों को विदित है, पावर पर ६.५३ करोड़ और इरिगेशन पर ७.४ करोड़ खर्च किया जा रहा है तो यह १३ करोड़ रुपयों का लाभ अधिक से अधिक कोटा डिवीजन को होने वाला है। कोटा डिवीजन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा डिवीजन को इग्नोर किया गया है, इसकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोटा डिवीजन पर ध्यान नही देने का प्रश्न ही नहीं। कहा जाता है कि अमुक अमुक जगह काम नहीं हुआ। झालावाड़ के लिए खास तौर से कहा गया कि वहां कुछ भी कार्य नहीं हुआ। मैं अर्ज करूं झालावाड़ में २६.७४ लेक्स (लाख) का काम हुआ है, सड़कों पर खर्चा हुआ है, इरिगेशन पर खर्च हुआ है और यह कुल मिलाकर २६.७४ लेक्स का खर्चा झालावाड़ पर किया गया है।

एक महानुभाव ने फीगर्स चाहे कि कितना कितना रुपया पर केपिटा (per-capita) राजस्थान पर खर्च हुआ। इसके लिए मैं आपको आंकड़े दूंगा। इसमें भाखरा और चम्बल का खर्चा नहीं है, इसे अलग रखा गया है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जयपुर में, मय स्टेट सेक्टर पर खर्चा हुआ है जिसका टोटल करीब २० करोड़ रुपया आता है। कुछ डिटेल की बातों को न लें तो १६.३ आता है। इसके बाद भरतपुर के सम्बन्ध में कहा गया कि किसी विकास योजना का असर भरतपुर पर नहीं हुआ है। मैं अर्ज करूं कि भरतपुर पर जो खर्चा हुआ वह १७.७४ आता है। उदयपुर जिसके बारे में बहुत कहा जाता है कि वहां बहुत ज्यादा खर्च किया गया है वहां आता है १२.२०। डूंगरपुर के लिए भी बहुत चर्चा की जाती है वहां आता है १३.३६. बांसवाड़ा में ११.०२ कोटा में १३.०७, बूंदी में २८.०६, झालावाड़ में ६.५१, भीलवाड़ा में २६.२१, जोधपुर में २१.५६, पाली में ३५.३१, ये कुछ जगह हैं।...

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं उसके लिए क्षमा किया जाय। आप टोंक को क्यों भूल गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टोंक का १४.५४।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपने सीकर के लिए कुछ नहीं कहा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसकी कॉपी आपको दे दूंगा जिससे कोई दिक्कत नहीं आयेगी। मैं यह भी अर्ज करूं अध्यक्ष महोदय, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रत्येक जिलेवार प्लान बनाकर प्रत्येक सदस्य को देंगे जिससे प्रत्येक सदस्य को जानकारी हो जाय।

राव राजा श्री सरदारसिंह : चम्बल की नहर हमारी तरफ तो आने वाली नहीं है फिर....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो यह कॉपी है उसमें काफी फीगर्स दिये हुए हैं, जो मैं आप सबको दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर एक सवाल उठाया गया और वह बात ठीक भी है। कहा गया कि आज रोटी, कपड़ा और रोजी के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? हमें फीगर्स नहीं चाहिये, कुछ नहीं चाहिये, पर इस तरह की सूचना चाहते हैं कि रोटी, रोजी और कपड़े के लिए सरकार क्या कर रही है ? मैं निवेदन करूं कि इस दृष्टिकोण से हमारा मतभेद नहीं, हम भी इसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं कि देश का आर्थिक विकास हो। देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। मैंने फीगर्स आपके सामने रखे और जो आगे पांच वर्ष में किया जाने वाला है और उससे आगे करने वाले हैं, इससे स्पष्ट है कि राजस्थान एक ऐसे विकास की ओर जा रहा है कि जिससे राजस्थान का आर्थिक जीवन निश्चित रूप से ऊपर उठेगा। यह मैं नहीं कहता कि ५ वर्ष में ही हो जायगा लेकिन राजस्थान के अन्दर आने वाले १०.१५ वर्षों में यह हो सकता है क्योंकि आज जो राजस्थान केनाल पर खर्चा किया जा रहा है उससे ६१-६२ में जाकर इरिगेशन शुरू होगा, पेरेनियल इरिगेशन है वह ६१-६२ में जाकर शुरू होगा। तो आने वाले १०-१५ सालों में कहिये, करीब ५० लाख एकड़ नई जमीन इरिगेशन में आने वाली है, इसकी पोटेन्शियलिटी शायद दूसरे किसी स्टेट में नहीं मिलेगी। ५० लाख एकड़ जमीन पर काम करने के लिए हमें आदमी चाहियेंगे जो दूसरी जगहों से जाकर बस सकें।

Page No.38

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हमारे यहां रीहैबिलीटेशन की चर्चा की जाती है। मैं हमेशा उनसे अर्ज करता हूं कि हमारे राजस्थान में जहां इतना पानी आने वाला है कि ३० लाख एकड़ जमीन तो जैसलमेर के टीबों की ओर बीकानेर में ३०-३०,४०-४० माइल में पानी नहीं है, बीकानेर के टीबों की जमीन उस पानी से सींची जायगी। वहां हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बसें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यह समस्या राजस्थान में हल होने वाली है। राजस्थान में एम्पॅलायमेन्ट के बारे में सुधार होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज मंहगाई है, गरीबों को मुश्किल है। इसके अन्दर राजस्थान में क्या स्थिति पैदा हो रही है ? मैं आपसे निवेदन करूं तो गलत नहीं होगा। मैंने इस बात की कोशिश की, जांच करने की कोशिश की कि दर असल राजस्थान में जो पहले १९५०-५१ के अन्दर जैसा हम यह कहें कि जो लिविंग इन्डेक्स था उसके कम्पेरिज़न में आज ओर्डिनरी वेज अर्नर पी० डब्ल्यू० डी० का नोन स्किल्ड लेबर को लेकर चलें तो आपको मालूम होगा कि वह आज कहां कम्पेरेटिवली स्टेन्ड करता है, तो इसके संबन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम १९४९ को बेस बनाते हैं तो उसके मुकाबले में जो अभी हमारी प्राइस लेवल है, अगर १९४९ में १०० थी तो आज ९१ है। जो १९५० में वेजेज़ थीं उनके कम्पेरिज़न में नोन स्किल्ड लेबर पर तो पहले से २२ परसेन्ट हाइयर है। जो काम करने वाले हैं उसके अर्निंग में क्या इन्क्रीज होगा, वह टेस्ट हो सकता है। इसी टेस्ट की दृष्टि से मैंने मिसाल रखी है। आज आपको खेतों पर काम करने वाले देहाती मामूली तौर से, आसानी से नहीं मिलते हैं। उसकी वजह से यह पंच वर्षीय योजना है, जिसके कारण एम्पलायमेन्ट बढ़ा है। लेकिन जैसा मैंने आपको अर्ज किया पहली पंच वर्षीय योजना के बाद यह दूसरी योजना शुरू हुई है और उनके लिये यह रास्ता खुला है।

यहां इस बात की तरफ इशारा किया गया कि प्रतापसागर डेम को पूरा करने के लिये जल्दी से जल्दी सरकार कोशिश करे ताकि राजस्थान में बिजली की जो जरूरत है, उसकी जो कमी है वह पूरी हो जाए। मैं इस बात को मानता हूँ कि चंबल की योजना के बाद प्रतापसागर डेम की बहुत जरूरत है। मुझे हर्ष होता है कि हमने नेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके प्लानिंग कमिश्नर को भेज दी है और जल्दी से जल्दी हम दूसरी योजना में, प्रतापसागर डेम को शुरू कर देंगे जिससे कि आगे चल कर ३७,००० किलोवाट बिजली तैयार होकर हमको प्राप्त हो सकेगी।

राजस्थान में उद्योग की तरक्की पहले कम होती थी और उसकी तरफ कम लोग आकर्षित होते थे। लेकिन पिछले वर्षों में हमने कुछ काम किया है और आज कोटा में नायलन फेक्ट्री और रायन फेक्ट्री काम करने के लिये खुली है उनके लाइसेन्स की कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा राजस्थान में आज एशिया की सबसे बड़ी सीमेन्ट की फेक्ट्री (कारखाना) सवाई माधोपुर में है जहां कि साल में ९ लाख टन सीमेन्ट तैयार होता है। लेकिन हमारे यहां राजस्थान में पावर की आवश्यकता है और हम लोग इसके लिये काफी सतर्क हैं। फर्टिलाइजर

Page No.39

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जिपसम फेक्ट्री के बारे में जो जिप्सम हमारे यहां होता है और बाहर चला जाता है उसको किस तरह से यहां पर कार्य में लिया जावे इसके लिये हमने प्रयत्न किये हैं और मैं माननीय अध्यक्ष, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगे भी प्रयत्न करेंगे। हम भी मानते हैं कि हमारे यहां पर यह बहुत काफी मात्रा में पैदा होता है इसलिये इसके बारे में उद्योग शुरू करना चाहिये और मैं आशा करता हूँ कि भाखरा से बिजली आने के बाद इस काम को शुरू किया जा सकता है। इसी प्रकार खेतड़ी की कॉपर माइन्स के बारे में भी आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

भारत सरकार की तरफ से सेक्टर की बात शुरू हुई है क्योंकि हेवी इन्डस्ट्रीज़ की जरूरत है। जावर माइन्स के बारे में भी और जिन्क और लीड के बारे में भी कार्यवाही चल रही है।

इसलिये आज जो सरकार कर रही है इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पहले लोगों का जो संशय था वह समाप्त हो गया है और लोग बाग आगे बढ़ने लगे हैं।

माननीय अध्यक्ष, इस सदन में शिक्षा के बारे में काफी सुझाव दिये गये हैं। एक माननीय सदस्य, जो मावली से आते हैं, उन्होंने शिक्षा पद्धति के बारे में जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि जो बातें उन्होंने कहीं उनकी तरफ ध्यान देकर कि विश्वविद्यालयों की तरफ से क्या हो सकता है और परीक्षा पद्धति में क्या किया जाना चाहिये, मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है और वह है पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण। जो कुछ भी होगा वह कुछ अर्से में आपके सामने आवेगा और जो परीक्षण इस बारे में हम कर रहे हैं, उसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय भी दिलचस्पी ले रहा है और उसकी मान्यता है कि राजस्थान में जो कुछ किया जा रहा है उसकी सफलता को देखकर दूसरी जगह प्रयोग किया जावेगा। शिक्षा के संबंध में एक नहीं, कई सुझाव आये। इस संबंध में मैं केवल यही कह दूं तो उचित होगा कि जो सुझाव दूसरे विभागों और शिक्षा विभाग के बारे में आये हैं उनको आप सब लोगों ने सुना है। उस पर हम लोग ध्यान देकर आगे अग्रसर हो सकते हैं और उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा जो किया जा सकेगा वह करने का प्रयत्न करेंगे।

अन्त में मैं माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां पर भाषण जो हमने दिये हैं, हो सकता है कि कई कारणों से दिये हों, उनमें मैं पड़ना नहीं चाहता लेकिन जो राज्यपाल महोदय ने आगे और पीछे भी काम किया गया और आगे होने वाला भी है उसकी ओर इशारा किया गया उन सारी चीजों को देखते हुए धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे इस सदन को एक मत से पारित करेंगे और मैं समझता हूं कि हम लोगों को सदन में आगे के लिये अच्छा वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष श्री हरिदेव जोशी का प्रस्ताव है कि राज्यपाल की अभिनन्दन प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया जाए। प्रस्ताव, मैं फिर से

(श्री अध्यक्ष)

पढ़कर सुना देता हूँ :

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

क्या सदन की अनुमति है कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पास किया गया।

(करतल-ध्वनि)

श्री निरंजन नाथ आचार्य का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन

१.०६—म० प०

श्री अध्यक्ष : अब उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा।

(विराम)

श्री किशनलाल शर्मा।

श्री किशनलाल शर्मा : (नाथद्वारा) माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिये मैं श्री निरंजन नाथ आचार्य का नाम पेश करता हूँ, प्रस्ताव इस प्रकार है :

"That Shri Niranjan Nath Acharya, M. L. A., be chosen as Dupty Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

श्री अध्यक्ष : Shri Gulab Singh.

श्री गुलाबसिंह (बल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष, नाथद्वारा से आये हुए माननीय सदस्य ने श्री निरंजननाथ आचार्य एम. एल. ए. (नं० : ११८), के उपाध्यक्ष पद के लिये जो रखा समर्थन करता हूँ।

श्री भीमसेन (लून : Hon'ble Speaker, I l:e to move

"That Sri Niranjan Nath Acharya M. L. A., be chosen as Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल

श्री धर्मपाल (नौहर): माननीय अध्यक्ष, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है :

"That Shri Nathi Singh, Division No. II2, M. L. A., be chosen as Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

श्री अध्यक्ष : डिविजन नम्बर ११४.

श्री लच्छूराम (८१) : जी नहीं डिविजन नम्बर ११२।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह

श्री मोहरसिंह (चूरू): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के लिए डिप्टी स्पीकर पद के, लिए श्री नत्थीसिंह जी का नाम जो प्रस्तावित किया गया मैं उसका तहेदिल समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह

Page No.41

श्री रघुबीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिप्टी स्पीकर पद के लिए श्री तनसिंह का नाम प्रस्तावित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्ताव पढ़ दीजिए।

श्री रघुबीर सिंह (१२७) : "That Shri Tan Singh, M. L. A., be chosen as Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

कुछ माननीय सदस्य : साहब, सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : I will repeat the motion presented bp Shri Raghubir Singh.

"That Shri Tan Singh, M. L A. be chosen as Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

(विराम)

श्री लक्ष्मीचन्द

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय जी, श्री रघुबीर सिंह जी ने जो प्रस्ताव श्री तनसिंह जी को उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : चार प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं। इनके बारे में अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी पश्चिम): How many candidates ?

श्री अध्यक्ष : Four motions, three candidates.

श्री रघुबीरसिंह (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही अच्छा होता कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए सर्व सम्मति से कोई प्रस्ताव आता और निर्विरोध ही डिप्टी स्पीकर चुना जाता। किन्तु दुर्भाग्यवश जो पार्टी इन-पॉवर है उसने अपनी शक्ति का अन्दाजा लगा कर यह उचित नहीं समझा कि विरोधी दल वालों को भी कॉन्फीडेन्स मिले और विरोधी दल से भी चर्चा करें। चूंकि हमको पार्टी इन-पावर ने विश्वास नहीं दिलाया है और इस सम्बन्ध में बातचीत नहीं की है इसलिए यह दूसरे नाम प्रस्तावित किये गये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय इस सदन में परम्पराओं का प्रश्न लेकर पहले भी एक प्रश्न आया था उस समय मुझे ऐसा आभास हो गया था कि भविष्य में चल कर उपाध्यक्ष का जो चुनाव होने वाला है उसमें परम्परायें सुरक्षित रह सकेंगी, इस प्रकार की आशा इस सरकार से नहीं करना चाहिए; लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे सामने आया है तो हमें विवश होकर इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि ये परम्परायें आज क्यों तोड़ी जा रही हैं ? अध्यक्ष महोदय, इस परम्परा के दो भाग हैं। पहला भाग इस विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, श्री लालसिंह जी शक्तावत, से सम्बन्धित प्रश्न है और दूसरा भाग आता है विरोधी दल में से उपाध्यक्ष के होने का प्रश्न। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आज के अपने भाषण में और उससे कुछ दिन पूर्व इस बात की शिकायत की थी कि सदन में किसको विरोधी दल कहा जाय, किसको विरोधी दल का नेता माना जाय और शायद इस कारण से उनके सामने यह समस्या बनी रही कि विरोधी दल से यदि किसी

(श्री भैरोंसिंह)

को उपाध्यक्ष लिया भी जाय तो किस व्यक्ति से इस सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, यह समस्या वास्तव में कठिन है और इस कठिन समस्या का हल यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी, आज इस समस्या को लेकर चल रहे हैं और इस समस्या का हल निकालना चाहिए तो मैं समझता हूं कि उनके सामने आज इस प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं थी । जिन जिन लोगों को वह विरोधी दल का नेता सोचें या विरोधी दल में से किसी व्यक्ति को विरोधी दल के नेता का रूप देते हैं, इन्डीपेन्डेन्स के दल का यदि विरोधी दल के नेता का रूप देते हैं, तो मैं समझता हूं कि उन दोनों को बुला कर एक राय करने वाले को कोई भी बाधा नहीं होती । लेकिन वह समस्या शायद समस्या बनी रही और माननीय मुख्य मन्त्री जी और उनकी सरकार इस समस्या की आड़ में अपनी पार्टी के लोगों को लाभ पहुँचाने की चेष्टा करें और इसी आशय से इस प्रकार की समस्या बनाये रखें तो अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि हमारी विधान सभा का कार्य आपके हाथों में ठीक प्रकार से चलता रहेगा, लेकिन एक बात जरूर हम लोग सोचते हैं कि यदि विधान सभा के उपाध्यक्ष के पद के लिए भी हम श्रीमान् लालसिंह जी शक्तावत को, जो कि इस सदन के उपाध्यक्ष रहे हैं, नहीं चुनते हैं तो हम परम्पराओं को तोड़ते हैं । उस समय जिस समय कि यह उपाध्यक्ष के पद के लिए चुने गये थे उस समय यह विरोधी दल के सदस्य थे और आज चाहे वह इस दल के सदस्य न हों, मगर सत्तारूढ़ दल के सदस्य तो हैं, तो फिर भी इनको उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, यह बड़े दुख की बात है। यहां तक कि उनका नाम इस पद के लिए प्रस्तावित ही नहीं किया गया है । यह बात मेरी समझ में नहीं आती । अध्यक्ष महोदय, यहां इस बात का भी जिक्र कर देना मैं आवश्यक समझूंगा कि पिछले दो-तीन दिनों से हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि राजस्थान विधान सभा के सचिव महोदय का भी विधान सभा से ट्रांसफर होने वाला है । ऐसी सूरत मे ....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : The hon'ble Member should make no references about assembly secretariat.

श्री भैरोंसिंह (१४) : मैंने केवल इन्फोर्मेशन के लिये कहा था, मैं अब नहीं बोलूंगा । मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में हमें गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा कि हम उपाध्यक्ष पद के लिए किसी भी नये व्यक्ति को न लायें । यदि किसी नये व्यक्ति को ही उपाध्यक्ष पद के लिए लाना है तो वह विरोधी दल का होना चाहिए । आज लालसिंहजी शक्तावत स्वस्थ अवस्था में नहीं हैं और आप उनकी आज अस्वस्थता का फायदा उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है । आज यदि ऐसी परिस्थिति बन गई है तो हमें उन परम्पराओं को याद करना पड़ेगा जो कि कही गई हैं । अध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल की ओर से कोई ऐसी बात हो जाती है जिसका सीधा सम्बन्ध परम्पराओं से होता है तो सरकारी दल के नेता और खास तौर से उनके जितने भी सहयोगी हैं हर बात में परम्पराओं की दुहाई दिया करते हैं । मैं समझता हूं, ऐसा कहने से जिन परम्पराओं के आधार पर हमने इस प्रजातन्त्र के मन्दिर को स्वस्थ बनाया है उस पर ठेस पहुंचेगी । इन सारी बातों को

(श्री भैरोंसिंह)

छोड़ कर इस बात का त्याग दिखाना चाहिये जिससे कि स्वस्थ परम्परा का निर्माण कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक दिन सदन में यह सुन कर आश्चर्य हुआ था कि एक माननीय महोदय जब यह कह रहे थे कि मुख्य मन्त्री जी के थैले में सड़कें और कूए नहीं हैं; लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी के थैले में से उपाध्यक्ष का पद निकला। मैं समझता हूं कि उनके थैले में से निकलने के बाद कोई सदस्य खुश हों तो वास्तव में मुख्य मन्त्री जी के लिए शोभाजनक चीज नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूं कि विरोधी दल आज विधान सभा में अल्पमत में है और मैं यह भी मानता हूं कि आज यह दल पूर्णतया संगठित नहीं है और मैं यह भी मानता हूं कि यहां विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र की दुहाई देने वालों के लिये आवश्यक होता है कि चाहे विरोधी दल किसी भी रूप में हो, आप संख्या में ज्यादा हों, मगर जिस पर्सेन्टेज से कांग्रेस वालों को वोट मिले हैं इस दृष्टि से सोचें तो वह भी मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि बहुमत कांग्रेस के विपक्ष में आया है। बहुमत कांग्रेस के विपक्ष में आने के बावजूद भी कांग्रेस के मेम्बर्स की संख्या ज्यादा हुई है, इससे हम यह नहीं मान सकते कि राजस्थान की जनता का बहुमत कांग्रेस के पक्ष में है। चुनावों के आंकड़े जिस समय हमारे सामने आयेंगे, यह स्पष्ट रूप से सामने आ जायगा। यह हमारी बदकिस्मती रही कि हम विभिन्न दलों में समझौता नहीं हो सका और यही कारण है कि आज राजस्थान की विधान सभा में कांग्रेस के मेम्बरों का बहुमत हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जो मोशन है उसी पर आप बोलें तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं मोशन के सम्बन्ध में ही अर्ज कर रहा हूं। मैं निवेदन यह कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि चाहे आज विरोधी दल में सदस्यों की संख्या कम हो विरोधी दल में विभिन्न दल अलग अलग हों, वैसी हालत में उपाध्यक्ष का चुनाव के सिलसिले में विरोधी दल से कोई समझौता करते, उनकी राय लेते। इसके बाद यदि हम किसी नाम पर एक मत नहीं होते तो सदन के नेता का यह कहना ठीक होता कि हम किससे बातचीत करें और इस समस्या का समाधान कैसे करें? जब इस विषय में किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया गया तो यह इस बात का संकेत करता है कि सदन के नेता विरोधी दल की भावनाओं पर विचार करने को तैयार नहीं।

मैं मानता हूँ कि आपका बहुमत है। आप बहुमत के आधार पर जिस प्रकार से स्थानों का परिवर्तन करना चाहेंगे, होगा। लेकिन इस परिवर्तन के साथ साथ हमारी जो भावनायें हैं उनकी भी आपको कद्र करनी होगी। मैं यह भी मानता हूँ कि उपाध्यक्ष के पद पर विरोधी दल का सदस्य चुन लिया जाता है तो इससे हमें ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं; यह बात कदापि नहीं है। हम यह जानते हैं कि चाहे किसी भी दल का उपाध्यक्ष बना दिया जाय, हमारे जो अधिकार हैं वे उतने ही सुरक्षित रहेंगे जितने कि अध्यक्ष के हाथ में हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। विरोधी दल के सदस्य का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन हमें ज्यादा अधिकार दे देगा या हम अपने अधिकारों का नाजायज उपयोग

Page No.44

(श्री भैरोसिंह)

करने लग जायेंगे, यह हो नहीं सकता । अब केवल प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति पर विशेष अनुकम्पा किस प्रकार बताई जाय । मैं, अध्यक्ष महोदय, इस बात की आलोचना में पड़ना नहीं चाहता कि किस आदमी को उपाध्यक्ष बनाया जाय ? मैं किसी के गुण-अवगुणों के बारे में चर्चा करना नहीं चाहता, केवल इतना ही कहना अवश्य चाहता हूँ कि सदन के नेता, जिन व्यक्तियों के नाम हमने प्रस्तावित किये हैं, उनमें से किसी भी एक को इस पद पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे । उपाध्यक्ष चाहे कोई भी हो, वे उतनी ही योग्यता से काम करेंगे जितनी योग्यता से आज तक होता चला आया है । उधर का उपाध्यक्ष होगा तो भी वही काम करेगा और इधर का उपाध्यक्ष होगा तो वह भी वही काम करेगा । लेकिन एक बात अवश्य है। अगर उस पक्ष का उपाध्यक्ष चुना जाता है तो हम परम्पराओं का सत्यानाश करेंगे; उस परम्परा का जिस परम्परा की प्रशंसा केवल राजस्थान में ही हुई हो, यह बात नहीं । जब कभी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का सम्मेलन हुआ है उनमें हमारे राजस्थान में जो परम्परा रही है उसके लिए राजस्थान को गौरवान्वित किया है और यह कहा गया है कि राजस्थान विधान सभा ऐसी थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ । उपाध्यक्ष पद पर विरोधी दल के एक सदस्य को सत्तारूढ़ दल ने बिठाकर एक अनुकरणीय परम्परा कायम की थी। आज उस परम्परा को पांच वर्ष बीते । आज हम उसको तोड़ रहे हैं । इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की परम्परा को तोड़ना हमारे लिये अच्छा नहीं होगा ।

इसी संबंध में बोलते हुए मुख्य मन्त्री जी ने यह भी कहा था कि हमारी लोक सभा में उपाध्यक्ष पद पर सरदार हुकम सिंह हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि जिस समय उनका डिप्टी स्पीकर के पद पर निर्वाचन हुआ उस समय वे अकाली दल में थे, उसके बाद वे कांग्रेस दल में सम्मिलित हुए। लोक सभा में भी इस प्रकार की परम्परा निभायी और विरोधी दल में से सरदार हुकमसिंह को उपाध्यक्ष बनाया। इस प्रकार की परम्परा लोक सभा में भी अपनायी गई, दूसरी विधान सभाओं में भी इस प्रकार की परम्परा है, तो फिर राजस्थान विधान सभा में ऐसी परम्परा को तोड़ना क्या अनुचित नहीं होगा ? मैं तो यह सोचता हूं, इस प्रकार विरोधी दल की भावनाओं पर कुठाराघात नहीं होना चाहिये । इसलिये मैं विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार के चुनाव में भाग न लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पार्टियां बनती हैं, उनकी अपनी नीति होती है, जहां विरोधी दल से सहयोग लेने की भावना नहीं, तो हमें ऐसे चुनाव में सहयोग नहीं देना चाहिये । या तो मुख्य मन्त्री, जो परम्परा चली आ रही है उसको तोड़े नहीं ; अगर उस परम्परा को तोड़ते हैं तो मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस परम्परा को तोड़ने में सहयोगी न बनें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाले सदस्य हमारे लिये यह कहेंगे कि जो परम्परा चली आ रही थी उसको तोड़ने में विरोधी दल ने सहयोग दिया। आपका यह कदम परम्पराओं को कायम रखने के लिये होगा। मेरा निवेदन है कि विरोधी दल से जो नाम आये हैं उन नामों में से आप ही किसी को चुन लें, हम दूसरे को बिठा देंगे ।

(श्री भैरोंसिंह)

आप यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी उपाध्यक्ष पद के लिए जो नाम प्रस्तावित किये गये हैं उस सम्बन्ध में बोलते हुए विरोधी दल के एक सदस्य ने यह कहा कि जब अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था उस समय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि विरोधी पक्ष से उपाध्यक्ष लिया जायगा। मेरे ख्याल से इस प्रकार का आभास मुख्य मन्त्री जी के भाषण में नहीं था। यह एक प्रकार से भ्रम हो गया था माननीय सदस्य को। मुख्य मन्त्री जी के भाषण में हमने ऐसी बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि लोक सभा में जब अध्यक्ष पद पर स्वर्गीय श्री मावलंकर थे उस समय उपाध्यक्ष पद पर अनन्तशयनम आयंगर आसीन थे। ये दोनों कांग्रेस पार्टी के थे। यह ठीक है कि पहले विधान सभा में उपाध्यक्ष के पद पर एक विरोधी दल के सदस्य को रखा गया था, वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पड़ा था। इसका मतलब यह नहीं था कि यह एक प्रकार से परम्परा ही कायम हो गई। उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था।

माननीय अध्यक्ष, परम्पराओं की आड़ लेकर हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य अपने एक साथी को एक स्थान पर लाना चाहते हैं। मैं उन माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं, आज उनकी यह स्थिति नहीं है। आज विरोधी दल अपने आप में बहुत कमजोर है। उनकी यह स्थिति है उसके लिये हम हमदर्दी प्रगट करते हैं और हमें सहानुभूति है। हम यह महसूस करते हैं कि विरोधी दल अपनी स्थिति सुदृढ़ करके ऐसी स्थिति पैदा करे ताकि उनको इस प्रकार की बातें न करनी पड़ें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमारे लिये केवल एक ही चीज है और वह यह है कि जो प्रस्ताव श्री किशन लाल जी ने रखा है कि श्री निरञ्जननाथ आचार्य को उपाध्यक्ष पद पर चुना जाय, उसका हमें निर्विरोध समर्थन करना चाहिये। वे इस पद के लिये योग्य व्यक्ति हैं। जहां तक परम्पराओं का सवाल है हमें अन्य प्रान्तों की ओर भी देखना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले पंजाब असेम्बली के स्पीकर पद का चुनाव हुआ था, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस पक्ष के हैं। यही बात लोकसभा में भी हुई है। दूसरे प्रान्तों में क्या हुआ, यह मुझे पता नहीं ? जहां तक मुझे याद है एक प्रान्त को छोड़ कर सभी प्रान्तों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के ही हैं। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से फिर से निवेदन है कि जो प्रस्ताव श्री किशन लाल जी ने रखा है कि निरञ्जननाथ आचार्य को उपाध्यक्ष बनाया जाय उसको एक मत से स्वीकार करें। वे उपाध्यक्ष पद के लिये सर्वथा उपयोगी व्यक्ति हैं। इसलिये मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि इस प्रस्ताव को निर्विरोध स्वीकार करें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम जितने भी असेम्बली के अन्दर जो नये सदस्य आये हैं उनके ऊपर ऐसी बहस और वाद-विवाद से बहुत बुरा असर हुआ है। आज जिन परम्पराओं के

(श्री मदनसिंह)

खिलाफ यहां बातें की जा रही हैं उसको देखते हुये हमें क्या मालूम कि परम्पराओं की जो दुहाई देने वाला सत्तारूढ़ दल है वह अपनी बातों पर आइन्दा भी जाकर जो विश्वास दिलाते हैं वे उसका पालन करेंगे ? जब कि यहां ऐसी परम्परा है और उसे अपने ही हाथों से, अपनी मेजोर्टी के हाथों से आज खत्म करते हैं तो आज दिये गये भाषण की बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकेगा कि जनता के हित के लिये सारे काम किये जावेंगे ? इसलिए ऐसी परम्पराओं को जब वे खुद ही मिटा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आइन्दा हम भी असेम्बली की परम्पराओं को मिटाने के लिये तैयार हों और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर मैं तो यह जानता हूं कि जब तक विरोधी दल की तरफ से असेम्बली में उपाध्यक्ष नहीं होगा तब तक हमें यह विश्वास भी नहीं होगा कि कोई बात यहां हम ठीक ढंग से कह सकते हैं।

अब मैं अपने भाषण में कुछ बातें और भी कहना चाहता था पर हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब फिर शायद इस चीज को कुछ और समझेंगे जो बाहर की और अन्दर की कार्यवाहियों से वाकिफ हैं। यह जो कुछ कहा जाता है, इस दबाव से कहा जाता है कि आपके पास मेजोरटी है। कौरवों और पांडवों में जैसी चीज थी वैसी आज मालूम पड़ रही है। कौरव १०१ थे।

(हंसी)

तो कौरव और पांडव मिल कर ज्यादा थे। इसी तरह से इस भाव से अगर हम समझें तो ११६ और ५७ अलग अलग नहीं हैं। एक ही हैं। पर आज बहुमत वाले जो संख्या में ज्यादा हैं वे परम्परा को तोड़ रहे हैं; जैसे कौरवों ने तोड़ी थी। ऐसी स्थिति में भी विग्रह को टालने के लिए पांडवों ने अपने सारे अधिकार छोड़कर भी केवल पांच गांव मांगे थे। वैसे ही आज हम केवल यह चाह रहे हैं कि उपाध्यक्ष की पोस्ट विरोधी दल की होनी चाहिए जो कि हम आपके भाई के समान हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जवाब भी वही दिया जावेगा। और इसके माफिक जवाब आज ही मिल जावेगा चुनाव करवाकर देख लें। यही मेरा कहना है।

श्री मोहरसिंह (चूरू) :- अध्यक्ष महोदय, आज सदन के लिये उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर के चुनाव का सवाल आया हुआ है।

तीन नाम हमारे सामने प्रस्तुत किये गये हैं। कौन चुना जावे, इस बात से पहले मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि जिन दो मुद्दों पर यहां जिद्द हो रही है कि शासक पक्ष का डिप्टी स्पीकर चुना जावे या विरोधी पक्ष का; इस सिलसिले में मेरे कई साथियों की तरफ से परम्पराओं के लिये भी कहा गया। इसके विरोध में भी कुछ बातें आईं कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट में जहां स्पीकर कांग्रेस पार्टी का है वहां डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस पार्टी का है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी हैं। ठीक है, और दो-चार प्रांतों में भी इसी प्रकार की बात हो सकती है। पर इससे हमें यह दृष्टिकोण नहीं बना लेना चाहिये कि विरोधी पक्ष का डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया जावे। बहुत से सदन हैं। हिन्दुस्तान के बाहर के भी। वहां के हमें नमूने और मिसालें मिल रही हैं कि वहां विरोधी पक्ष के

Page No.47

(श्री मोहरसिंह)

व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता रहा है। यह मैं मानता हूँ कि आपका इस सदन के अन्दर बहुमत है और बहुमत के आधार पर हरएक चीज आपकी सफल होती है और ऑपोजिशन ग्रुप की बात फेल होती है। इस बात को मैं मान रहा हूँ कि यह आपके लिये बड़ी शानदार बात है। पर इससे भी शानदार बात यह हो सकती है कि आप विरोधी पक्ष का आदर भी करें। यह आपके लिये और भी शानदार बात होगी।

आपको मालूम है अच्छी तरह से कि आगामी पांच वर्षों में हमें हिन्दुस्तान को और राजस्थान को आगे ले जाना है, पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है, जिसके लिये सारे प्रान्त की जनता चाहे वह विरोधी पक्ष की हो या सरकारी पक्ष की या किसी भी दल की हो, के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो इस दृष्टि से भी और परम्परा को ख्याल में रखते हुए भी आप इस बात को यहाँ सदन में प्रदर्शित करें कि आप विरोधी पक्ष का भी आदर करते हैं और सबके सहयोग की आकांक्षा रखते हैं। जिससे कि बाहर की जनता पर भी असर पड़ेगा और बाहर की जनता भी सभी एक साथ मिलकर सहयोग से पंचवर्षीय योजना आदि के कामों को सफल बनाने में प्रयत्नशील होगी। तो यह मार्ग भी आप प्रशस्त कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि आप डिप्टी स्पीकर अपोजीशन का लें।

अब अपोजीशन ग्रुप कौन सा है, यह सवाल आता है। मैं तो प्रगतिशील दल के लिये कहता हूँ। यह भी न करें तो कम से कम हमारे लिये एक मौका दें और इसके लिये अपने डिप्टी स्पीकर पद के लिये उम्मीदवार का नाम आप विद्ड्रॉ करके अपनी विशाल हृदयता का और सहनशीलता का परिचय दें पहले। इसके बाद हमारे पर जिम्मेदारी आती है कि हम अपनी ओर से किसका नाम प्रोपोज़ करते हैं। हम फिर सब मिलकर एक नाम प्रोपोज़ कर देंगे। पर पहले आपको करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और सरकारी पक्ष से आशा करता हूं कि वे मेरी बात मानकर विशाल हृदयता का परिचय देंगे।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, जिन परम्पराओं का जिक्र चल रहा है और जिसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने पहले भी ताईद की है, तो जब हम अपने पिछले इतिहास को देखते हैं तो हमें आज भी उसी परम्परा को निभाते हुए चलना चाहिये। पार्लियामेंट में भी सरकार ने सरदार हुकमसिंह को विरोधी पक्ष में से डिप्टी स्पीकर चुना था और हमारे यहां भी पिछली बार इसी तरह से हुआ था तो आज सदन की इस परम्परा को क्यों आप तोड़ रहे हैं ? क्यों नहीं विरोधी पक्ष को मौका दिया जा रहा है ?

अब जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्हें झिझक आती है कि विरोधी पक्ष कौनसा माना जावे, तो जैसा कि प्रस्ताव के समर्थक ने बतलाया कि पहले आप अपना नाम विद्ड्रॉ कर लें, इसके बाद यह हम पर छोड़ दें कि हम किसको बनाते हैं ? तो मेरा भी यही प्रस्ताव है कि पहले 'हां' पक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर का नाम वापस लेने की आप कृपा करें। इसके बाद हम तय कर लेंगे कि हमारी तरफ से किसको डिप्टी स्पीकर बनाना है।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, परम्परा के बारे में एक बात कहनी है मुझे। अभी परम्परा की बात कही गई और विरोधी पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि गत चुनावों के समय यह परम्परा यहां डाली गई थी कि विरोधी पक्ष की ओर से डिप्टी स्पीकर को लिया जावेगा और उस समय ले भी लिया गया था।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : मेरी आवाज तो काफी तेज है। और ही कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा है या आप सुनना नहीं चाह रहे हों। तो जो परम्परा यहां डाली गई उसके संबंध में मुझे यह कह कहना है कि जब विरोधी पक्ष की ओर से जिन व्यक्ति को लिया गया उन्होंने अपनी तरफ से दूसरी ही परम्परा डाली। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि अंगुली पकड़ते पकड़ते पौंचा ही पकड़ लिया। इसके अनुसार हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी ने विरोधी पक्ष के व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर चुन कर अपनी अंगुली पकड़ाई थी पर उन्होंने नई परम्परा यह डाली कि वे पौंचा पकड़ कर यहीं बैठ गये और वे विरोधी पक्ष को छोड़ कर कांग्रेस पार्टी में ही शामिल हो गये। यदि इस परम्परा को फिर दोहराया तो मुझे भय है जो व्यक्ति विरोधी पक्ष से डिप्टी स्पीकर चुना जावेगा वह यहां आकर पौंचा पकड़ कर फिर बैठ जावेगा और इस तरह विरोधी पक्ष का एक सदस्य कम हो जावेगा। विरोधी पक्ष की संख्या वैसे ही कम हो गई है पहले से। तो अगर उन्होंने डिप्टी स्पीकर चुनकर अपने किसी साथी को भेजा तो फिर उसे उनको खोना पड़ जावेगा और भी कम हुई संख्या में और कमी हो जावेगी। इसलिये मेरा यह कहना है कि इस पुनरावृत्ति को न करके स्टेटस को सद (Status Quo) ही रक्खा जावे तो ठीक होगा।

(करतल-ध्वनि)

श्री किशनसिंह बट्ड (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार सुन चुका हूँ कि परम्परा है; परम्परा यह है, वह है। पर परम्परा है क्या ? परम्पराओं में बहुत सी परम्परायें समय के हिसाब से आती हैं और समय के हिसाबसे चली भी जाती हैं। एक परम्परा जागीरदारी की भी थी जो समय से चली आती थी मैं विषय से बाहर तो थोड़ा जा रहा हूँ, पर कह देना चाहता हूं कि उस परम्परा में आदमी को आदमी नहीं समझा जाता था।

तो परम्परा नाम की चीज़ के बारे में बहस नहीं करना चाहिये। यह कह सकते हैं कि हमारे उस आदमी को लो, यह इच्छा है। परम्परा की बात नहीं कही जाकर बात वही कहनी चाहिए जो समझ के अनुसार हो। इसलिए जो नाम रखा है किशनलालजी ने मैं उसका समर्थन करता हूं और केवल बोलने के लिए समय चाहिए था यह बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से जो परम्परा की दुहाई देते हैं, बहुत सी परम्परायें आयी हैं, चली गई हैं और चली जावेंगी। इस तरह परम्परा की बात करना तो यह एक परम्परा को चेलेंज होगा। आज से पहले भी परम्परा की बातें हुई हैं क्या ? जब अध्यक्ष महोदय का चुनाव हो रहा था, जब राज्यपाल महोदय के भाषण पर बात चली तो उस परम्परा की बात कहां गई और उन दो दिनों की बातों को इतना जल्दी भूल गये कि जैसे इतने हजार वर्षों की बात हो गई और इसलिए आज उस परम्परा की दुहाई दी जाती है। इसलिए इसको वोटिंग पर लीजिये ताकि इसका पता चल जावेगा।

Page No.49

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय के चुनाव को लेकर परम्परा की दुहाई दी गई है। मैं नम्रतापूर्वक आपके द्वारा माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष के चुनाव के विषय में पहले जो कुछ हुआ था उसको एक घटना ही कह सकते हैं किन्तु उसको एक परम्परा नहीं कहा जा सकता। यदि किन्हीं परिस्थितियों में वैसा कर लिया तो मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि परम्परा का अर्थ ही नहीं समझा है। जिस परम्परा को लेकर यह बात कही जा रही है कि विरोधी दल और राज्य पक्ष दोनों मिलकर एक व्यक्ति को इस पद पर बिठायें तो मैं मानता हूँ कि ये उसके पहले के परिणाम हैं और उसके अनुसार बाद के परिणाम भी होने चाहिए। मैं यह मानता हूं कि एक-आध देश में ऐसी प्रथा थी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के माने में यह परम्परा थी कि उनका चुनाव सर्वसम्मति से हो और यह भी परम्परा थी कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी कोई उनका विरोध न हो। इंगलैंड का उदाहरण आप ले लीजिये, वहां कोई किसी प्रकार का दल विशेष हो, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के सम्बन्ध में कोई भी दल उनके विरोधी खड़ा नहीं करता है। अतः यदि यहां भी परम्परा की बात करते हैं तो उनके निर्वाचन क्षेत्रों में भी जो आज विस्तृत राजनैतिक दल हैं और जो उनका विरोध करते हैं, उनको हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्विरोध चुनना चाहिए था और उनके लिए कोई विरोधी खड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अब जो परम्परा की बात कही जाय तो वह 'परम्परा' के साथ न्याय नहीं होगा। जब स्पीकर के लिए निर्विरोध चुनाव की बात विरोधी दल को कही गई तो उस पर वे एक मत होकर चुनाव करने लिए रजामन्द नहीं हुए और अब यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार की परम्परा थी तो मैं नम्रतापूर्वक आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूँगा कि जब स्पीकर के चुनाव को लेकर एक शुभ परम्परा, जिसके मोह में आप पड़े हुए हैं, उसको डालने के लिए तैयार नहीं थे तो अब कोई कारण नहीं है कि उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर परम्परा की दुहाई देकर हम से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और फिर यह कहना कि उपाध्यक्ष मुख्य मंत्री की थैली से निकले हैं, यह गलत बात है। मुख्य-मंत्री जी ने कोई थैली नहीं खोली। यह एक प्रतिष्ठित पद है और इसका विधान में भी स्थान है। इसलिए यह कहना कि उस पद पर बिठा दिये गये हैं, मैं नम्रतापूर्वक कह देना चाहता हूं कि इस पद के लिए जो भी उम्मीदवार खड़े किये गये हैं उनके औचित्य के लिए शोभाप्रद बात नहीं है। दो-एक प्रस्ताव हमारी ओर से आये और दो-एक प्रस्ताव आपकी ओर से आये। इस सदन में प्रस्ताव रखने का हर एक को, चाहे वह विरोधी दल का हो, चाहे वह राज्यपक्ष का हो, समान अधिकार है। एक घटना को परम्परा बताना, एक ऐसी बात कहना जो प्रासंगिक नहीं है, मैं कहता हूं कि हमें जो अधिकार मिले हैं, उम्मीदवारों का जो चुनाव करते हैं, उनमें दरार पटकना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि स्पीकर के चुनाव को लेकर यदि कोई शुभ परम्परा आप कायम नहीं करना चाहते, तब हम यह मानते हैं कि उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर हम वे शुभ बातें कहें, तो यह ठीक नहीं है।

भारतवर्ष में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए एक परम्परा का निर्माण किया गया है। लोक सभा को ही ले लीजिये, जो बहुमत में दल होता है उसी दल के स्पीकर

(श्री जनार्दनराय नागर)

और डिप्टी स्पीकर चुनते चले जाते हैं। राजस्थान में यदि कोई एक ऐसी घटना हो गई है तो उस पर कोई परम्परा बनाये, तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हम यहां भी परम्परा ऐसी ही बना रहे हैं जैसी भारतवर्ष के अन्य जगह बनाई जा रही हैं और हमें उसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। भारत के विधान में कोई ऐसी परम्परा नहीं की जा रही है जैसा कि विरोधी दल वाले कहते हैं। वस्तुत: उपाध्यक्ष के पद पर जो हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है यह उसी परम्परा का स्पष्ट प्रमाण है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो परम्पराएं बनाई हैं उसमें राजस्थान की एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। इसीलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय स्तर पर जो परम्परा बनाई है उसकी गतिविधि और प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें, और मैं समझता हूं कि उनके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। हम सब मानते हैं कि एकमत से खड़ा रहना एक स्वस्थ परम्परा है, लेकिन जहां विरोधी दल और सपक्ष ऐसी बातों पर सहमत न हों, तो बहुमत से खड़ा करना एक स्वस्थ परम्परा है और उसके कारण विरोधी दल यह कहे कि यह तो अस्वस्थ परम्परा है, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यही प्रक्रिया को समझने में गलती हो रही है। बहुमत दल से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है और चुनवाये जाते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि, यही स्वस्थ जनतन्त्रीय परम्परा है और इसका पोषण करना चाहिए।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय, डिप्टी स्पीकर के चुनाव के सम्बन्ध में जो कहा गया है उसके लिए मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि सत्तारूढ़ दल एक मशीनरी की तरह है, जिस तरह से मोटर एक मशीनरी है। अपोजिशन जो है वह एक ब्रेक है और अगर ब्रेक नहीं लगे तो यह मुमकिन है कि वह मोटर कहीं जाकर टकरा जाय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप एक बिना ब्रेक की मोटर रखेंगे तो कहीं टकरा जायेंगे।

(हंसी)

और उसके पुर्जों में जो खुरदरापन आ गया है उसके लिए उसकी सफाई की आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बिना ब्रेक की गाड़ी रखना ठीक नहीं है इसलिए आप अपोजिशन की ओर से डिप्टी स्पीकर को लेकर अपनी गाड़ी को एक सही गाड़ी रखें।

२—म० प०

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल का हमेशा प्रजातंत्र के जमाने में फर्ज हो जाता है कि अल्पमत में जो दल हैं वे भले ही विरोधीद दल के अल्पमत हों उनको हमेशा पनपाने की कोशिश करनी चाहिये, उनको खत्म करने की प्रवृति नहीं होनी चाहिये। सत्तारूढ़ दल में त्याग की भावना होनी चाहिये और वे त्याग तभी दिखा सकते हैं जब कि डिप्टी स्पीकर विरोधी दल में से हो और आप विरोधी दल को पनपाने की कोशिश करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद के लिये समय जनरल डिस्कशन की तरह रहेगा या समय निश्चित किया जायगा, इसका पता नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि किसी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में बोलें तो समय दिया जा सकता है । वर्ना जनरल वाद-विवाद जारी नहीं रहना चाहिये ।

श्री अर्जनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम): Mr. Speaker, I think, we find ourselves in a strange position on a resolution that is before this House to-day. Good many points are under consideration which have not been explained by the Congress Party so far at all, Sir, and I really point out those questions to it and I expect it to answer those questions before it expect, us to vote with it, and before I point out those points to this House, I myself point out to the Leader of the House that he has often been pressing himself that we should unite with them on certain points and take decision unanimously. In return thereof now from this side we can return the compliment to him and request him that he should show his own generosity and allow us to have our own Deputy Speaker from the opposition unanimously and not by division. Apart from this the Hon'ble Chief Minister today said on the floor of this House that the Government or the Congress Party has been able to create confidence in the services. True he was, but may I ask what the Congress Party has done to create confidence in the Opposition itself ? Practicaly, they ave done nothing, and they propose to do nothing to create confidence in the Opposition. Now to create confidence in the Opposition they shoul agive some share in the Government and that is by offering Deputy Speakership to them. They gave it to the Opposition in 1952. What was the reason to give in 1952 ? Why it was given in 1952 ? When they gave it in 1952 what are the reasons for a change in 1957 ? They have not told us the reasons to change from the course that they had adopted in 1952. They elected a particular person in 1952. They elected him again in January 1957, after the integration. What has happened to induce the Congress Party to shift over from one individual to another individual ?

Now two questions arise in it. One is, why not give the post to the Opposition ? Another question that also arises is that why not give it to the old incumbent ? Why not give to the person who is holding this post from 1952 ? The Congress Party has not been able to make reply to any one of these questions. Why they want change from the old Deputy Speaker to the new one ? Can they possibly suggest that the person now being proposed by the Congress Party is an old experienced hand, who is much more experienced than the previous one who was holding this post from 1952 ? They don't tell us now. It only shows that the

Page No.52

(श्री अर्जुनदास)

Congress Party or the ruling group in the Congress Party wants to rule by their brute majority. If they want to rule by their brute majority, I think, they should be wise enough and they should not take a course which is not acceptable to all. Please make the position clear. I will make my request to the Leader of the House to accept any one of the two people from the Opposition so that we can have them elected unanimously, Sir.

राजा श्री मानसिंह (बैर) : Mr. Speaker, Sir, there is no doubt that it is an established convention thet the Deputy Speaker should be chosen from the members of the Opposition. The Hon'ble Leader has cited instances from other Assemblies in the country where this convention has been broken. Whether that convention has been broken is in good or bad taste, I cannot say, but in our Assembly in Rajasthan we should try to follow good convention. At this stage the Leader does not recognise a convention in chosing the Deputy Speaker from amongst the Opposition, but a few minutes afterwards he will recognise the convention that the Deputy Speaker will take his seat amongst the members of the Oppposition. Under these circumstances, Sir, I feel that the ruling party is introducing actually a fifth columnist amongst our ranks.

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो....

श्री अर्जुनदास : Would the Hon'ble Chief Minister not like to speak, Sir ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो कुछ मुझे कहना था वह अध्यक्ष के चुनाव के मौके पर कह चुका हूं और बहुत कुछ वाद-विवाद हो चुका है। परम्पराओं को लेकर बहुत सी बातें कही गई। परम्परा से आम तौर से मतलब यह होता है कि जो चीज कई जगह की जाती है और एक सिद्धान्त सा बन जाय। राजस्थान में पिछली बार कुछ विशेष कारणों से ऐसा किया गया जब कि भारतवर्ष की ओर हम देखें तो स्पष्ट तौर से मालूम होगा कि खुद पार्लियामेंट में श्री अनंतशायनम आयंगर को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। पंजाब का उदाहरण भी अभी पेश किया गया और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ऐसी परम्परा नहीं बनती है। पिछली बार ऐसा किया गया। इसलिये इस बार भी किया जाना चाहिये, मैं समझता हूं इन परम्पराओं की वजह से ऐसा करना आवश्यक है और जो प्रस्ताव यहां रखा गया है, मैं समझता हूँ माननीय सदस्य उसके स्वीकार करें तो ठीक होगा। कौरव और पांडव बनने से कोई मतलब नहीं निकलता। पांडव तो वे स्वयं बने हैं इसलिये पांडवों की तरह ही विचारेंगे क्योंकि कौरवों से तो आशा क्यों करनी चाहिये। पांडवों को पांडवपना दिखाना है तो आप दिखा दें। वे सब कुछ त्याग करते रहे हैं तो इस पद का भी त्याग करके श्री निरंजननाथ आचार्य का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये स्वीकार कर लें।

Page No.53

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : प्रश्न त्याग करने का नहीं है। प्रश्न केवल इतना ही था और मैंने शुरू में निवेदन किया था कि अच्छा होता यदि लीडर ओफ दी हाउस इस सम्बन्ध में अपोजिशन को कोन्फिडेन्स में लेते। लेकिन उन्होंने यह बताने की कृपा नहीं की कि अपोजिशन वालों से परामर्श क्यों नहीं किया और इस स्थिति में मैं नहीं समझता कि हम लोगों के लिये इस चुनाव की कार्यवाही में भाग लेना उचित होगा।

२.०६ म. प.

(रामराज्य परिषद् और जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री किशनलाल शर्मा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

'हाँ' पक्ष जीता

(करतल-ध्वनि)

श्री निरजननाथ आचार्य को उपाध्यक्ष घोषित किया जाता है।

२. १०-म० प०

राजस्थान नौकानयन नियमन (संशोधन) विधेयक, १६५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : Now, Legislative bussiness. श्री नाथूराम मिर्धा।

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "राजस्थान रेग्युलेशन ऑफ वोटिंग (अमेंडमेंट) बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।"

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है, कि राजस्थान रेग्युलेशन ऑफ वोटिंग (अमेंडमेन्ट) बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाए।"

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोयद, मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि राजस्थान रेग्युलेशन ऑफ वोटिंग (अमेंडमेंट) बिल, १६५७ को पारित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है: "राजस्थान रेग्यूलेशन ऑफ वोटिंग (अमेडमेंट) बिल, १६५७ को पारित किया जाय।"

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर व्यास।

विधि मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि कोड आफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।"

श्री अध्यक्ष : मोशन मूव हो चुका है।

(विराम)

प्रश्न यह है "कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।"

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : There is no amendment अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू "कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६५७ को पारित किया जाय।"

Page No.54

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५७ को पारित किया जाय।"

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान पंचायत संशोधन (विधेयक), (विचारार्थ एवं पारित) १९५७

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५७ विचारार्थ लिया जाय।"

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को विचारार्थ प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन इस सदन के अगले अधिवेशन के प्रथम दिन इस सदन में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल में एक छोटी सी बात है कि जो आदमी पंचायत के पंच चुने जायें, उनके सम्बन्ध में जो परिभाषा पंचायत एक्ट में दी हुई है, उसमें एक मामूली सा संशोधन है और उस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति अनुटचेबिलिटी एक्ट के मातहत सजा भुगता हुआ है, तो उस व्यक्ति को पंचायत का पंच नहीं चुना जा सकता। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो................

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, I want to rise to a point of order. यह जो बिल विचारार्थ रखा गया है, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान रूल ९३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें सरकार पर आवश्यक रूप से यह कर्त्तव्य डाला गया है कि कोई बिल असेम्बली में भेजा जाय तो उसके साथ सर्टीफिकेट होना चाहिए कि इस पर गवर्नर या प्रेसीडेन्ट की सैंकशन की आवश्यकता है या नहीं? लेकिन जो प्रति मुझे प्राप्त हुई है, उसमें जहां कारण और उद्देश्य प्रगट किये गये हैं, उसके साथ यह नहीं लिखा गया है कि इसके लिए सैंक्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं? यह सर्टीफिकेट देना आवश्यक है। मैं आपको रूल ९३ पढ़ कर सुना दूं :

"Every bill forwarded by the Government to the Assembly shall be accompained by a memorandum or certificate stating therein whether or not under any of the provisions of the Constitution any motion in respect of such bill shall require the previous sanction of the President or recommendation of the Rajpramukh."

तो मेरा निवेदन यह है कि इस विषय में भी सर्टीफिकेट या मेमोरन्डम राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया है और इसलिए इस विधेयक को विचारार्थ नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : रूल ९३ के मुताबिक यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह का जो सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से आये, वह मेंबरों को सर्कुलेट किया जाय। इस तरह का सर्टिफिकेट इस बिल के लिए असेम्बली सेक्रेटेरियट में आ चुका है।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं

(श्री तनसिंह)

रूल ६३ के सब रूल (४) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसा एतराज उठाया जा सकता है कि सैंक्शन आवश्यक है या नहीं है। जब तक हमें मालूम नहीं पड़े कि सैंक्शन ली गई है या नहीं, तो हम कैसे एतराज उठायेंगे ? हम नहीं चाहते कि जो सर्टिफिकेट है, वह हमें बतलाया जाय, लेकिन तथ्य हमको बतलाना चाहिये। हर बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के साथ यह भी आना चाहिये कि इस बिल पर सैंक्शन प्राप्त कर ली गई है, जिससे यह मालूम हो कि राज्य सरकार ने सैंक्शन ले ली है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : किन बिलों पर सैंक्शन की आवश्यकता है, यह संविधान में लिखा है और रूल ६३ के सब-रूल (४) का मतलब यह है कि कोई सदस्य चाहे तो आपत्ति उठा सकता है कि अमुक बिल के लिए गवर्नर या प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति पहले आनी चाहिये। आप चाहें तो आपति उठा सकते हैं और उस पर फिर वाद-विवाद हो सकता है।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक फेक्ट मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक कैसे मालूम होगा कि सैंक्शन मिली है या नहीं ? या फिर जब हर बिल इन्ट्रोडयूस हो, तो मिनिस्टर साहब बतायें कि इस बिल पर गवर्नर या प्रेसीडेन्ट की सैंक्शन प्राप्त हो चुकी है, जैसा कि रूल ६३ (१) में है। अगर हमें फेक्ट नहीं बताते हैं, तो कैसे मालूम होगा कि सैंक्शन आ गई है और एतराज उठाने की आवश्यकता नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जब एक बिल विचारार्थ लिया जा रहा है तो यह मान लेना चाहिये कि जो जरूरी स्वीकृति आनी चाहिये वह हो चुकी है। इस पर भी अगर किसी सदस्य को आपत्ति है तो वह रख सकता है और अध्यक्ष महोदय वेरीफाइ कर सकते हैं। वास्तव में जब कोई बिल आ गया है और विचारार्थ लिया जा रहा है तो उस पर स्वीकृति मान लेनी चाहिये और उसको सर्कूलेट करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह भाषा समझ में नहीं आई कि अगर कोई बिल विचारार्थ लिया जा रहा है तो समझ लिया जाय कि श्रीमन् राज्यपाल की स्वीकृति हो चुकी है। यहां पर मान लेने का प्रश्न नहीं है, नियमों का प्रश्न है। नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो भी कानून प्रस्तुत किया जाय, उस पर कोई स्टेटमेंट होना चाहिये कि राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है या फिर कोई स्वीकृति प्राप्त करने के लिये रिकमन्डेटरी लेटर होना चाहिये ताकि पता लग सके कि स्वीकृति ले ली गई है या नहीं। ऐसी हालत में जब हमें पता नहीं है, अगर इस पर विचार करें तो मैं कहूंगा कि यह नियम विरुद्ध होगा। वैसे आप जो निर्णय देंगे वह मान्य होगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिये ताकि हर सदस्य को जानकारी रहे····

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं आपका ध्यान रूल ६३ (१) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें प्रोवाइडेड है :

"Every bill forwarded by the Government to the Assembly shall be accompanied by a memorandum or certificate..."

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

वह मेमोरन्डम हमने दे दिया है। उसमें यह नहीं है कि वह सर्टिफिकेट सबको सर्कुलेट किया जायगा, ऐसा प्रोविजन नहीं है। जब यह बिल असेम्बली में आया तो यहां पर स्पीकर की आज्ञा से ही इसे लिया जा रहा है। सर्टिफिकेट को सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, फोर दी टाइम बीइंग मान लिया जाय कि उन्होंने सैंक्शन हासिल कर ली है और हम यह भी मान लेते हैं कि वह सर्टिफिकेट सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम हमें तथ्य तो मालूम होना चाहिये कि इस बिल पर स्वीकृति ली जा चुकी है। अगर यह मालूम नहीं होगा तो हम एतराज कैसे उठा सकते हैं और यह पता कैसे लग सकेगा कि यह बिल सैंक्शन के काबिल है, इसमें स्वीकृति लेनी चाहिये। इस प्रकार हमें अन्धकार में रखा जाय। इससे हमारा जो अधिकार है सब रूल (४) के मुताबिक, उस अधिकार को हम प्रयोग में नहीं ला सकेंगे। इसलिए जो सर्टि-फिकेट पेश किया गया है, कि उसको प्रकाशित करना चाहिये कि इस बिल पर राज्यपाल अथवा प्रेसीडेन्ट, जैसी अवस्था हो, की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उस तथ्य को प्रकाशित करना आवश्यक है। मैं इस विषय में यही निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष: सब रूल (४) में जो आपको अधिकार है वह आपका अधिकार सुरक्षित है। वह सैंक्शन सर्कुलेट हो या नहीं आप हर सूरत मे एतराज उठा सकते हैं, सर्कुलेट होगई है तो भी आपत्ति उठा सकते हैं। वह अधिकार जो सब रूल (४) देता है आपको अब भी सुरक्षित है। अभी सर्कुलेट करने के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब तक यह रहा है कि जो बिल आता है असेम्बली सेक्रेटेरियेट में तो यह देखा जाता है कि ऐसा सर्टि-फिकेट आवश्यक है कि नहीं और आवश्यक हो तो उस बिल को एजेन्डा में तभी लिया जाता है जब उसमें सर्टिफिकेट आ जाता है।

सब रूल (४) में जो आपको अधिकार है वह आपका अधिकार तो हर सूरत में सुरक्षित है।

श्री तनसिंह : मान लीजिये, हम उठाना चाहें सब रूल (४) के मुताबिक कि सैंक्शन नहीं है और सैंक्शन ले ली गई तो वह व्यर्थ ही एतराज उठाकर खामख्वाह सदन का समय व्यर्थ ही जायगा।

श्री अध्यक्ष : सैंक्शन ली जाती है तो जरूर सर्कुलेट होती है। जब सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होती है तो किसी प्रकार का सर्कुलेशन नहीं होता।

श्री भैरोंसिंहजी।

श्री भैरोंसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस बिल में मुझे बिल में मुझे ३ प्रकार की खामियाँ नजर आती हैं और उन तीनों खामियों को लेकर मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिए जो अपना प्रतिवेदन इस सदन के सम्मुख पेश करे। इस बिल पर लिखा है, "दी राजस्थान पंचायत अमेंडमेंट बिल, १९५७।"

राजस्थान पंचायत एक्ट के पास होने के पश्चात्, मैं समझता हूँ, जहां तक मेरी याददाश्ती का सम्बन्ध है, हमने ३ संशोधन

(श्री भैरोंसिंह)

पंचायत एक्ट में कर दिये हैं। जितने हमने पास किये हैं और उन संशोधनों को लेकर बिल सरकार की ओर से पेश किए गये हैं उनमें एक बात होती है कि कौन सा संशोधन विधेयक है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है? वह उसमें लिखा रहता है। अगर पहला संशोधन बिल है तो लिखा रहता है, "राजस्थान पंचायत (फर्स्ट अमेंडमेंट) बिल, १९५७," दूसरा संशोधन होता है तो उस पर लिखा होता है," राजस्थान पंचायत (सेकिन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५७" अगर तीसरा संशोधन है तो उस पर लिखा रहता है, "राजस्थान पचायत (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५७" और यदि चौथा होता है तो उस पर लिखा होता है, "राजस्थान पंचायत (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, १९५७"। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बिल पर इस बात का संकेत नहीं है कि यह कौन सा संशोधन बिल पेश किया जा रहा है।

पहली कठिनाई इससे यह उपस्थित हो सकती है कि जो बिल सदन में पेश करते हैं उनके विशेष नम्बर होते हैं। उसको लेकर जुडिशियल कोर्ट में चेलेंज किया जाय, वाद-विवाद किया जाय और उस सिलसिले में रेफ़रेन्स दिया जाय तो इस तरह का संकेत न रहने से कोम्प्लीकेशन्स पैदा हो जाते हैं। उस कोम्प्लीकेशन को उस समय तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि विधान सभा में इसे थर्ड या फोर्थ संख्या लगाकर पारित नहीं किया जाय। दूसरा इसमें लिखा है:

"Has been convicted of an offence under the untouchability Act, 1955 (Central Act 22 of 1955)"

अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं समझता कि आज इस छुआछूत को लेकर भारत सरकार ने कानून बनाया है, उस कानून की तामील ठीक प्रकार से होनी चाहिये और जो व्यक्ति इस प्रकार के कानून का उल्लंघन करें, विरोध करें उसे सजा भी मिलनी चाहिये और इस सदन में कल एक माननीय सदस्य ने सुझाव रखा कि इस प्रकार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाय, कानून से जो काम नहीं होता उस काम को अपने हाथ में लेना चाहिये। वही व्यवस्था इस कानून में की गई है। एक व्यक्ति को सामाजिक अधिकार है उससे उसको वंचित किया गया है, पर मैं इसे वैसा विशेष नहीं समझता लेकिन जिस तरह कि कानून में परिभाषा दी जा रही है उससे साफ पता लगता है कि जिस दिन से यह कानून पास होकर राजस्थान में लागू होगा और उसके बाद पंचायतों के चुनाव होंगे उन चुनावों में इस प्रकार का सजायाफ्ता व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। यदि सरकार का यह दृष्टिकोण है तो सन् ५४ से आजतक पंचायत का पंच बना हुआ है, सरपंच बना हुआ है और वह व्यक्ति इस प्रकार के कानून में पहले का सजायाफ्ता है तो वह व्यक्ति इस प्रकार के परिवर्तन लाने के बावजूद भी पंचायत का पंच या सरपंच बना बैठा रहेगा।

हालांकि हमने आज तक इस बात का विरोध किया है कि जो कानून बनाए जायं उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पिछली तारीख से लागू नहीं करें। आज पहली बार है कि हम इस बात की मांग कर रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस कानून को लागू करने में सच्चा दृष्टिकोण अपनाना है, तो उस दिन इसे लागू करना चाहिये कि जिस दिन से पंचायत एक्ट बनाया

Page No.58

(श्री भैरोंसिंह)

गया है और इसके माने यह होंगे कि पंच और सरपंच आज पंच या सरपंच बने बैठे हुए हैं और पहले इस प्रकार की सजा पा चुके हैं उनको इससे हटाया जा सकता है ।

चाहे पांच वर्ष पहले से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक्ट को लागू करें और सारे जागीरदारों से पहले की बकाया सेस वसूल करने के लिए उस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दें। रेंट रेट का प्रश्न आता है तो सरकार यह कानून बनाने में संकोच नहीं करेगी कि इसे सन् ५२ से लगाया जाय, पर अछूतों का प्रश्न आता है और इस प्रकार के कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के बारे में विचार किया जाता है तो सरकार संकोच करती है, और इसलिए संकोच करती है कि जिन पंचों को हटाया जाना चाहिये उन पंचों को सरकार हटाना नहीं चाहती, यह कहां के न्याय की बात है ?

तीसरी बात यह है कि अभी राजस्थान विधान सभा में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बात कही थी कि पंचायतों को अधिकार देने हैं। इस सदन के दोनों ओर के माननीय सदस्यों के उस भाषण पर वाद-विवाद के समय किए गये भाषणों से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सदन इस बात को पसन्द करता है कि राजस्थान की पंचायतों को कुछ अधिकार दिये जायं। जो धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया गया उसमें ऑटोमेटिकली यह उल्लेख था कि श्रीमान् राज्यपाल ने अपने भाषण में यह फरमाया कि पंचायतों को अधिकार देने हैं, इसके लिये उन्हें धन्यवाद देते हैं। आज यह कानून पेश किया जाता है, इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यह कानून पास करने के बजाय प्रिंसिपल लों बनाना चाहिये, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़ा वृहत्तर रूप देना चाहिये। पंचायतों के संबन्ध में यदि पचों को अधिकार देने हैं, इस डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइज़ेशन करना है और किसी प्रकार की व्यवस्था करनी है तो वे सारी बातें एक कानून के रूप में सदन में पेश करें तो ज्यादा अच्छी चीज होगी। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि इसमें कई खामियाँ हैं, संख्या नहीं दी है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं रखा है, वह भी सुधार करना जरूरी है। और भी माननीय सदस्य सुझाव पेश करेंगे, वह भी सिलेक्ट कमेटी में पेश करेंगे, यहां इस बात के संशोधन पेश नहीं कर सकते। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि यह छोटे छोटे संशोधन के रूप में कानून पास करने की जो प्रेक्टिस बन रही है, इसको बदलें। यदि ये छोटे छोटे टुकड़े लाकर विधान सभा में कानून बनायेंगे, यह प्रेक्टिस जारी रखेंगे तो इस प्रकार के कानून बनाने का मतलब और जनता को इनसे लाभ पहुँचाने का मतलब; ये दोनो ही मतलब सिद्ध नहीं होंगे।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने जो यह प्रस्ताव पेश किया है कि इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, यह बिल्कुल ठीक है। साथ ही सदन से भी प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री जगदीशप्रसाद (सीकर) : माननीय अध्यक्ष, जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह जी ने प्रवर समिति के पास भेजने के लिए रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। अभी अभिभाषण में बताया गया कि पंचायतों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार किया जा रहा है और

(श्री जगदीशप्रसाद)

यह कहा गया कि मसूरी में इसके लिए कॉन्फ्रेन्स हो रही है, उसमें यह तय किया जा रहा है कि पंचायतों को अधिकार दिये जावें या नहीं ? अगर वहां पर कुछ तय हो जावेगा तो कुछ दिनों के बाद हमको फिर संशोधन लाना पड़ेगा। साथ ही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात का संकेत किया है कि पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हम जो इस विधान सभा में आये हैं तो हमारे सामने अगर इसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में संशोधन आते रहे तो इसका कोई अन्त नहीं होगा, हम यों ही कार्यवाही को लम्बी करेंगे। एक भी सिटिंग होती है, उसका भार जो होता है वह जन-साधारण पर जाकर पड़ता है। इस तरह से पीस मील लेजिस्लेशन करके विधान सभा की कार्यवाही को बढ़ायेंगे तो अनावश्यक रूप से बेजा रूप बनता जावेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए मैंने सुझाव दिया कि इसके लिये कमिशन बिठाया जावे जो यह तय करे कि पंचायत बिल में कौन कौन से संशोधन पेश करने हैं। वह इस (पंचायत बिल) का अध्ययन करे और उसके पश्चात् जो संशोधन इसमें करने आवश्यक हों वे पेश किये जावें ताकि ओन दी होल, सारे के सारे, संशोधनों पर एक साथ विचार किया जा सके। दूसरी बात यह है कि आज ही इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आज ही इस संशोधन को पास किया जावे और इसके कारण से बड़ी बेचैनी या बड़ा बदअमन फैल रहा हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार के कोई केसेज न्यायालयों में नहीं आ रहे हैं कि गांवों के लोग हरिजन भाइयों के साथ या अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जिनको दण्ड दिलाने के रूप में यह संशोधन लाना जरूरी हो। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन इस संशोधन को लाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अपनी कारगुजारी दिखाना चाहती है कि प्रथम बिल पर अमुक अमुक कार्यवाही की और हमने अमुक अमुक कार्य किये तो यह कोई उचित बात नहीं है। यह कोई न्यायसंगत और तरीक संगत बात नहीं है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे जिससे हमारा धन और समय दोनों बच जावें और काम भी बचे और इस पर विस्तृत रूप से विचार करेंगे तो सही रूप में पंचायत बिल को हम पब्लिक के सामने रख सकेंगे और कह सकेंगे कि हमने काम किया है। अतः इन शब्दों के साथ कि जो संशोधन है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जावे, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, मैं, भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने राजस्थान पंचायत बिल पर रखा है, उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने जो एमेन्डमेण्ट रखा है कि इसको प्रवर समिति के समक्ष रख दिया जावे उसका मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन करने के प्रमुख कारण मैं आये दिन न्यायालयों में अनुभव करता हूँ कि हमारे यहां राजस्थान पंचायत बिल में कई प्रकार की खामियें हैं और उन पर विचार करने के लिये सदन के सामने अनेक संशोधन आवेंगे। इसलिये इन संशोधनों को एक एक करके, फर्स्ट एमेन्डमेंट, सेकिण्ड एमेन्डमेंट, थर्ड एमेन्डमेंट और फोर्थ एमेन्डमेंट करके पास करते जावें,

Page No.60

(श्री सतीशचन्द्र)

जैसा कि मेरे माननीय सदस्य ने कहा, कभी भी उचित नहीं होगा। पीसमील लेजिस्लेशन कभी भी उचित नहीं होगा । इस विचार को ध्यान में रख कर मैं यह निवेदन करूंगा कि पीसमील लेजिस्लेशन के बजाय सारे बिल पर जो भी एमेन्डमेंट हों वे उनको एक साथ ले लिये जावें । ओन दी होल, उस पर विचार कर सकें तो सदन का समय भी बचेगा । इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने से सदन को सहूलियत होगी, और अगर दो महीनों का समय लग जावेगा तो कौनसी बात हो जावेगी ? आज सरकार इस संशोधन को लागू करने जा रही है, उसके बजाय दो महीने बाद लागू हो सकता है और वह भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर सकती है । इसलिये इसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है । इसलिये मेरी राय में मंत्री महोदय को इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो मैं उसको हमेशा बहुत गौर से सुना करता हूं और वह इसलिये सुना करता हूँ कि माननीय सदस्य जो कुछ कानून बनाने जा रहे हैं और जो जो कार्यवाही हो रही है उसमें सहायता देने की कोशिश करेंगे । यह बहुत सीधी बात थी । यह बहुत सीधा सा एमेन्डमेंट पेश किया गया था, मगर इसमें जो आपने बातें कहीं उसके बारे में मैंने बहुत कोशिश की मगर इसको मानने में कोई तथ्य दिखाई नहीं दिया । सबसे पहले यह कहा गया कि इसके कोई नम्बर नहीं हैं और हाई कोर्ट में नम्बर लगाने में दिक्कत होगी । इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे । मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका नम्बर सबसे ऊपर दिया गया है ।

इसलिये यह कहना कि इसका नम्बर नहीं है; मैं नहीं समझ पाया कि यह बात कैसे कही गई ? इसके अलावा दूसरी बात यह कही गई कि सिलेक्ट कमेटी में इसको इसलिये भेज देना चाहिये कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सके । आज जो कानून बनाया जा रहा है उसके बजाय यह दुबारा ६ महीने बाद आवेगा इसलिये ६ महीनों की देर तो होती है और साधारण तौर से लग जाने वाली है और जिन लोगों को कानून बनाने चाहिये कि जो गल्ती करते हैं उनको सजा मिल जावे, मगर वह कानून आज नहीं बनने की बजाय ६ महीने बाद बनेगा । फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि यदि कोई सदस्य डिसक्वालिफाइड हो या पहले से है, तो वह कानून हटाया जा सकता है । इसलिए इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिये जाने की जरूरत नहीं।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि जितने एमेन्डमेंट्स हों वे सब एक साथ पेश हो जावें, वे सब सिलेक्ट कमेटी के पास चले जावें । मैं यह कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी को कैसे अधिकार होगा, उन सब पर विचार करने का ? वह तो उसके स्कोप के बाहर की चीज होगी । इसलिये जितनी दलीलें दी गई हैं मैं समझता हूँ कि उनसे इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है । गवर्नमेंट का डाइरेक्शन हमारे पास है । पीसमील में लाने का कोई विरोध नहीं है । इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये बाध्य नहीं करेंगे और अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जो बात मैंने सदन के अन्दर रखी उसको शायद सदन तो समझ गया है लेकिन जिन मन्त्री महोदय ने यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है वह मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझे हैं । मैंने यह कहा कि राजस्थान पंचायत एक्ट में कौन सा संशोधन है, तो उत्तर मिलता है कि इस पर लिखा है सन् १९५७ का विधेयक संख्या ५ । मेरा मतलब इस संख्या से नहीं है । मेरा मतलब उस संख्या से था कि पंचायत एक्ट के अन्दर कौन सा संशोधन आ रहा है, इस संख्या को डिनोट कर सकें ; इस नम्बर से मेरा मतलब था । इस चीज का तो कोई उत्तर नहीं है और उत्तर किसी और ही बात का दिया जाता है । बात यह है कि किसी बात को समझने की आवश्यकता ही नहीं है । या तो कहिये कि मेरे कहने में गलती है या फिर उनकी समझ का फेर है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह समझने की बात है, कानून की बात है कि अमेंडमेंट का नम्बर न देकर बिल का नम्बर दिया जाता है । पंचायत के अन्दर कौन सा संशोधन का नम्बर है, यह नहीं दिया जाता है ।

श्री भैरोंसिह (१४) : यह समझने की बात है । जितने भी कानून बने हैं और जितने भी कानून सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं उनमें सब में पंचायत कानून में संशोधन के अन्दर कौन सा नम्बर है, यह दिया जाता है । अगर यह नम्बर नही दिया जाता है तो यह कानूनी भूल है और यह परम्परा गलत है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का निर्णय नहीं करना चाहता हूं कि वह जो बात कर रहे हैं वह किस हद तक सही है, लेकिन यह सही है कि जिस बिल के ऊपर भी संशोधन पेश करें उस एक्ट के अन्दर उस संशोधन का कौन सा नम्बर है, वह दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आपका तात्पर्य क्लॉज २ से हो सकता है । राजस्थान पंचायत एक्ट, १९५३ में कौन सा संशोधन है ?

श्री भैरोंसिह (१४) : हां, राजस्थान पंचायत एक्ट १९५३ में कौन सा संशोधन है ? इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि हम इस एक्ट में अब तक कोई दो-तीन संशोधन पास कर चुके हैं, अब शायद यह चौथा संशोधन हो, मैं पूरी तरह कह नहीं सकता । तो यह कौन सा नम्बर है, इस चीज को माननीय मन्त्री जी को बताना चाहिए ।

अब अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में एक दूसरी बात नहीं आई कि यदि इस कानून के बनने से पहले किसी आदमी ने सजा भुगती है तो क्या वह फिर भी पंच बनेगा, तो ऐसे आदमी को जो कि पहले सजा भुगत चुका है वह भी डिस्क्वालीफाई हो जायगा । लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए कहूँ कि यह उत्तर जो आपने दिया है गलत है और आपकी यह मन्शा है कि पिछले चुनाव में भी यदि कोई व्यक्ति चुनकर आ गया है और उसको हटाना है तो इसमें यह करना होगा कि उसको इस संशोधन के द्वारा हटया जा सकता है । आप ऐसा नहीं समझते हैं तो अपने लॉ डिपार्टमेंट के व्यक्तियों से पूछ लीजिए । यह गलती है, इसको दुरुस्त करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, एक तीसरी बात और कही गई जिसे मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इसका स्कोप कुछ लिमिटेड है, इसलिए हम सिलेक्ट कमेटी से मांग नहीं कर सकते कि इसको कुछ एडजेस्ट किया

(श्री भैरोंसिंह)

जाय। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि इस प्रकार का पीसमील लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिये, इसका भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। कहते हैं कि भारत सरकार की ओर से आदेश आये हैं। मेरा ख्याल है कि आप सभी काम भारत सरकार के आदेशों से ही करते हैं, स्वयं की कार्य करने की कोई प्रेरणा नहीं होती है। पंचायत एक्ट के अन्दर और भी कई इस प्रकार से धीरे धीरे संशोधन लाने होंगे क्योंकि वह एक आदर्श एक्ट नहीं है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस प्रकार से बार बार संशोधन न लाये जायें। मैंने कहा था कि जितने भी संशोधन आपको करने हैं उन सब को एक साथ करके एक पीसमील चीज से छुटकारा पाकर इस तरह का संशोधन लाना चाहिए। मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसको अभी हटा कर आप अगले समय में, आने वाली सेशन में यानी दूसरे अधिवेशन के पहले दिन ही इसको ले आवें। अब आप इस पर तो यह भी कह सकते थे कि नहीं, वह अधिक लम्बा समय हो जायेगा और इसको पांच ही दिन में ले आवें। आप इसको विथड्रॉ कर लेते। हम विरोधी दल के सदस्य होने के नाते माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करेंगे कि इन सारी अड़चनों को दूर करने के लिये सब से अच्छा यह हो कि इसे एक कन्सोलिडेटेड फॉर्म में प्रस्तुत करने की आज्ञा दें। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं किन कारणों से समझूं कि मुझे यह प्रस्ताव वापिस लेना चाहिये। मैं तो इस निर्णय को सदन के ऊपर ही छोड़ूंगा। माननीय मन्त्री जी की ओर से जो मुझे उत्तर मिला है वह अनुचित उत्तर है इसलिये मैं अपनी ओर से इसको वापिस नहीं लेना चाहता हूं। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को पारित करें तो अच्छी चीज होगी।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पंचायत एक्ट को विचारार्थ लेने के लिये के लिए यह जो प्रस्ताव है उसके बारे में श्री भैरोंसिंह जी ने एक संशोधन पेश किया है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

प्रश्न यह है कि भैरोंसिंहजी का संशोधन स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वह हां बोलें।

(मत-दान के पश्चात्)

'A yes' have it

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अमेन्डमेन्ट करने के लिए एक पत्र भेजा था जिसका मुझे कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। Let there be no vagueness about anything.

एक माननीय सदस्य : Sir, Noes have it.

श्री अध्यक्ष : yes, Noes have it.

श्री तनसिंह (१६७) : आपने अपने निर्णय में पहले "Ayes have it", कहा और अब कहते हैं कि नोज़ वाले जीते। इसलिये वह चेलेंज कर सकते हैं। अब यह डिवीज़न भी क्लेम कर सकते हैं। इसके सिवा तो कोई और चारा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या आप चाहते हैं कि इस पर डिवीजन हो ?

श्री तनसिंह (१६७) : इसका मतलब यह है कि जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, संशोधन के बारे में वह स्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष : जो संशोधन पेश हुआ है, प्रश्न यह है कि श्री मैरोसिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

ना पक्ष जीता।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ २, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"Renumber the clause as sub-clause (1) and add the following new sub-clause (2) :-

"(2) In the proviso-

(i) Delete the word 'and' occurring between the brackets and letters '(c)' and '(g)'.

(ii) Insert the word, brackets and letters 'and (i)' after the brackets and letter '(g)'."

मेरे इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि आज जो हमारे सामने बिल आया है उसमें कोई लम्बी बात नहीं है एक ही बात है और वह है कि यदि कोई व्यक्ति जो वह कि अनटचेबिलेटी एक्ट या अस्पृश्यता निवारण विधेयक के कारण सजा पाया हुआ है वह पंचायत में भाग नहीं ले सकता है या वह पंच बनने का अधिकारी नहीं है। जो इस विधेयक का क्लॉज़ ११ है उसके मुताबिक अन्य भी कई अयोग्यतायें रखी गई हैं जिनके अनुसार कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। उनमें से कन्विक्शन के मुताबिक दो-तीन क्लॉज़ेज़ हैं। एक तो मेरा ख्याल है कि कोई व्यक्ति चोरी करता है या डाका डालता है या कोई और ऐसा ओफन्स करता है जिसमें कि मोरल टर्पिट्यूड का सवाल हो तो वह व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। वैसे मुझे खेद है कि इस प्रकार संशोधन लाना पड़ा। जितने भी कानून पास हुये उतने ही चुनावों के अधिनियम आये हैं, किन्हीं में ऐसी बात नहीं थी कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अयोग्यता के कारण कन्विक्टेड हो जाता है तो वह चुनाव में जिन्दगी भर खड़ा नहीं हो सकता? वे अयोग्यतायें निश्चित अवधि तक हो सकती हैं, पर इस कानून में अयोग्यताओं का निवारण करने का अधिकार हमने सरकार को दिया है। मान लीजिये एक व्यक्ति पर छूआछूत के अपराध में २५ रुपया जुर्माना हो जाता है तो इस कानून के मातहत वह जिन्दगी भर के लिये पंचायत चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता; सिर्फ एक ही रास्ता है और वह यह कि अगर सरकार उस अयोग्यता का निवारण कर सकती है तभी वह खड़ा हो सकता है और वह अधिकार सरकार को मेरे इस संशोधन से मिलेगा। वैसे तो असेम्बली में खड़े होने के लिये कानून दूसरा है व म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये खड़ा होने को दूसरा कानून है; हरेक चुनाव में खड़े होने के लिये कुछ कायदे हैं जिनमें ऐसी अयोग्यताओं की कुछ मयाद है। इस पंचायत कानून को बनाते वक्त कोई मयाद नहीं रखी गई थी चाहे कितने ही अर्से तक वह रहे। लेकिन मान लीजिये सरकार अपनी कृपापात्र का अधिकारी उस व्यक्ति को समझती है तब तो आप उसकी अयोग्यता का निवारण कर

(श्री तनसिंह)

सकें, ऐसा प्रोवीजन तो इसमें होना चाहिये तभी चुनावों में वह खड़ा हो सकता है। अस्पृश्यता कानून के अनुसरण में किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो सरकार को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अयोग्यता निवारण कर सके। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वह जिन्दगी भर पंचायत के चुनाव में भाग नही ले सकता।

मैं मानता हूं कि आपकी, कानून को पुरःस्थापित करने की भावना अच्छी है और अस्पृश्यता निवारण करने के लिये यह ठीक भी है कि किसी व्यक्ति को सजा दी जाय। यह करना कि कोई व्यक्ति जो सामाजिक आचरण का दोषी है उसको पंचायत के चुनाव के लिये खड़े न होने देना, यह केवल इसलिये है कि उसका हरिजनों के प्रति अनुपयुक्त व्यवहार हुआ है। हर अपराध में सजा रहती है और हर व्यक्ति के मानसिक स्तर में परिवर्तन होने का समय रहता है। इस कानून के अन्तर्गत अगर किसी व्यक्ति को दंडित कर दिया जाता है तो वह सारी जिन्दगी के लिये पंचायत के चुनाव में भाग लेने से महरूम रह जाता है, फिर चाहे वह व्यक्ति अपने कृत्य पर कितना ही पश्चाताप क्यों न प्रकट करें? यह कानून जब हमारे सामने लाया गया तो सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया, सम्भवतः इसलिये नहीं किया होगा कि इस कानून को जल्दी लाने की इच्छा थी।

माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया हमारे यहां जुडिशियरी एक्ज़ीक्युटिव से अलग नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री ने जवाब दिया उसमें इस प्रकार की बात का समावेश उन्होंने करना ठीक नहीं समझा हो। मुख्य मन्त्रीजी के भाषण में बड़ी बड़ी बातें आयीं, किन्तु जिन बातों का मैंने उल्लेख किया कि जुडिशियरी एक्ज़ीक्युटिव से अलग होनी चाहिये, इस बात का जवाब देना उन्होंने शायद उचित नहीं समझा। आज हालत यह है कि किसी भी मजिस्ट्रेट का तबादला, उसकी तरक्की सरकार के हाथ में है। ऐसी स्थिति में दो झूठे गवाह खड़े कर कोई भी आदमी, पुलिस का अधिकारी चाहे किसी पर मुकदमा कर सकता है और उसको सजा दिलवा सकता है। जिस राज्य के अन्दर जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव एक हों वहां एक व्यक्ति के खिलाफ चार गवाह खड़े कर उनके बयान लेकर इस कानून के अन्तर्गत अपराधी कराना और उस पर दस रुपया जुर्माना करवाना जिसकी अपील का कहीं भी प्रोवीजन नहीं, आसान है। ऐसे व्यक्ति का कोई अपराध नहीं लेकिन फिर भी उस पर जुर्माना होगा, सजा होगी और जिन्दगी भर तक वह किसी भी पंचायत के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेगा। निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि हालांकि मुझे चाहिये तो यह था कि सजा की अयोग्यता की अवधि पांच साल की रखता। पहले जो कानून हमने पास किये हैं उनके अन्तर्गत कन्विक्शन की सीमा नहीं रखी गई है. वह सीमा रख देते। उसमें भी एग्ज़ेम्पशन्स रखे गये हैं। सरकार को चाहिये कि किसी भी व्यक्ति का अयोग्यता का वह निवारण कर सकती है। मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि सरकार चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष के आवेदन पर, कानून के विरोध में कोई कन्विक्शन होता है तो वह आर्डर निकाल सकती है, यह उपयुक्त होगा। आज जिस नियत पे सरकार शासन कर रही है, जिस ढंग से शासन चला रही है उसको

Page No.65

(श्री तनसिंह)

देखते हुए इस काश्त के अन्तर्गत लोगों को दबावेंगे। उनको अपने सहयोगियों को ओब्लाइज करने का भी मौका मिलेगा। वे चाहे किसी भी व्यक्ति की अयोग्यता का निवारण कर सकते हैं।

मेरा खयाल है, मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसे स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। अयोग्यता निवारण करना कोई रिश्वत नहीं होती, अयोग्यता निवारण करने का अधिकार स्वयं सरकार के हाथ में है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिल जायं जिन पर सरकार अपनी कृपा करना चाहे, किसी मंत्री महोदय के कृपा पात्र हों, तो मेरे इस संशोधन के जरिये वे उस कृपापात्र की अयोग्यता-निवारण कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से कानून पास नहीं करेंगे तो मौका चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट जब मेरे पास आया था उसी समय मैं इसे स्वीकार करने के पक्ष में था। माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में पहले बातचीत हुई थी, उसमें यह था कि अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस कानून को देने के लिए तैयार हैं तो यह ठीक होगा। एक ओर कहा जाता है, इस प्रकार की डिसक्वालिफिकेशन को हटा दिया जाय। दूसरी तरफ आयन्दा के लिए कानून की पाबन्दी करना चाहते हैं। उनमें अगर दो-तीन साल के लिये डिसक्वालिफिकेशन को रिलेक्स कर सकते हैं तो करनी चाहिये। जिन माननीय सदस्य ने एतराज किया उन्होंने कोई इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट पेश किया हो नहीं, वे चाहते तो लेटली कर सकते थे।

श्री भैरोंसिंह (१४) : यह तो सरकार की तरफ से आना चाहिये था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूँ कि इस बात को इस कानून में रखना चाहिये। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी अगर किसी की डिसक्वालिफिकेशन को सरकार रिमूव करना चाहे तो कर सकती है, साल भर बाद या दो साल बाद भी। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य इस संशोधन के लिये ज्यादा सीरियस हैं। मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अमेन्डमेन्ट दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका अमेन्डमेन्ट लेट आया था इसलिये मूव करने की इजाजत नहीं दी गई।

श्री रामचन्द्र : मैं इसी क्लॉज के सिलसिले में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जब मन्त्री महोदय उत्तर दे चुके तो इसके बाद कोई बहस नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में जो संशोधन श्री तनसिंह जी ने रखा है स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि। प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

३ म० प०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

राजस्थान चेचक टीका विधेयक, १९५७ (विचार-विमर्श)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान चेचक टीका विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लियाजावे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद।

श्री जगदीशप्रसाद (सीकर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान चेचक टीक विधेयक, १९५७ सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। इस बिल के ऊपर मेरा यह संशोधन है कि इस बिल को प्रवर समिति के समक्ष सुपुर्द किया जावे जिससे कि विधेयक पर पूरी तरह से विचार किया जा सके। राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के अभी तक कोई कानून नहीं जिनके द्वारा यह बात हो कि टीका लगाना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि इस बिल के अन्दर इस प्रकार के क्लॉज़ेज दिये हैं, कुछ इस प्रकार की व्यवस्थायें दी हैं कि जिससे जुर्माना और सजा तक का प्रावधान किया गया है। अब तक व्यक्ति के स्वयं के हानि-लाभ सोचने पर ही लगाया जाता था। साधारणतया समाज में भी आज यही भावना पनपती जा रही है कि हमें इस बीमारी से दूर रहने के लिए टीका लगवा लेना चाहिए। तो इस बिल की मूल भावना से तो हमारा विरोध नहीं है, पर इसके अन्दर कुछ इस प्रकार की बातें हैं; जैसे कि एक बार एक व्यक्ति यदि किसी कारण से टीका नहीं लगावे और दुबारा चेतावनी देने के बाद भी नहीं लगाता है तो उसको कैद की सजा भी दी जा सकती है, इसके साथ उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ये बातें साधारण समाज में एक प्रकार की अशान्ति और गड़बड़ी पैदा करने वाली हैं। यह कोई बहुत बड़ा जुर्म या अपराध नहीं है क्योंकि यह तो समाज के स्वाभाविक विकास की एक बात है।

कोई समय ऐसा भी था जब कि लोग टीके की बात से चिढ़ जाया करते थे, पर आज यह बात नहीं है। समाज के समझने में परिवर्तन हुआ है, पर यदि फिर भी किसी कारणवश बच्चे के मां-बाप या गार्जियन अगर टीका नहीं लगाते हैं या डिले करते हैं किन्हीं भी कारणों से, तो उसे न्यायालय में ले जाया जावेगा और सजा दी जावेगी।

(श्री जगदीशप्रसाद)

तो यह तो वास्तव में किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा।

दूसरी बात इस बारे में लोगों की कुछ धार्मिक भावनाएं भी हैं; वह यह है कि गाय के अंश से इसे तैयार किया जाता है और वह टीका लगाया जाता है और इस बात को अगर आप इन्कार करें तो साधारण लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। तो जबर्दस्ती भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाकर इसे उन पर लाद दिया जावे तो यह भी ठीक नहीं होगा।

तो इन दृष्टियों से इस विधेयक पर पूरी तरह से विचार करके और जन-मानस को ठीक तरह से समझ कर और फिर लोगों ने इस पर कुछ संशोधन भी रक्खे हैं, उन पर भी विचार करके उचित तो यही होगा कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे।

श्री दयाकृष्ण (छाबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, मेरे पूर्व वक्ता ने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो संशोधन रक्खा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जहां तक टीका लगाने का प्रश्न है जनता स्वयं जागृत है और समझती है कि यह एक भयंकर बीमारी है, छूत की बीमारी है, इसको रोका जाना आवश्यक है और लोग-बाग आगे बढ़कर टीका लगवाते हैं। तो लोगों की भावना आज यह है। पर जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि इसमें कुछ खामियां हैं जिन पर विचार होना आवश्यक है। किसी भी बिल को जो इस तरह का सार्वजनिक हित का हो जल्दी में पास नहीं करना चाहिये, उस पर पूर्ण रूप से पहले विचार करना चाहिये।

इस बिल में जुर्माने और दंड की व्यवस्था की गई है। साथ ही जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, इसमें धार्मिक भावना भी सम्मिलित है। इसलिये इन सब बातों पर विचार करते हुए हमें यह सोचना चाहिये कि जनता पर इस बात का खराब असर तो नहीं पड़ेगा। इस सिलसिले में और क्या क्या कठिनाइयां आने वाली हैं, उन पर भी विचार करना उचित है और यह विचार सही तरीके से प्रवर समिति में ही बैठकर किया जा सकता है।

मैं मानता हूँ कि जो भी किया जाता है वह जनता के भले की भावना से किया जाता है और जो भी बिल पास किया जावेगा वह जनता की भलाई के लिये किया जावेगा, पर साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता भी इस बारे में अपना नैतिक कर्तव्य समझे, इस प्रकार की भावनाएं किसी भी कानून के पास करने से पूर्व हमें जनता में पैदा अवश्य करनी चाहिये। तब हमें किसी बिल को लाना चाहिये, तो उचित रहेगा। जनता उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगी। तो इस बिल को जनता के सामने भी प्रस्तुत करना चाहिये ताकि वह भी इसकी खामियां बता सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपने पूर्व वक्ता महोदय का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्ताव इस बिल के लिये रक्खा गया है कि इसे प्रवर

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

समिति के सुपुर्द किया जावे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरे माननीय मित्र इस बात से तो सहमत हैं कि हमारे देश में चेचक की बीमारी है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है और टीका लगाने को भी जनता तैयार है और लगाते भी हैं। इसमें भी उनको मतभेद नहीं है। ऐसी अवस्था में इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात करना और इसके पास होने में देरी लगाना उपयुक्त और शोभा की बात नहीं है। हमारे देश में इस बीमारी से हर साल हजारों बालक मृत्यु-शय्या पर चले जाते हैं और उनके हित में यह अनिवार्य है कि टीका लगाया जावे। दूसरे-दूसरे प्रान्तों में भी ऐसे बिल पास हो चुके हैं। तो हमारे यहां भी इसके पास होने में देरी नहीं होनी चाहिये।

अतः मैं सदन से प्रार्थना करूँगा कि इसको शीघ्रातिशीघ्र पास करें और प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं करें। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं।

श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि भारत में चेचक का रोग बढ़ा हुआ है। इस सदन में तो नहीं लेकिन राजस्थान के अधिकांश समाचार पत्रों में इस बीमारी के बारे में समाचार आते रहते हैं। आज-कल जयपुर में भी भयंकर चेचक की बीमारी चल रही है, इसके बारे में भी समाचार मिलते हैं। यदि कोई सुबह उठ कर चाँदपोल की तरफ चला जावे तो छोटे छोटे बच्चों को श्मशान में ले जाते हुए देख कर उनको ऐसा लगेगा कि जैसे जयपुर पर चेचक का प्रकोप है। आवश्यकता तो इस बात की थी कि हमारी सरकार, जहां इस प्रकार के कानून बनाती है और कानून बनाने से जनता के समक्ष एक प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि सरकार चेचक के मामले में बहुत ही ज्यादा सतर्क है, यह इस बात से सिद्ध होता है। सरकार की सतर्कता केवल कानून बनाने की है यहां वास्तव में जो चेचक की बीमारी फैल रही है, उसको रोकने की नहीं लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव यह कहता है कि केवल कानून बनाने की सरकार की मन्शा है। वे यह सोच कर चले हैं कि राजस्थान के अन्दर अलग अलग टुकड़ों में जो कानून बने हुए थे और उन कानूनों के सम्बन्ध में भारत सरकार का जो कानून बना हुआ था, उसके अलावा भी यह आवश्यक समझा गया कि राजस्थान की विधान सभा द्वारा एकरूपता लाने वाला कानून बनाया जाय। मैं इस विचार का समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन करने से पूर्व वह चित्र मेरे सामने आता है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस समय सरकारी वेक्सीनेटर गांवों में जाते हैं, इस कानून में व्यवस्था की है कि जो वेक्सीनेशन का समय हो, उसको निश्चित किया जायगा, उसके बाद नोटिस इश्यू किया जायगा और नोटिस के दूसरे रूप में जिस प्रकार भी प्रचार किया जा सके, प्रचार किया जायगा और लोगों को उसकी जानकारी कराई जायगी। यह अच्छी व्यवस्था है इस अच्छी व्यवस्था के साथ साथ हमने ऐसा प्रावधान किया है कि बच्चे और बच्चों के मां-बाप किस कारण से टीका नहीं लगवाते हैं तो वेक्सीनेटर को यह अधिकार होगा कि वह यह सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को

(श्री भैरोंसिंह)

देगा। सूचना देने का मतलब यह है कि अदालत में मुकदमा चलेगा। यदि वहां कोई सेटिसफेक्ट्री कारण नहीं आया, या वकील अच्छी तरह वकालत नहीं कर पाया, तो उस आदमी को सजा हो सकती है, बच्चे के मां-बाप को सजा दी जा सकेगी ६ महीने की, या ५०० रुपये के जुर्माने की। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में मां-बाप, पेरेन्ट या गार्जियन की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें लिखा है कि जहां बच्चा जायज होगा वहां गार्जियन बाप होगा और जहां बच्चा नाजायज होगा वहां गार्जियान होगी मां। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई बच्चा टीका न लगवाये, और चूंकि वह नाजायज बच्चा है, इसलिए उसकी गार्जियन मां है, तो किन्हीं कारणों के हो जाने से वह बच्चा टीका न लगवाये, या वेक्सीनेटर कोई निश्चित रिश्वत मांगे, जिसकी पूर्ति वह नहीं कर सके, और उसके कारण वह टीका नहीं लगाये, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शिकायत कर उसे ६ महीने की सजा करा दे, तो यह कहां तक न्याय होगा? मैं समझता हूं कि यह न्याय नहीं है। मैंने खुद देखा है और मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य अनभिज्ञ नहीं है। जो वेक्सीनेटर गांवों में जाते हैं, वे गांव वालों से कहते हैं कि अगर टीका लगवाना है तो एक रुपया देना पड़ेगा, या एक नारियल भेंट करना होगा। अगर वे एक रुपया देते हैं तो टीका अच्छी तरह से लगाते हैं और अगर नहीं देते हैं तो वे निर्दयी वेक्सीनेटर ठीक तरह से टीका नहीं लगाते हैं, उनके टीके पक जाते हैं, पकने के बाद बच्चा परेशान होता है, उसके मां-बाप परेशान होते हैं, डाक्टर की खुशामद करते हैं और अगर वह बच्चा ठीक नहीं हुआ तो स्वर्ग में जाता है।

शहर की गन्दगी के कारण चेचक का रोग फैलता है। लेकिन फिर भी शहर की सफाई के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। फिर चेचक किस तरह से दूर की जा सकती है और जो इस गन्दगी के लिए जिम्मेदार हैं, उनको कोई सजा नहीं दी जाती और जब चेचक आ गई तो जिम्मेदारी टीका न लगवाने वाले पर है। मैं समझता हूँ कि जब चेचक आती है तो सरकार पहले से क्यों नहीं सोचती और जब चेचक आ जाती है तो वेक्सीनेटर को सजा क्यों नहीं मिलती है। वेक्सीनेटर को पूरी क्वालिफिकेशन के बाद में नियुक्त किया जाता है तो हम यह मान कर चलते हैं कि जब उन्होंने बच्चों के टीका लगाया है तो बच्चों की ऐसी हालत क्यों होती है, चेचक के समय जैसी बच्चों की हालत होती है उसको बच्चों वाले ही जानते हैं, लेकिन उसकी सजा नहीं है, सजा की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर टीका न लगाया तो सजा दी जाती है। अगर टीका लगाने पर बच्चा बीमार हो जाये तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। उसके लिए सरकार कहेगी कि सर्विस रूल्स हैं, उसका प्रमोशन बन्द कर दिया जायगा, ट्रान्सफर कर दिया जायगा। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने की सजा केवल सर्विस में ट्रान्सफर ही नहीं है; उसको भी ६ महीने की सजा देनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज यह मनोवृत्ति है कि वकालत को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रोवीजन रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहना चाहता था कि यह कानून भी वकील महोदय द्वारा प्रस्तुत हुआ है। यदि यह कानून बन गया

(श्री भैरोंसिंह)

तो वकील महोदय की प्रेक्टिस के लिए मामले मिलेंगे। इस कानून से काफी कॉम्प्ली-केशन्स बढ़ेंगे, सीजन फिक्स किया जायगा, लेकिन किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन से समय सीजन मुकर्रर हुआ है। उसकी सूचना मिलेगी, यदि वेक्सीनेटर ईमानदार होगा तो सूचना मिलेगी। पिछले दिनों राज्य-पाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। आज मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कहीं उनसे पता चलता है कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को, रिश्वतखोरी को समाप्त करने का प्रयत्न कर रही है। मैं आपको बताऊं कि आज यह नहीं कह सकते कि मेडिकल डिपार्टमेंट में रिश्वत नहीं है, डाक्टर कोई दूध के धोये हुए नहीं हैं। ऐसे लोग जो मानव जीवन के लिए काम करने वाले हैं, उनके लिए ऐसे प्रावधान रखना, उनको भ्रष्टाचार के लिए उकसाना है। सजा का प्रावधान रख कर गांव वालों की आप परेशानी बढ़ा रहे हैं। जैसा कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई सीजन मुकर्रर कर दी और यह व्यवस्था उस समय हुई जिस समय खेती होती है, बाजरे की फसल होती है, उस समय मौसम की चिन्ता बढ़ती है, जैसे ही वर्षा होती है, तो उस बरसात का लाभ उठाना चाहते हैं और किसी न किसी रूप में हल ले जाकर खेतों में जाना चाहते हैं और बीज बोना चाहते हैं; ऐसे समय में ही अगर आप टीका लगाने का सीजन फिक्स करते हैं, तो मां-बाप को बच्चे के चेचक का टीका अमुक तारीख तक लगा देना पड़ेगा। अगर टीका लगाया, तो बच्चा तीन दिन तक बेकार रहेगा, स्त्रियों को घर बैठना पड़ेगा। वे सूत नहीं कात सकेंगी तो उनको मजदूरी नहीं मिलेगी और खेत में हल वक्त पर नहीं चल सकेगा, बीज समय में नहीं डलेगा। गांवों में ऐसी हालत हो जायेगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस वक्त खेती का सीजन हो, उस वक्त अगर टीके का सीजन रखा गया तो सरकार को इस बात की सूचना मिलेगी कि गांवों में चेचक बढ़ रही है तो वेक्सीनेटर रिपोर्ट करेंगे। इससे गांव वालों की परेशानी बढ़ेगी। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, गजट में आंकड़े आते हैं कि सीकर में तीन मृत्यु हुई, झुन्झुनू में दो हुई, जयपुर में पांच हुई हैं। मैं नहीं समझ सकता कि ये आंकड़े कौन देता है, कौन श्मशान भूमि की निगरानी करने वाला है? पंचायतों के रजिस्टर होते हैं, लेकिन उनमें एक भी इन्द्राज नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि जयपुर में कई मौतें होती हैं, लेकिन आंकड़े दो मृत्यु के होते हैं। ऐसे वेक्सीनेशन की व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता है, उन पर कुछ पाबन्दी डालने की आवश्यकता है और यह देखने की आवश्यकता है कि कौनसा सीजन फिट हो सकता है, नियम निर्धारित करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सीकर से आने वाले सदस्य ने प्रश्न किया वह वाजिब है। इस बिल को प्रवर समिति के सामने भेजना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप बच्चों के लिए परेशानी पैदा करेंगे और बच्चों के मां-बाप को परेशान करेंगे। अतः मेरा निवेदन केवल यह है कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, अभी चेचक के टीके के सम्बन्ध में जो सुझाव सदन के सामने आया, उस पर आशा तो यह की जा रही

Page No.71

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

थी, कि यह उसी रूप में बिना किसी विरोध के स्वीकृत हो जायेगा। लेकिन यह देख कर आश्चर्य होता है कि एक ऐसा विशेष लाभप्रद और समाज के लिये हितकर कानून का भी इसलिए विरोध किया जा रहा है कि इसका विरोध होना ही चाहिये। मैं समझता हूं, एक युग था जिस समय हमारा देश पराधीन था, तब हम इस प्रकार के कानून को शक की दृष्टि से देखते थे। मुझे याद है अपना बचपन जब कि गांव के लोग इस प्रकार की बातें करते थे कि ये चेचक के टीके अंग्रेज इसलिए लगाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि टीके लगाने से खून ही नहीं बल्कि आदमी के शरीर से दूध की धारा निकलेगी, वह अंग्रेजी राज्य को खत्म कर देगी, इसलिए चेचक लगाने का तरीका ईजाद किया गया है। यह ४०-५० वर्ष पहले की बात है जब कि मैं बच्चा था। लेकिन मैं समझता हूं, इस युग में इसमें इतना परिवर्तन जरूर हुआ है, कि पहिले वैक्सिनेटर जिस समय गांव में पहुंचता था उस समय माताएं अपने बच्चों को लेकर खलिहान में या खेतों में चली जाती थीं और पसन्द नहीं करती थीं कि चेचक के टीके लगाये जांय। धीरे धीरे इससे होने वाले लाभ साधारण जनता की समझ में आये और मुझे पता है कि अब माताएं खुशी-खुशी जहाँ वेक्सीनेटर ठहरता है, वहां जाती हैं और चेचक का टीका बच्चों के लगवाती हैं क्योंकि वे समझती हैं कि अगर टीका नहीं लगाया गया तो बच्चा माता से काना हो जायेगा या अन्धा हो जायगा और उसका मुंह छलनी हो जायगा। अब माताएं भी इतनी समझदार हो गई हैं कि गांवों में स्वेच्छा से वेक्सीनेटर के पास बच्चों को लेकर पहुँच जाती हैं। मैं समझता हूँ इस कानून को अभी लाने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसा कि इसकी भूमिका में बताया गया है कि राजस्थान में करीब २० छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें कहीं इस प्रकार का कानून था, और कहीं नहीं था इसलिए सबको एक रूप करने के लिए यह लाया गया है। आज प्रवर समिति में समय लगाने के लिए इसका विरोध किया जा रहा है और उसके लिए कारण ऐसे दिये जा रहे हैं, जो मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर एक सदस्य ने बताया कि इसका सीजन ऐसे मौके पर आता है जो फसल काटने का समय होता है। मैं समझता हूं, यह प्रकृति के लिए चुनौती है फसल का समय चैत्र के महीने में आता है। लगभग वही समय इसका होता है, और सौभाग्य या दुर्भाग्य से फसल कटने का भी वही समय होता है। इन दिनों में बच्चों के चेचक के टीके लगाने ही चाहिए। यह कहा गया है कि ऐसे मौके पर टीके लगाये गए तो बच्चों को बुखार आयेगा और ३-४ दिन तक उनको पड़ा रहना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इससे भी भयानक बात यह होगी कि यदि टीके नहीं लगाये गये और चेचक की बीमारी हो गई तो ३-४ दिन तक ही नहीं, बल्कि १५-२० दिन तक पड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि लोगों को अर्से तक बीमारी के कारण बुखार आता है और कभी कभी तो शिशु अवस्था में ही बच्चे काल के मुँह में चले जाते हैं और यदि बच भी जाते हैं तो उनको कितने ही दिन स्वस्थ होने में लग जाते हैं। उनमें से कई अन्धे हो जाते हैं, काने हो जाते हैं और कितनों ही का शरीर छलनी हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं तमाम

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बातों को ध्यान में रखते हुए इन दिनों में टीका अवश्य लगवाना चाहिये । आज जिस प्रकार के शासन में हम रहते हैं वह समाज कल्याणकारी राज्य कहलाता है, और आज कानून बनाने वाले अंग्रेज या विदेशी लोग नहीं हैं। उनको यह भय नहीं है कि हुकूमत में ऐसे आदमी निकलेंगे जिनके शरीर से खून नहीं निकलता है बल्कि दूध की धारा निकलेगी जो हमको खत्म कर देगी। इस-लिए ये जो अंध विश्वास की बातें होती हैं वे अब नहीं होनी चाहिए। आज सदन में लोग सुशिक्षित, समझदार और नवीन विचारों के हैं। क्या वे ऐसे कानून का भी विरोध करें और उसको आगे बढ़ने में बाधा उपस्थित करें, जो कि इतना आवश्यक है, इसे हम समझ नहीं सकते ।

मैं भी एक पुरानी स्टेट का रहनेवाला हूं। वहां टीके लगाने की कोई रोक-टोक नहीं थी। वहां टीके लगाना लाजमी था। मैं समझता हूं जयपुर में भी ऐसा ही होगा। जोधपुर और बीकानेर में भी ऐसी ही बात रही होगी। हो सकता है कि कुछ छोटे राज्यों में ऐसी बात नहीं हो। सम्भवतः जो बातें यहां कही गई हैं, कि इस कानून का दुरुपयोग होगा वे इस अच्छे कानून का विरोध करने के लिए ही कही गई हों, वरना इसका दुरुपयोग होने का कोई सवाल नहीं है। इसके लिये काफी मौका दिया जायगा। पहले नोटिस देंगे, समय निश्चित किया जायगा, उसके बाद एक मौका और दिया जायगा, उसके बाद मजि-स्ट्रेट को कहेंगे। मजिस्ट्रेट फिर नोटिस देगा। इतना सब होते हुए, तथा पंचों और गांव के लोगों के होते हुए वेक्सीनेटर झूठा केस बनाकर मेजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट करे, ऐसी संभावना नहीं है।

आज की जन-कल्याणकारी, समाज-कल्या-णकारी सरकार चाहती है कि एक एक बच्चा टीका लगावे जिससे कि उनका स्वास्थ्य खराब न हो, उनके मुंह, आंख और शरीर पर धब्बा नहीं हो। सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि एक एक बच्चा इस बीमारी से बचे, ऐसी अवस्था में हमको आज इस कानून में अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होना चाहिये। इसकी आड़ में सरकारी कर्मचारी और खासतौर से वेक्सी-नेटर, जो हमारी सेवा के लिये रखे गये हैं, किसी तरह अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, ग्रामीण किसानों और शहर के गरीब लोगों को तंग करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिये। मैं समझता हूं, पूरे सदस्य ऐसे निर्दोष कानून का स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि अविलंब, तत्काल इसे स्वीकार किया जाये और शीघ्र ही अमल में भी लाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान वेक्सीनेशन बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये सीकर के सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और अभी जो एक माननीय सदस्य ने विचार प्रकट किये हैं कि इस बिल का विरोध विरोधी दल की तरफ से केवल इसलिये किया जा रहा है, क्योंकि बिल का विरोध करना चाहिये; तो मैं समझता हूँ ऐसी बात गलत है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह कह सकता हूँ कि यह बिल ऐसा नहीं है जैसा कि उन्होंने अपने विचार में प्रकट किया। आज वह जमाना नहीं है ५० साल पूर्व का जब कि चेचक के टीके लगाने से लोग

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डरते थे और मातायें बच्चों को लेकर घरों में घुस जाती थीं। आज सारी मातायें और बहिनें चेचक लगाने के लिये लालायित हैं। कोई अपने बच्चों को काना या अन्धा देखना नहीं चाहता है। अब जमाना बदल चुका है और हरएक आदमी चेचक के टीके लगाने के लिये तैयार है तो ऐसे मौके पर जब चेचक के टीके लगाने का कानून सदन में लाते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि सरकार केवल कानून पास करने के लिये ही यहां यह कानून लाई है। आज कानून लाने की आवश्यकता नहीं है।

आज जयपुर की हालत कौन नहीं जानता? स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने खुद ने कहा था कि जयपुर में चेचक बढ़ रहा है। आज कानून लाने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है चेचक को दूर करने सम्बन्धी व्यवस्था करने की। आज जयपुर के नागरिक चेचक की रोकथाम के लिये डेपुटेशन लेकर जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने स्वयं ने विचार व्यक्त किया था कि जयपुर में जितनी गंदगी है वह सब चेचक की बीमारी का कारण है। गंदगी के कारण जयपुर नर्क के समान है। आज जयपुर में लगभग ८०० बच्चे चेचक की बीमारी से पीड़ित हैं। जिस घर में जावेंगे, जिस मुहल्ले में जावेंगे उसमें आप जिन्दगी और बीमारी पावेंगे। दुर्भाग्य है कि मैंभी जयपुर नगरपालिका का सदस्य हूं। आज गंदगी के कारण स्वायत्त शासन मन्त्रीजी इसको नर्क बताते हैं लेकिन इसका उत्तरदायित्व किस पर है?

चेचक का अगर प्रकोप है तो आप रोकने का इन्तजाम तो नहीं करते हैं। उसको रोकने की आपने क्या व्यवस्था की है? आप नरक के राजा क्यों बनना चाहते हैं? हम तो आपकोइन्द्र देव बनाना चाहते हैं, नरक के यमराज नहीं बनाना चाहते हैं। आप केवल कानून बना लेना चाहते हैं। सरकार केवल कानून के लिए ही कानून बनाना चाहती है। यदि सरकार के मन में वास्तविक रूप से बड़ी सद्भावना होती तो मैं कहता हूँ कि सरकार ने आज तक कोई भी इस प्रकार का जो प्रयास या कदम नहीं उठाया है कि जयपुर में चेचक का रोग जो बढ़ रहा है, जिस प्रकार का असंतोष जयपुर के नागरिकों में व्याप्त है, फिर छोटी छोटी बस्तियों में कोई वेक्सीनेटर नहीं जाता है। लोग कहते हैं कि चेचक को काबू में लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि आज समस्या केवल कानून की नहीं है, आज समस्या व्यवस्था की है। चेचक के कानून में जो व्यवस्था दी गई है वह व्यवस्था इतनी डिफेक्टिव है, इतनी बुरी है कि उसमें कई संशोधन करने की जरूरत है। आज जो विचार माननीय सदस्य ने प्रकट किये हैं वे केवल विरोध के लिए ही नहीं हैं, बल्कि वास्तविक बातें हैं। जैसा कि अभी कहा गया है कि फागुन और चेत के महीने में चेचक का टीका लगाया जाता है, फागुन और चेत के महीने खेती के महीने होते हैं और गांव में किसान लोग उसमें व्यस्त रहते हैं, मैं समझता हूँ, ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में राजस्थान की १॥ करोड़ निरीह जनता के लिए केवल कानून बनाया जाय और उसके पालन में गलतियां होने पर ६ महिने की सजा दिला-कर न्यायालय के दरवाजे पर खड़ा करें, यही इस कानून की मन्शा है। यदि यह मन्शा नहीं है तो हमको कानून पर विचार करना होगा। यह विचार करने के लिए और कानून

Page No.74

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में सारी व्यवस्थाएँ करने के लिए, कानून में आवश्यक सुधार करने के लिए, अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए एक माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव किया था। यह जो चेचक का कानून आया है उसका हमारे से सिद्धान्ततः विरोध नहीं है, परन्तु इसमें आवश्यक सुधार करने की दृष्टि से, इस चेचक के कानून को सही रूप से सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से यह सुझाव दिया था कि इस चेचक के कानून को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इस कानून से सिद्धान्ततः विरोध नहीं है दोनों ही पक्षों को। प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, इस प्रस्ताव में किसी प्रकार के विरोध की भावना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, अभी चेचक के विषय में पेश हुए बिल के ऊपर जो संशोधन पेश हुआ है, उसमें, मैं समझता हूं, इतनी आवश्यकता नहीं थी कि वाद-विवाद इतना लम्बा किया जाय। जो हम सदन में बैठे हुए सदस्य हैं, जो हर एक प्रान्त से चुने हुए आये हैं, आज हमारी प्रत्येक बात का हमारे क्षेत्र में लोग मान करते हैं। तो बात इसमें ऐसी नहीं है कि इतना वाद-विवाद बढ़ाया जाय और इसको यह रूप दिया जाय कि हम उसमें इतना समय खराब करें। बात सिर्फ इतनी सी थी कि एक सिद्धान्त (बिल) पेश हुआ और उसमें एक संशोधन पेश किया गया। संशोधन पेश करने का मतलब यह नहीं है कि इस बात को इतना बढ़ाया जाय और इसको यह रूप दिया जाय कि जिसमें हम अपना इतना समय खराब करें। उधर बैठे हुए एक बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक जमाना था कि बच्चों के जब टीका लगाया जाता था तो लोगों की यह धारणा थी कि टीका लगवाने से जो दूध निकलेगा उसका यह होगा, वह होगा। मैं समझता हूं कि ये बातें ऐसी हैं कि हमारी मनोभावनाएं, हमारी बहुत सी विचार-धाराएं बिल्कुल ऐसी बनी हुई हैं आज भी, यह खेद का विषय है कि इधर से कोई बात हुई तो आप आवश्यक समझते हैं कि उसका विरोध करें, और उधर से बोलने वाले सदस्य के विरोध में हम उनकी बातों का खण्डन करें। यह हमारे लिए लज्जा की बात है। वह केवल संशोधन था, सिद्धान्त का विरोध नहीं था। जब इतने वर्षों से कानून नहीं बना तो प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें तो उसमें दो-एक महीना या पन्द्रह-बीस रोज लग सकते थे, और उस पर अच्छी तरह से विचार हो सकता था। यह हमारे लिए लज्जा का विषय है। आज के युग में प्रत्येक नागरिक जैसा कि तीन दिन के वाद-विवाद में मैंने अपने भाषण में निवेदन किया था कि हम हर वक्त भावना रखें कि हर आदमी, नागरिक, कदम कदम पर कानूनों की पाबन्दी करेगा; इससे अच्छा हो कि शिक्षा को प्रोत्साहित करें। सेवासंघ या पटवारी या तहसीलदार या इन्सपेक्टर के जिम्मे यह बात रखें कि वे इस बात की शिक्षा लोगों को दें, उनमें यह भावना रखें, और इस तरह से लोगों को समझावें कि टीका लगाना क्यों जरूरी होता है? वैसे सदन में बोलने वाले सदस्य ने कहा कि अब यह जमाना आ गया है, पहले से जमाना आगे बढ़ गया है, यह मैं मानता हूं।

मेरे खास गांव की स्थिति को मैं सम-

Page No.75

(श्री शिवचरणदास)

भाता हूं कि आज से कुछ साल पहले यह जमाना था कि माताएं बच्चों को छिपाने की कोशिश करती थीं। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि किसी तरह से भेंट दे दिलाकर यह प्रयास करती थीं कि बच्चों को टीका न लगे। बजाय उसके आज वे वैक्सीनेटर को इस बात के लिये मजबूर करती हैं माताएं कि हमारे बच्चों को टीका लगे। एक तरफ तो यह बात होती है कि हर नागरिक में यह भावना आ गई है, हर माता यह प्रयास करती है कि टीका लगवाना अनिवार्य है, दूसरी तरफ एक कानून से पाबन्द करके, गुलामी के कानून को बढ़ावा देकर नागरिकों पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, उनकी आजादी में खलल डाला जाता है, उन पर कुठाराघात किया जाता है ! हमारे प्रजातन्त्र के अन्दर ज्यादा कानूनों को बढ़ावा देना, मैं समझता हूं, यह लोगों या नागरिकों के हित की बात नहीं है। यह उनकी आजादी पर कुठाराघात है। बड़ी सीधी सी बात है कि इतने समय तक यह प्रतिबन्ध नहीं लगा। तो संशोधन के रूप में प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहते हैं तो वह संशोधन अनुचित नहीं होगा। इसलिए हमारी आत्मा के विचारों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाना शोभा नहीं देता है। इसलिये मैं इसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं और निवेदन करूंगा आपके द्वारा सदन को कि अब इसको आगे लम्बा नहीं बढ़ाया जाय।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सदन के सामने बिल प्रस्तुत हुआ है उसके संबन्ध में कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। माता का रोग है वह माता द्वारा होता है, इसके लिए प्रत्येक बच्चे के अन्दर वेक्सीनेशन लगाया जाता है, जीवित व्यक्ति के अन्दर एक रोग कीटाणु को प्रविष्ट कराते हैं। अच्छे भले व्यक्ति के अन्दर जब रोग कीटाणु का प्रवेश कराया जायगा तो उसकी क्या स्थिति होगी ? मैंने बिल को देखा है, मैं समझता हूं कि उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि जिससे आयुर्वेदिक द्वारा भी इस रोग का कुछ प्रबन्ध किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस बिल को अगर इस वक्त स्वीकृत न करके प्रवर समिति या और किन्हीं विशेषज्ञों की समिति के सुपुर्द किया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वेक्सीनेशन की ऐसी पद्धति है कि जिसे ग्रामीण लोग पसन्द नहीं करते हैं। इस प्रकार जबरदस्ती करके कानून बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण जनता को ज्यादा परेशानी होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में दो तरह की दलीलें और की गई हैं। एक तो यह है कि कानून बहुत सख्त है....

एक माननीय सदस्य : जोर से।

श्री गुप्ता : और इतना सख्त कानून बनाने से जनता को बहुत परेशानी होगी; इसलिए विचार के लिए इसको प्रवर समिति को भेजना चाहिये। और इसके अलावा दो दलीलें और दी गई हैं, एक तो यह है कि वेक्सीनेटर्स बड़ी ज्यादती करते हैं और इसमें वेक्सीनेशन की व्यवस्था ठीक तौर से नहीं है, इसलिए भी इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि वह व्यवस्था

(श्री चन्द्रीप्रसाद गुप्ता)

के बारे में विचार कर सकें । दूसरी दलील अभी दी गई है कि वेक्सीनेशन लाभदायक नहीं है, बल्कि कीटाणु पैदा करता है। जहां तक मैं समझता हूँ अगर वेक्सीनेशन से कोई लाभ नहीं है तो फिर प्रवर समिति को भेजने का सवाल पैदा नहीं होता है। तब तो बिल को ड्रॉप कर देना लाभदायक होगा।

जहां तक दूसरे अंग का सवाल है एक दलील यह दी गई है कि वेक्सिनेटर्स ज्यादती करते हैं और व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं समझता हूं, यह दलील ऐसी है कि चोरी और डाके रोकने के लिये हम पीनल कोड में कानून बनाते हैं, पर उस कानून को इसलिये नहीं बनायें कि पुलिस ज्यादती करती है या चोर-डाकुओं को पकड़ने में पुलिस की ओर से व्यवस्था ठीक नहीं है।

तो पहले हमें कानून बनाना चाहिये और फिर व्यवस्था में अगर कहीं त्रुटि हो तो उसे ठीक करना चाहिये, सुधारना चाहिये। व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके माने यह नहीं कि कानून ही नहीं बनाना चाहिये और अगर माननीय सदस्य का यह ख्याल हो कि प्रवर समिति में लाने से व्यवस्था में ठीक प्रबन्ध होगा, रिश्वत लेते हैं तो नहीं लेंगे; तो मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकेगी। मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात लाई जायगी तो मैं जरूर देखूंगा कि किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जाय।

जहां तक इस बात का सवाल है कि कानून बहुत सख्त है तो इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कानून सारे हिन्दुस्तान में चालू है और राजस्थान में भी सन् ५० से लागू है और मैं यह अर्ज करूंगा कि इन ७ वर्षों में न तो इस प्रकार की सख्ती बरती गई और न किसी को सजा ही दी गई। इन सात वर्षों में एक भी इस किस्म का केस नहीं हुआ। आप कानून को मुलाहिजा कीजिये, इसमें सबसे पहले यह धारा रखी है कि टीके लगवाये जायं। इसके बाद दूसरी धारा है कि सुपरिंटेंडेंट रखा जायगा जो जांच करेगा कि टीका क्यों नहीं लगवाया? इसके बाद नोटिस दिया जायगा कि टीका लगवाये। नोटिस देने के बावजूद भी टीका नहीं लगाया जायगा तो मजिस्ट्रेट के पास रखेगा। मजिस्ट्रेट भी कोई सजा नहीं देगा, उसको बुलायेगा और उसका जवाब लेगा और उसको सिर्फ डाइरेक्ट करेगा कि तुमको नोटिस दिया गया है; उसकी तामील करें, टीका लगवा लो। इसके बाद नोटिस खत्म हो जायगा। मजिस्ट्रेट के हुक्म को भी नहीं मानेगा तो कानून यह रखा गया है कि यदि कोई उस नोटिस को नहीं मानेगा तो सिर्फ जुर्माने की सजा दी है। क्लॉज २० को गौर से देखेंगे तो जाहिर होगा, ए० और बी० में नोटिस नहीं मानेगा तो जुर्माने की सजा है। जो जेल की सजा रखी है वह उसी सूरत में है कि एक दफा मजिस्ट्रेट ने जुर्माना कर दिया और उसे फिर लाया जाय कि जुर्माना करने पर भी नहीं मानता, टीका नहीं लगवाता। इसमें साफ लिखा है :

"In the case of offences mentioned in clause (c) with simple imprisonment for a term which may extend to six months,"

(सी) के लिये रखा है कि जुर्माना या सजा हो। तो ऐसा लीनियेन्ट कानून और

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कहीं नहीं होगा। कानून बनायें तो उसकी पाबन्दी के लिये सजा रखना तो जरूरी है। दुनिया में ऐसा कहीं कानून नहीं बनता जिसमें उस कानून की पाबन्दी न करने पर सजा न रखी गई हो। इसके साथ ही मैं यह भी नहीं देखता कि इस प्रकार का लीनिमेन्ट कानून कहीं और दूसरी जगह हो। इसके अलावा यह कानून सब जगह प्रचलित है।

हां, अगर व्यवस्था के बारे में अच्छे प्रबन्ध की आवश्यकता है तो मैं इसको देखूंगा। यह कानून बहुत उपयोगी है और हमारे यहां चेचक का ज्यादा प्रकोप रहता है इसलिये मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है, इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का, वे इसे वापिस ले लें।

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

एक अन्य माननीय सदस्य : आप पहले बोल चुके हैं। अब वेही माननीय सदस्य बोल सकेंगे जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष, जहां तक कानून बनाने का और संशोधन कानून को बनाने का प्रश्न है दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं। पर दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, इसलिए हमारा विरोधी पक्ष इस बात के लिये तैयार नहीं है क्योंकि श्री जुगलकिशोरजी चतुर्वेदी ने कहा कि अभी कानून लाना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि लोग धीरे धीरे चेचक के टीके लगवाने के लिये जागरूक हो रहे हैं...

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरे ये शब्द नहीं थे कि कानून आना जरूरी नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अभी आवश्यक नहीं है ऐसे ही कुछ होंगे...

श्री अध्यक्ष : कुछ समझ में अन्तर आ सकता है।

(हंसी)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : खैर, कोई बात नहीं। इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, वहां हमने इस प्रकार का कानून बनाने का विरोध नहीं किया है। पर ऐसा कानून हम बनाना चाहते हैं जिसका प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्ध है। कानून कई हैं, चोरी के बारे में है, प्रोपर्टी के बारे में कानून है; पर हर एक व्यक्ति का उन कानूनों से सम्बन्ध नहीं होता। पर यह जो वेक्सिनेशन का कानून है इसका हर एक व्यक्ति से सम्बन्ध आयेगा। इसलिये केवल यह कह देना कि, यह साधारण-सा कानून है, सीधा सा कानून है; इसके लिये इतना वाद-विवाद, तूल खड़ा कर दिया गया है, यह उचित नहीं होगा। इस कानून का सम्बन्ध हर व्यक्ति से होने के साथ ही साथ इस कानून का हर व्यक्ति के जीवन पर भी असर पड़ता है। इसलिये यह कानून कहीं अपूर्ण न रह जाय, इस उद्देश्य से हम इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। वैसे हम बाद में भी, अपूर्ण रहने पर, संशोधन ला सकते हैं पर आज तो हमारे सामने प्रश्न है कि बनाने से पूर्व इस पर पूरी तरह से विचार कर लें तो कानून के सम्बन्ध में कोई कमी नहीं रह जाय, इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

वेक्सिनेटर्स के बारे में आपने कहा कि कोई ज्यादती नहीं करते हैं। जहां तक

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

वेक्सिनेटर्स की नियुक्ति का सम्बन्ध है हेल्थ ऑफीसर वेक्सिनेटर्स की नियुक्ति करता है, एक तो गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त वेक्सिनेटर्स होंगे और दूसरे वेक्सिनेटर्स स्वत: इच्छा से वेक्सिनेशन का धंधा करने वाले होंगे और इस प्रकार कुछ वेक्सिनेटर्स ऐसे होंगे जो सरकार के डाइरेक्ट कण्ट्रोल में होंगे और दूसरे स्वतः धंधा करने वाले लाइसेन्स जो उन्हें इस काम के करने के लिये दिया जायगा उसके नाते सरकार के कण्ट्रोल में होंगे।

जिन लोगों का वेक्सिनेटर्स से काम पड़ता है, पहले वेक्सिनेटर्स आते थे तो नारियल देकर उनको सन्तुष्ट कर देते थे। पर आज वेक्सिनेटर्स छोटी तनख्वाह पाने वाले हैं, उनको कोई बड़ा ग्रेड नहीं दिया गया है, वेक्सिनेटर्स चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, वे लोग व्यवहार में किस तरह से पेश आते हैं; रुपया, दो रुपया लिये बगैर टीका लगाते ही नहीं हैं। इसके साथ ही सर्टिफिकेट का प्रश्न है, इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब तक यह सर्टिफिकेट नहीं हो कि यह स्थान छोड़ कर अन्यत्र जा सकता है, तब तक वह जा नहीं सकता। प्राइवेट वेक्सिनेटर्स को भी अधिकार दिया है कि वे यह काम करें। तो ऐसी सूरत में वे अपनी मर्जी आये वैसा व्यवहार कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि अगर ठीक तरह से व्यवहार नहीं करेंगे तो उनका लाइसेन्स कैंसिल कर दिया जायगा। पर लाइसेन्स कब केन्सिल होता है, छोटी शिकायत पर केन्सिल नहीं होता....

दूसरी बात जैसी कही गई है कि फागुन और चैत्र में ही टीकों की फसल आती है और इसी समय फसल की सीज़न आती है और उस समय कृषक लोग अपने काम में लगे रहते हैं, तो मेरे पूर्व वक्ता श्री भैरूसिंह ने कहा था कि यह भी उन गरीब लोगों के साथ ज्यादती होगी, वास्तव में सही बात पाता हूं और हमारे ट्रेज़री बेंचों के सदस्य भी इस बात को मंजूर करते हैं कि फागुन और चैत्र में फसल का समय होता है और उसी समय वेक्सीनेशन का समय होता है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि यह कानून सजा का नहीं होना चाहिये। इसकी उपयोगिता लोगों को बताई जावे ताकि लोग स्वयं जिस प्रकार से बी० सी० जी० का टीका लगवाया करते थे उसी प्रकार से यह टीका भी लगा लिया करें। उसके लिये कोई कानून नहीं बना और किसी कानून के नहीं होते हुए भी लोगों ने यह देखा कि यह तपेदिक के लिये रोक-थाम की चीज है इसका बहुत बड़ा विरोध होते हुए भी जनता ने लगवाने का प्रयत्न किया। हर गली में इसके टीके लगवाने का प्रचार किया गया और इस ख्याल से कि उनको टी० बी० नहीं फैलेगी, बहुत से लोगों ने टीके लगवाये, किसी ने भी इसका एतराज नहीं किया। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि इस टीके को लगवाने के लिये लोग नहीं आवेंगे। जरूर आवेंगे। मगर इस प्रकार का कानून नहीं बनना चाहिये और सजा नहीं होनी चाहिये। वे लोग कोई चोरी या डाका तो करते नहीं जिससे आप उनको ६ महीने की सज़ा देते हैं। ६ माह की सजा कोई कम सजा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज्यादती होगी क्योंकि बच्चे की गार्जियन यदि उसकी मां होती है और अगर उसको सजा दी जावेगी तो अकेली मां को तो ले जाया नहीं जायगा और सीखचों में बन्द

Page No.79

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नहीं किया जाएगा, उसके साथ उस बच्चे को भी बन्द करना पड़ेगा। उस बेचारी मां ने कोई बड़ी चोरी नहीं की। केवल एक साधारण कुसूर जरूर किया है और वह यह कि जो कानून बना हुआ है उसकी अवहेलना की है और किसी कारण से उसने बच्चे के टीका नहीं लगाया तो मैं समझता हूँ कि कानून की अवहेलना के कारण इतनी बड़ी सजा दी जावेगी तो उचित नहीं होगा। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमने उनकी भावना को स्वीकार किया है और वे भी हमारी भावना को स्वीकार करें कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें। अतः मैं एक बार पुनः अपने शब्दों को न दोहराता हुआ यही निवेदन करूंगा कि इसको अवश्य ही स्वीकार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रवर समिति के पास भेजने के लिये रखा है इसको स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान चेचक टीका विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

श्री तनसिंहजी के दो संशोधन हैं, वे उनको पेश करें।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि पहले जो क्लॉजेज हैं वे ले लिये जावें और तब मेरे संशोधन क्लाजेज पर आवेंगे, तब मैं उन्हें मूव कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : क्लाज २ से १२ तक एक साथ लिये जाते हैं। जो माननीय सदस्य इन पर बोलना चाहें बोलें।

(कोई बोलने के लिये खड़े नहीं होने पर)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २ से १२ तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २ से १२ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मेरा क्लॉज १३ पर यह संशोधन है :

Add the following new proviso to the clause :

'Provided that if animal lymph is so prescribed and the parent or guardian of any child desires that such child shall be vaccinated with human lymph, it shall be so vaccinated."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: I accept the amendment.

श्री तनसिंह : बिना लड़ाई के ही आप इसको एक्सेप्ट करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद : आपकी लड़ाई से डर लगता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह जी ने रखा है स्वीकार किया जाए?

Page No.80

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १३, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १३, सशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री जगदीशप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २० पर मेरे संशोधन हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के सशोधन आज ही आये हैं, नियमानुसार एक दिन पहले आने चाहिये इसलिये अब नहीं लिये जा सकते।

श्री भैरोंसिंह : इस क्लॉज का विरोध तो कर ही सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद : जब कंसीड्रेशन में लेंगे तब।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ेज़ १४ से १८ तक कोई एमेन्डमेंट्स नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज १४ से १८ तक स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज १४ से १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह संशोधन भी बिना लड़ाई के स्वीकार कर लें तो कोई बात नहीं होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले आप नहीं कहते तो विचार करता। अब मैं यह समझता हूं कि आप इसे बिना लड़ाई के वापिस ले लेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, मैंने जो संशोधन इस क्लॉज को हटाने का रखा है इसका अभिप्राय यह है कि जो क्लॉज़ है उसमें राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने कोई भी अधिकार लोकल ऑफिसर को जो उसके सबार्डिनेट हों उनको वह अपने पॉवर्स हस्तगत कर सकती है। यह एक ऐसा सफेद कागज है जिस पर क्या लिखा है और क्या नहीं, कहा नहीं जा सकता और हमारे दस्तखत ऐसे कागज पर कराये जा रहे हैं जिसका कुछ पता नहीं। राज्य सरकार हमेशा अधिकार लेती है। लेजिस्लेशन के बाद राज्य सरकार जो अधिकार लेती है उन अधिकारों को राज्य सरकार स्वयं काम में न लेकर किसी अधिकारी को हस्तगत करने के लिये यह रखा गया है।

४ म० प०

वैसे तो कानून का यह सिद्धान्त है कि जो पावर्स किसी को डेलीगेट किये जाते हैं वही उन पावर्स को किसी दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकता। वैसे मैं मानता हूं कि पॉवर्स तो लेजिस्लेचर को ही हैं। तो वैसे एक रूप में तो राज्य सरकार को पॉवर्स ही लेजिस्लेचर को डेलीगेट किये गये हैं। लेकिन उनमें रूल्स बनाने के पॉवर्स को छोड़कर बाकी जितने भी पॉवर्स हैं वे सरकार किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा क्लॉज है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या गवर्नमेन्ट अपनी पॉवर्स को किसी अधिकारी को और खास तौर से किन्हीं लोकल ऑथोरिटीज़ को डेलीगेट करना चाहती है। मैं इस संबंध में

(श्री तनसिंह)

यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि लोकल ऑथोरिटीज को कम्पल्सरी वेक्सीनेशन के पॉवर्स दिये जाते हैं तो इसके अन्दर बहुत कुछ सम्भावना है कि इसका बड़ा मिसयूज़ हो। इसका कारण यह है कि अभी हमारे यहां प्रजातंत्र शिशु अवस्था में है और खास तौर से स्वायत्त शासन तो इससे भी नाजुक हालत में है। अभी अभी ग्राम पंचायतों का निर्माण हुआ है और अगर आप यकीन करें तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी ग्राम पचायतें बहुत ही कम हैं जहां कि आपस में लड़ाई-झगड़े न हों। लोग बजाय ग्रामों में सुधार करने के इस बात पर अधिक जागरूक हैं कि प्रतिपक्षी को किस प्रकार से कानून में फांसा जा सकता है और उसे सीधा किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में इस विधेयक के द्वारा जो अधिकार राज्य सरकर को दिये गए हैं वही अधिकार राज्य सरकार अब लोकल ऑथारिटीज को दे रही है, तो बहुत सम्भव है कि इन पॉवर्स का दुरुपयोग हो। अभी कमसे कम इस समय ऐसी अवस्था नहीं समझते कि ये पॉवर्स किसी लोकल ऑथोरिटीज को डेलीगेट किये जायें। हो सकता है कि जब हमारे यहां प्रजातन्त्र ठीक तरह से चलने लगेगा और ग्राम पंचायतों में एक नैतिक भावना आ जाये, वह इस प्रजातन्त्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से निभाने में समर्थ हो सके उस समय ऐसे अधिकारों का देना जायज समझा जा सकता है। लेकिन इस समय तो मैं समझता हूं कि हमसे कोरे कागज के ऊपर अंगूठे लगवाये जा रहे हैं, यह हमें मालूम नहीं है और ऐसी अवस्था में बिना सोचे-समझे इतनी बड़ी पॉवर्स को लोकल ऑथारिटीज को डेलीगेट करने की बात पर कैसे हां भर सकते हैं जहां हर एक व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी ढंग से फांसा जा सकता है वहां ऐसी पॉवर्स इन ऑथोरिटीज़ को डेलीगेट करने से कोई लाभ नहीं होगा।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि लोकल ऑथोरिटीज़ को इन पॉवर्स से कोई आमदनी होती हो, इससे कोई लाभ पहुंचता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो उनके ऊपर एक प्रकार से लाएबिलेटी है। मैं समझता हूं कि अभी उनके पास इतने काम हैं और ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं और राज्य सरकार को यह अधिकार और दे देना उनके काम में बाधा डालेगा और इसके अलावा यह भी बात है कि जो वैक्सीनेटर सरकार की ओर से नियुक्त किये हुए होंगे और उनके पास में जो पॉवर्स होंगी और राज्य सरकार के पास भी ऐसी पॉवर्स होंगी तो दोनों में अर्थात् लोकल ऑथारिटीज़ में और सरकार के बीच में झगड़ा भी होने का अंदेशा रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय और मेरा संशोधन स्वीकार करके राज्य सरकार को अपनी पॉवर्स को लोकल ऑथारिटीज़ को हस्तान्तरित न करने दिया जाये।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस सारे बिल में गवर्नमेन्ट का नाम ही दो जगह आता है। एक तो क्लॉज़ २ के सब-क्लॉज़ में जहां कि इसकी डेफीनेशन दी है। यह क्लॉज़ (२) के सब–क्लॉज़ (७) में है जिसमें सीजन को डिसाइड करने के लिये गवर्नमेन्ट को पॉवर्स दी गई हैं। दूसरी जगह यह गवर्नमेन्ट का शब्द क्लॉज ३ में है जिसके अन्दर गवर्नमेन्ट को इस एक्ट के तहत एरिया एग्जम्प्ट करने

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

के पॉवर्स दिये गये हैं। इसके अलावा, तीसरा, इस गवर्नमेन्ट शब्द का प्रयोग क्लॉज़ १८ में आया है। इसमें यह दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेन्ट इस कानून के एग्जीक्युशन के लिये अपनी पॉवर्स किन्हीं लोकल ऑथारिटीज़ को दे सकती है। जहां तक क्लॉज़ १८ का संबंध है उसको तो हम पहले ही पास कर चुके हैं। इसी एक्ट के क्लॉज १६ में दिया हुआ है कि ये अधिकार किसी भी लोकल ऑथारिटीज़ को दिये जा सकते हैं। यह तो सीज़न की बात है। मैं समझता हूं कि इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है कि गवर्नमेन्ट अगर किसी ऑथोरिटी को पॉवर्स दे दे कि तुम यह डिसाइड करो कि कौन कौन से एरिया एग्ज़ेम्प्ट करने हैं? इसके अलावा यदि सीज़न की बात तय करने की है तो यदि उसको कोई दूसरा अधिकारी तय कर दे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये?

राजा श्री मानसिंह (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय तो जो बोल रहे हैं कुछ सुनाई ही नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : माइक पास कर लीजिए।

श्री तनसिंह : हम तो अन्दाजा लगा लेते हैं कि आप क्या बोलने वाले हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसमें जो गवर्नमेन्ट को अधिकार दिया गया है वह बहुत कम है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिये। गवर्नमेन्ट को कोई विशेष अधिकार नहीं हैं। अगर इन पॉवर्स का कोई और अधिकारी प्रयोग कर सकता है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही, यह भी आवश्यक नहीं है कि जो अधिकार गवर्नमेन्ट के पास हैं वे सब के सब लोकल ऑथोरिटीज़ को दे ही देगी। हां, गवर्नमेन्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो निवेदन किया है और इसके द्वारा जो जानकारी माननीय सदस्य को दी है वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री तनसिंह (१६७) : माननीय अध्यक्ष, जवाब इतना संतोषजनक नहीं है जिसको सही रूप में मान लिया जाये। क्योंकि वैसे कई जगह स्थिति ऐसी आ सकती है लेकिन यह मानकर कि इस क्लॉज से जितनी भी पॉवर्स गवर्नमेन्ट के पास हैं यह जरूरी नहीं कि वे सब की सब लोकल ऑथोरिटीज़ को डेलीगेट कर ही देगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी पॉवर्स को डेलीगेट करने से पहले यह देख ले कि वह पॉवर्स जो वह डेलीगेट कर रही है उसका कोई और पार्टी या व्यक्ति दुरुपयोग तो नहीं करेगा और इसी आश्वासन के आधार पर मैं सदन से अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री तनसिंहजी को उनका प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय?

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री तनसिंह (१६७) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १६, २० व २१ स्वीकार किये जायें।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, मुझे आगे के क्लॉज का विरोध करना है, इसलिये केवल क्लॉज १६ ही पास करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज़ २०

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले भरतपुर की ओर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को बहुत ही निर्दोष बताया था। वास्तव में यदि उनके दृष्टिकोण के अनुसार इस बिल के एक क्लॉज को लेकर १६ तक पढ़ा जाय तो कुछ अंशों में यह कहा जा सकता है कि यह बिल निर्दोष है। लेकिन जब क्लॉज २० को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यह निर्दोष कानून निर्दोष व्यक्तियों को दोषी बनाता है और दोषी इसलिए बनाता है। इन निर्दोष व्यक्तियों को दोषी बनाने वाले कानून का विरोध किया जाय क्योंकि इस कानून में जिसके द्वारा व्यक्तियों को दोषी टहराया जा सकता है वह है क्लॉज़ २०। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय मन्त्री महोदय ने इसी सम्बन्धी एक प्रस्ताव के ऊपर अपने विचार प्रगट करते हुये यह कहा था कि सजा पूरी की पूरी मिलेगी, यह नहीं मानना चाहिये। जितनी सजा का प्रावधान है उससे कम भी हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस मिलने पर अगर कोई व्यक्ति उसकी तामील नहीं करता है तो उसके तामील न करने के बाद सजा की व्यवस्था होगी। कहने को तो एक सुन्दर कल्पना बता दी और सदन के सदस्यों को मुगालता देने के लिए, मुगालता तो नहीं कहूँगा, यह कह सकता हूँ कि एक इस प्रकार की व्यवस्था करने की चेष्टा इस कानून में की गई, जिसके कारण लोगों की निगाह से इस क्लॉज की अहमियत दरगुजर हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान में सन् १९५३ में एक कानून बनाया था पंचायत का। उस पंचायत एक्ट में हमने कुछ पंचों को अधिकार दिये और वे अधिकार इसलिए दिये कि जितनी भी स्थानीय समस्यायें हैं उन स्थानीय समस्याओं का हल पंचायत के मार्फत ही अच्छा हो सकता है।

अभी अभी बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया था और उसके द्वारा यह मांग की थी कि सरकार को जो अधिकार मिले हैं वे अधिकार दूसरे लोकल ऑथोरिटी को डेलीजेट नहीं करे, ऐसा संशोधन स्वीकार करने की उन्होंने मांग की थी। उनको आशा थी कि सरकार के पास जो अधिकार थे अगर वे लोकल ऑथोरिटीज़ को दिये गये तो मुमकिन है कि लोकल ऑथोरिटी उन अधिकारों का दुरुपयोग करे। शायद उनकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा इसलिये उन्होंने अपना संशोधन वापिस ले लिया। मैं तो यह समझता था कि शायद संशोधन को वापिस नहीं लेंगे और अहमियत पर चर्चा होगी और फिर हम किसी प्रकार का दण्ड देने की व्यवस्था कर सकते थे। अध्यक्ष महोदय, कानून है केवल टीका लगाने का। मैं समझता हूँ, कोई भी समझदार व्यक्ति अपने बाल बच्चों की तन्दुरुस्ती के लिए इस प्रकार के टीके लगाने में कभी नहीं हिचकिचायेगा, उसका किसी प्रकार विरोध नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

होगा, लेकिन मान लीजिये किसी असुविधा के कारण वह अपने बच्चों को टीका न लगा सका हो, उस सीज़नल पीरियड में टीका न लगा सका हो, वैक्सीनेटर के हुक्म का पालन न कर सका हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नोटिस की वह तामील न कर सका हो, वैसी सूरत में उस पर ६ महीने की सजा और ५०० रुपया जुर्माना हो सकता है। यह मान लिया जाय कि इतनी सजा नहीं मिलेगी लेकिन यह तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर पाबन्दी नहीं कि वह उससे कम ही सजा दे, वह जितनी भी सजा कानून में जो है, मेग्ज़ीमम सजा तक दे सकते हैं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह नहीं कहा कि कानून में जो सजा प्रोवाइडेड है उससे कम मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह : तो आप यह तो कहते है कि जो कानून में सजा है उतनी मेग्ज़ीमम मिलेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह नहीं कह सकता। यह तो मजिस्ट्रेट पर मुनस्सर है। वह चाहे जितनी सजा दे जो कुछ इस कानून में लिखा हुआ है सो होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें ६ महीने की सजा का प्रोवीजन है, और ५०० रुपये जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा सदन में नयी चीज भी प्रस्तुत हो सकती है कि एक हजार रुपया जुर्माना हो सकता है, एक निर्दोष व्यक्ति पर एक मामूले से अपराध पर यह सब हो सकता है। अब देखना यह है कि टीका लगवाने के पीछे आपका दृष्टिकोण क्या है? बच्चे स्वस्थ रहें, फलें-फूलें। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने बच्चों को स्वस्थ न देखना चाहे? ऐसा होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति किन्हीं असुविधाओं की वजह से सीज़न पीरियड में टीका नहीं लगवा सकता है तो उसने ऐसा क्या अपराध कर लिया जिसकी वजह से अपने दण्ड का प्रोवीजन कर दिया? यह एक प्रकार से न्याय नहीं, अन्याय है। मामूली वैक्सीनेटर भी किसी की शिकायत कर सकता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिस दिलवा सकता है, और यह कह सकता है कि मैंने इसके मकान पर नोटिस चस्पा किया है और दो तीन गवाह लाकर पेश कर सकता है और इस तरह से किसी भले आदमी पर जुर्माना और सजा भी करवा सकता है, आपसी दुश्मनी भी निकाल सकता है। आज जब कि राजस्थान में बड़े बड़े अपराध होते हैं, डाके पड़ते हैं, चोरियां होती हैं, रिश्वतें ली जाती हैं लेकिन इनकी सजा बहुत कम होती है। हमने यहां कई कानून बनाये जिनमें बड़े-बड़े अपराधों की भी सजा रखी गई है। लेकिन इतने मामूली से अपराध पर इतनी बड़ी सजा रखना बिल्कुल अन्याय है। मान लीजिए किसी समय टीके के विरोध में ऐजीटेशन खड़ा हो जाय और टीका-प्रथा का विरोध करे। जिस प्रकार आज-कल बी. सी जी. के टीके के बारे में विभिन्न विचार-धारायें हमको सुनने को मिलती हैं, एक तरफ हमारी भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्राणी श्रीमती अमृतकौर का कहना है कि बी. सी. जी. टीके में किसी प्रकार की हानि नहीं है दूसरी ओर भूतपूर्व गवर्नर श्री राजगोपालाचारी इस टीके का विरोध करते हैं। इस प्रकार दोनों महान् व्यक्तियों की विचारधारा अलग अलग है। हो सकता है, समय आने पर इन टीकों के विरुद्ध भी वातावरण का निर्माण हो।

(श्री भैरोंसिंह)

मान लीजिये कुछ समय आने पर मेडिकल जुरिस्ट इस बात को कह सकते हैं कि इस टीके के लगाने में हानि है, इसकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसी हालत में आप क्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, चोरी के अपराध में हमने पंचायत को अधिकार दिये हैं, २५ रुपये तक की कोई चोरी करता है तो पंचायत उसको एक दिन की सजा दे सकती है। २५ रुपये की चोरी, जिसका नैतिक अपराध है उस पर भी उसको एक दिन की सजा के बाद मुक्त कर सकते हैं। तो क्या उससे भी ज्यादा ताकतवर टीके का जुर्म है ? क्या वह चोरी से भी ज्यादा अपराध हो गया ? छोटे छोटे अपराधों पर दंडित करने की हमने व्यवस्था की है। मुझे समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति निर्दोष, किसी दुर्भावना से नहीं किसी असुविधा के कारण टीका नहीं लगवा सकता है, उसके लिए इतनी सजा की व्यवस्था करना अन्याय है। मान लीजिये जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि कोई भी सजा का फुल-डोज़ नहीं देता लेकिन यदि दे देता है तो उसको रोकने वाला तो कोई नहीं। एक तरफ हम २५ रु० की चोरी पर एक दिन की सजा देते हैं तो इतने मामूली से अपराध पर इतनी सजा देना न्यायोचित नहीं है।

सरकार कहती है कि हम सजा का कानून में प्रोवीजन करते हैं लेकिन सजा इतनी देते थोड़े ही हैं। मेरा निवेदन है कि अगर आप सजा देना ही चाहते हैं तो सजा देने का अधिकार आप पंचायतों को दे सकते हैं। वे ही वेक्सीनेटर की व्यवस्था करें और उस पर भी अगर सरकार को सजा देनी हो तो सरपंच को अधिकार दे दिये जायें कि वह जाकर उस व्यक्ति को नोटिस दे दे, उसके लिये टीका लगवाने की व्यवस्था करे। अगर उस पर भी वह व्यक्ति टीका नहीं लगवाता है तो पंचायत को अधिकार दे कि वह उस व्यक्ति पर जुर्माना कर सकता है। वह जुर्माना पांच रुपये, १० रुपये और २० रुपये तक हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस प्रकार के अधिकार देना अनुचित है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो आप सजा का विधान बना रहे हैं और निर्दोष व्यक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, यह गैर वाजिब है। इस क्लॉज़ के अधिकार पंचायत को देने चाहिये। इतना ही कह कर मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर बहुत जोर से वाद-विवाद हुआ और कहा गया है कि किसी भी माता-पिता की यह बदनियत नहीं रहती कि वे अपने बच्चों को रोगग्रस्त रखें और यदि इस प्रकार का दोष कोई करता है तो उसको सजा नहीं देनी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर उन बच्चों की जान की हिफाजत करने का दारोमदार है और वह व्यक्ति अगर उस काम में पूरी सतर्कता नहीं बरतता है और अगर उस पर कानूनी पाबन्दी नहीं रखते हैं तो कानून बनाने का कोई महत्व नहीं रहता और ऐसा ही मामला होता है तो पीनल कोड में आत्महत्या करने पर भी सजा का प्रोवीजन नहीं रखते क्योंकि आत्महत्या कोई भी व्यक्ति करता है तो वह बद्यान्ति से नहीं, बल्कि अपनी इच्छानुसार करता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति की जान और माल की रक्षा करना सरकार का पहला कर्त्तव्य

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

है और अगर कोई व्यक्ति अपने बाल-बच्चों को स्वस्थ रखने के कार्य में दिलचस्पी नहीं लेता है और माता-पिता के जो कर्त्तव्य हैं उनका पालन नहीं करता है, तो उसको सजा मिलनी ही चाहिये और उस पर यह क्लॉज़ लागू होना ही चाहिये।

श्री गोकुलचन्द (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय सदस्य ने जो देश के दो माननीय व्यक्तियों के बारे में कहा, एक तो केन्द्रीय सरकार की भूतपूर्व मन्त्राणी श्रीमती अमृतकौर और दूसरे श्री राजगोपालाचारी, यह ठीक है। यह ठीक है कि देश की जनसंख्या के आधार पर निर्णय लिया जावे तो यह नहीं कहा जा सकता कि किस बात से कितने लोग खुश हैं और किस बात से कितने नाखुश हैं। लेकिन कानून जो बनते हैं विधान सभा में या संसद में, वे बहुमत के आधार पर ही बनते हैं।

मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि किसी भी ऐसे अवसर पर प्लेग या कोई भयंकर रोग फैलता है या उसके फैलने की आशंका होती है तो सरकार का ध्यान उधर जाना चाहिये और उसको रोकने के लिए जितने भी साधन हों उनको काम में लेना चाहिये और यदि इसके लिए कानून भी बनाया जाना अनिवार्य या जरूरी हो, तो यह भी कोई अनुपयुक्त बात नहीं है।

लेकिन मैं एक बात अपने बारे में भी अर्ज कर देना चाहता हूँ। मैं स्वयं ईश्वरवादी हूं। जब बी. सी. जी. का टीका चल रहा था तो मेरा एक बच्चा था नौ वर्ष का, मिडिल स्कूल में पढ़ रहा था, उसे बी. सी. जी. का टीका लगा और उस टीके के लगने के बाद ही एक महीने के भीतर ही भीतर उसका देहांत हो गया। मैं तो ईश्वरवादी हूं और मैंने ईश्वर की शपथ भी ली है और मैं तो यह मानकर चलता हूँ कि जो मरता है वह मरेगा, कोई भी बड़े से बड़ा सर्जन या डाक्टर उसे मरने से रोक नहीं सकता। फिर भी मैं समझता हूँ कि सरकार का कार्य यह होना चाहिये कि वह बीमारी को रोकने की कोशिश करे।

अलवर में माता का इस समय जोर है। मेरे दूसरे एक दस महीने के बच्चे के चेचक का टीका लगा और लगने के थोड़े दिन बाद ही उसकी भी मृत्यु हो गई।

('शेम-शेम' की आवाज)

तो क्लॉज़ २० में जो यह बात कही गई है कि नहीं लगवाने वाले को ६ महीने की सजा और एक हजार रुपयों को जुर्माना हो तो इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि कानून जनता की भलाई के लिये बनाया जाता है, फिर उसमें इतनी सख्ती की भी क्या आवश्यकता है? दस रुपया जुर्माना भी बहुत बड़ा है। आखिर वे कोई जुर्म तो कर नहीं रहे हैं। तो यह जो आपने फरमाया है, इसका मैं विरोध करता हूं और इसमें ६ महीने की सजा और एक हजार रुपये के जुर्माने की जो बात रक्खी गई है वह बिल्कुल हटा देनी चाहिये। यह (क्लॉज) बिल्कुल उचित नहीं है।

श्री दयाकृष्ण (छाबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल पास नहीं होना चाहिये, यह विरोधियों की मंशा नहीं है। लेकिन इस क्लॉज़ में जो सजा और जुर्माने की बात रक्खी गई है वह इतनी अधिक है कि साधारण गरीब आदमी के लिए बहुत ही अधिक है। मैं बताऊं माननीय अध्यक्ष, कि जो यह बात है इसका सबसे अधिक

(श्री दयाकृष्ण)

बोझा देहात के अत्यन्त निर्धन व्यक्ति पर पड़ेगा। वैसे हम शहर के लोगों की तरफ ही ध्यान रखकर विचार करते हैं। हम देखें कि हम जिन पर जुर्माना करने जा रहे हैं उनकी आर्थिक अवस्था क्या है, वे किस प्रकार जीवन-यापन करते हैं। इस बिल के अनुसार वेक्सीनेशन अधिकारी एक क्षेत्र निश्चित कर देगा, एक मौसम तय कर देगा। उस मौसम में, उस क्षेत्र में बच्चे को लाना पड़ेगा और वहां टीका लगाना पड़ेगा। इसके अन्दर ये प्रावधान हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान उस गरीब तबके की ओर ले जाना चाहता हूं जो अपनी जीविका के उपार्जन हेतु अपने घर को छोड़कर कई मील दूर जाकर कुछ अर्जन करता है। उन लोगों के विषय में विचार करिये। यदि वह अधिकारियों की सूचना के होने तक उस क्षेत्र में न पहुंच पाया हो और समय पर टीका न लगा पाया हो तो अध्यक्ष महोदय, आप विचार करिये कि उन लोगों पर एक हजार रुपया जुर्माना करना कहां तक न्यायसंगत होगा ?

मन्त्री महोदय ने कहा कि अन्य प्रान्त में भी ऐसे कानूनों हैं। यह ठीक है कि हमने बहुत से प्रान्तों का अनुकरण किया है और बहुत बातों में किया है, पर हमेशा अनुकरण करना अच्छा नहीं होता है। अनुकरण करने से पहले स्वयं की बुद्धि का उपयोग करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने जो भरतपुर से आये हैं, कहा कि यह एक अत्यंत निर्दोष बिल है। पर इस बिल के क्लॉजेज़ को अगर हम पढ़ें तो मालूम होगा कि वास्तव में यह निर्दोष नहीं, सदोष है। साधारण जनता बड़ी मुश्किल से जीवन-यापन के साधन जुटा पाती है। उस पर इस बिल से भयंकर कुठाराघात होगा। यदि हम चाहते हैं कि बिल के उद्देश्यों का पालन किया जाय तो इसके लिये पहले हमें जनता में इस प्रकार की भावना का निर्माण करना होगा।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, विधि मन्त्री और श्रीमती कमलाकुमारी श्रोत्रिय को परस्पर सदन में बातचीत करते और उनकी बातचीत माइक पर सुनाई देते एवं उससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान होते देख कर)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Hon'ble Speaker, the way they are talking is not befitting the decorum of the House.

श्री दयाकृष्ण : (जारी) माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि साधारण जनता पर आप जो जुर्माना और सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं उस पर विचार करिये। हम सजा के आधार पर उन लोगों में टीका लगाने की भावना का निर्माण करने जा रहे हैं; तो यह एक अनुचित प्रयास होगा। जैसा कि मेरे एक पूर्व वक्ता, माननीय सदस्य, ने अभी कहा था कि उनके दो बच्चे टीका लगाने से मौत के अतिथि बन गये, हालांकि वे स्वयं टीका लगाने को उत्सुक हैं। उनके बच्चों के लिये हमें अफसोस है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि एक ओर तो जनता में अपने आप ही इस ओर जागरूकता बढ़ रही है और दूसरी ओर आप सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं तो इसका

Page No.88

(श्री दयाकृष्ण)

जनता पर क्या असर पड़ेगा ? मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जनता में कई प्रकार के मनुष्य होते हैं, कुछ चाहते हैं और कुछ नहीं भी चाहते। तो इसके लिये हमें उनमें इसके प्रति आकर्षण पैदा करना चाहिये, जबर्दस्ती नहीं लगाना चाहिये।

इसमें एक बात और है। कुछ प्राइवेट लोग भी वेक्सीनेशन का कार्य करते हैं। तो इसका भी प्रावधान हमें करना होगा। लोग-बाग सरदी में टीका लगाना ज्यादा पसन्द करते हैं इसलिये, इसमें जो समय निश्चित करने की बात रक्खी है उसमें और भी बातें लानी होंगी। तो इन सब बातों को देखते हुए यह अधिक उपयुक्त होगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो इन सब बातों पर गहराई से विचार करके, इस बिल को ठीक तरह से तैयार करके, यहां फिर ला सके। यही बात माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जो चर्चा हो रही है उस पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चेचक के बारे में अब लोगों की भावना प्रबल होती जा रही है, पहले जरूर लोग कुछ डरते थे।

इस बारे में लोगों को अनेक प्रकार की शिकायतें पेश हुई हैं। बहुत से मित्रों ने बताया कि गरीब किसान क्रोप के वक्त खेत में काम करें या टीका लगाने जावें ? मैं इस बारे में अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां सरकार और सब कुछ करने जा रही है वहां ऐसा प्रबन्ध भी कर दे कि बच्चे के पैदा होते ही जब कि उसकी माता प्रसव काल में होती है और ऐसी सूरत में वह दस पन्द्रह दिन मजदूरी में घर में ही होती है उस वक्त बच्चों के टीका लगा दिया जावे तो यह बेहतर होगा। इससे उनका वक्त भी बच सकता है और सरकार का उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। इसमें उन गरीब किसान मां-बापों को भी कोई ऐतराज नहीं होगा क्योंकि कोई भी ऐसा मां-बाप नहीं हो सकता जो अपने बच्चों को खतरे में डालना चाहे। दूसरा यह है कि मैं तो यह भी कहूँगा कि हमारे यहां के जो बच्चे हैं, उनकी शादियां होती हैं और दूसरे प्रांतों से या कस्बों से दुल्हन आती है तो उनके भी टीका लगवाना चाहिये जिससे बीमारी न फैले। मुमकिन है कि टीका न लगे और वहां की बीमारी हमारे प्रदेश में भी आ जाय।

इस क्लॉज़ में जुर्माने की बात कही गई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आजकल किस प्रकार काम होता है, वे किस प्रकार काम करते हैं। छः छः महीने की पेशियां पड़ती हैं, लोग बाग जा जाकर परेशान हो जाते हैं, कभी दौरे पर हैं तो कभी डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में हैं, कभी जल बोर्ड की मीटिंग में हैं और इस प्रकार से एक अनाथ मां जो विधवा हो गई है, जिसके छोटा बच्चा रह गया है, वह कितनी बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भटकेगी और इस प्रकार वह तंग आ जायगी, वगैर वकील किये वह आगे बढ़ सकेगी नहीं। राजस्थान सरकार क्यों नहीं यह करे, जिन्होंने यह बिल पेश किया है, उनके पास स्वायत्त शासन विभाग है कि वह ग्राम पंचायत विभाग को यह कार्य सौंप दे। मां बाप चाहते हैं कि उनके

(श्री सूबेदारसिंह)

बच्चों के टीके लगें, वे बच्चे की हिफाजत चाहते हैं, बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिये तैयार रहते हैं। यदि नासमझी के कारण कोई टीके लगाये बगैर रह जाय तो पंचायत या तो उनको वार्न कर दे या रुपया-दो रुपया उन पर जुर्माना कर दे लेकिन ५०० रुपये के जुर्माने की बात रखी जाती है यह समझदारी की नहीं है। यह तो एक राज्य की व्यवस्था है और इसको पंचायत भी लगा सकती है। यदि इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिये जाते हैं तो सिवाय परेशानी बढ़ने के और उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। लोग भविष्य में यह कहेंगे कि ५७ में असेम्बली थी उसने इस प्रकार का कानून बना दिया। अगर कोई अपने बच्चों को टीका न लगाये और उसके कारण वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास मामला पहुँचे तो उनको वकील करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, सिवाय इन परेशानियों के और कोई नतीजा नहीं है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह मामला ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि टीका लगाने की व्यवस्था जो है वह यह देख ले कि सब बच्चों को टीका अवश्य लगे।

दो माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष,

श्री गोपीसहाय (महुवा): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह टीके के लिए कितना सख्त कानून लाया जा रहा है। मैं इसको पसन्द नहीं करता। बहुत से अशिक्षित लोग हैं वे इस चीज को नहीं समझ पाते कि यह कौन सा क्लॉज उन पर लगा हुआ है और किस क्लॉज़ के अनुसार वह रहना चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन तो यह है कि इस सख्त क्लॉज़ को समान रूप से पंचायतों के तहत में यह चीज दे दी जाय तो बहुत कुछ सफलता भी मिलेगी और लोगों को राहत भी मिलेगी, वरना अशिक्षित जातियों के लिये तो मैं निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ लगाना एक तरह से उनका गला घोटना है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): अध्यक्ष महोदय, जिस समय इस विधेयक पर संशोधन आया था, उस वक्त भी मैंने इसके सम्बन्ध में विचार प्रकट किये थे और मैं आशा करता था कि वे पर्याप्त होंगे। विधेयक प्रारम्भ होने के अनन्तर उन क्लॉजेज़ को लेकर विशेषतः उन पर जब वाद-विवाद खड़ा हुआ, उनमें ऐसे मुद्दे उठाये गये हैं, उनका जवाब देना मेरे लिए इसलिये आवश्यक हो गया है कि एक-दो दफा मेरे नाम का उल्लेख हुआ है। एक माननीय सदस्य ने इस आधार पर इस विधेयक के क्लॉज़ का विरोध किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे से यह नहीं चाहेगा कि वह अस्वस्थ हो, बीमार हो, एवं मर जाय; अतः वह टीका लगायेगा और स्वयं ही ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि वह चेचक के रोग से पीड़ित न हो, इसलिये इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है या इस धारा की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इस संबन्ध में एक अन्य माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया था; जैसे खुदकुशी करना, सुसाइड करना कानूनी अपराध है, आदमी अपने आपको मारता है, वह कानूनी अपराध है; तो मैं बताता हूं कि दुर्भाग्य से हमारे देश में इतना अन्ध विश्वास, इतनी अशिक्षा है और प्राचीनता का मोह है कि यहां नई चीज़ को शीघ्र ही ग्रहण नहीं करते। अभी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

तो नहीं, बहुत पहले ५०, ६०, ७० वर्ष पहले इस प्रकार के और भी कानून बने थे। हर एक व्यक्ति सोचेगा कि क्या हमारे देश में कभी ऐसी प्रथा भी थी कि हम अपनी बच्चियों को स्वयं अपने ही हाथों से मार देते। इसके लिए अपने देश में कानून बना, अंग्रेजों के जमाने में सही। वह कानून बनाया था। इन्फेन्ट्स को उनके माता पिता ही मार देते थे। एक समय ऐसा भी था जब हमारी माता और बहिनें जिन्दा चिताओं में डाल दी जाती थीं, जब कि उनके पति इस लोक में नहीं रहते थे, जब उनका देहान्त हो जाता था वे जिन्दा चिताओं में डाली जाती थीं सती के नाम पर, अतः उसके लिए कानून बना और ऐसा सामाजिक कानून भी बना कि छोटे बच्चों का अल्पायु में विवाह न किया जाय। मैं समझता हूँ कि ऐसे कई लोग होंगे जो यह कह सकते हैं कि हर एक माता-पिता यह जानते हैं, कि छोटी उम्र में बच्चे की शादी हो जायेगी तो उसका विकास रुक जायेगा, तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं होगी और कौन ऐसा माता-पिता होगा, जो अपने बच्चे के लिये ऐसा चाहेगा, लेकिन उस कानून के बन जाने पर भी इसकी अवहेलना हो रही है। इस प्रकार के सामाजिक कानून भी इसलिये बनाने पड़े कि हम यह नहीं कह सकते कि देश में समान रूप से जागृति हुई है। अलवर के एक माननीय सदस्य ने अपने पारिवारिक जीवन का उदाहरण दिया था। मेरी उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है कि परमात्मा ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बी. सी. जी. के टीके से एक मृत्यु हुई, वैक्सीनेशन से भी एक मृत्यु हो गई; टीके से मृत्यु हो गई तो उसको ऐसा रूप दिया जाय कि तत्सम्बन्धी कानून ही नहीं बनाये जायें, जैसा हमने किसी कालेज में लोजिक में पढ़ा था कि दो तीन बातों को देखकर उनको समान रूप देना फालतू जनरलाइजेशन होता है, वे इस प्रकार के नियम बनाने में बाधक नहीं हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि यह कानून कठोर है, परन्तु जैसा मैं समझता हूं, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया था कि यह कानून पहले से ही फोर्स में है। १८८० में अगर वह कानून बना है और यदि आज तक कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि किन्हीं माता-पिता को ऐसी सजा दी गई हो, तो उससे अब भयभीत होने का कारण नहीं, और यदि ऐसा कानून है भी तो यहां और पार्लियामेन्ट में उसका संशोधन कर देना चाहिए। इस विधेयक में खतरा यह बताया जाता है कि इसमें १००० रु० का जुर्माना या ६ महीने की सजा रखी है। लेकिन यदि देखा जावे तो मूल रूप में यह सजा रखी हुई है, हम तो यहां उसको केवल एडोप्ट कर रहे हैं, अतः इस पर कोई एतराज होना नहीं चाहिये। राजस्थान की सारी रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान प्रदेश बना है जिसकी सरी पुरानी रियासतों के कानूनों का एकीकरण करके यह कानून यहां ला रहे हैं। आज तक, जब से कि १८८० में यह कानून बना था, कोई एतराज नहीं हुआ। करीब ८० वर्ष होने को आये हैं, इतने दिनों में इस पर अमल होता रहा और उसका कोई उलटा असर भी नहीं हुआ। गांवों की अशिक्षित जनता को कभी भी इस प्रकार दंडित नहीं होना पड़ा तो आज भी इसका भय नहीं होना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि कोई कठोर कानून बने, लेकिन कानून जो आज तक चला आ रहा है और उसमें आज तक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है तो इसमें आज भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात

Page No.91

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

मन्त्रीजी स्पष्ट करेंगे कि क्या १८८० के कानून में भी इस प्रकार के दंड की व्यवस्था है ? यदि है, और आज तक किसी को भी दंड नहीं मिला है, तो आज क्या डर है ? यदि वे यही चाहते हैं कि इसमें संशोधन करना आवश्क है तो दूसरी तरह से किया जाय।

इसमें जो क्लॉज है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक दम ही सजा दी जायगी। पहले मामला मजिस्ट्रेट के सामने लाया जायगा, उनको पूछा जायेगा, फिर एक छोटी सजा दी जायगी। उसका अगर उलंघन किया गया, तो दूसरी दी जायगी। मैं कानून का पंडित नहीं हूं, लेकिन "तक" का मतलब यह नहीं है कि आखिरी सजा उतनी एक साथ ही दे दी जायगी। हम अब तक भी चाहे कहने को कहते हैं कि अपने बच्चों को क्यों नहीं स्वस्थ रखेंगे लेकिन आज भी बच्चे स्वस्थ नहीं रहते हैं, लेकिन कानून से भय लगाया जाता है कि यदि माता के टीके नहीं लगते हैं तो सजा मिलेगी तो लोगों को डर रहता है।

प्रसव अवस्था में टीके लगाने के लिये एक माननीय सदस्य ने कहा था लेकिन इस बारे में कोई डाक्टर ही कह सकता है। इसके लिये अवस्था निर्धारित है ; जैसे १ वर्ष की अवस्था में लगाना चाहिये, फिर ५ वर्ष की अवस्था में और फिर ११ वर्षकी अवस्था में लगाना चाहिये, आदि अवस्था निर्धारित है। लेकिन मैं समझता हूँ, ५ दिन के बच्चे के या १ दिन के बच्चे के टीके लगाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वह समय माता को आराम पहुँचाने का है............

श्री जगदीशप्रसाद : मैंने जो बात कही वह इसलिए कही कि कई जगह प्रसव काल में लगा देते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : डॉक्टर यदि इसके लिये सलाह दे तो मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय ले ली जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं करके इसको स्वीकार किया जाय।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : अभी टीका लगाने के विषय में वाद-विवाद चल रहा है, जिसमें प्रश्न यह है कि क्या इस सजा को कठोर रखा जाय या नर्म रखा जाय। तो इसके साथ ही मैं तो अपने विचार कई मर्तबा सदन के सामने प्रकट कर चुका हूं कि हमको भला बनाने के नाम पर यह ख्याल रखना है कि चाहे कोई कानून पास करें लेकिन आज के स्वतंत्रता के युग में प्रत्येक नागरिक को ज्यादा से ज्यादा कितनी सुविधा दे सकते हैं ? जो भी सजा कायम की जाती है वह मुलजिम की नीयत पर होती है। मेरे पूर्व वक्ताओं के विचारों और भाषणों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बच्चों की हलचल की ओर हर माता-पिता को देखना चाहिये और हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि यदि टीके नहीं लगाने में माता-पिता असफल रहते हैं तो या तो वे इसके महत्व को नहीं समझते या उनको अवकाश नहीं है या उनके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि अब तक सरकार की तरफ से समान सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी है। यह अविश्वास इस परिपाटी को अपना सकता है। तो जहां तक सहूलियत और नागरिक सुविधा का प्रश्न हमारे सामने आता है, तो पूर्व वक्ता जो अभी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हमारे यहां के मन्त्रीजी ने यह बताया है कि इसके लिये दंड पहले ही से निर्धारित था

Page No.92

(श्री शिवचरणदास)

लेकिन इसका उपयोग कभी नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि जिस चीज का उपयोग नहीं कर सके तो ऐसा गैर जरूरी बिल लाकर या कानून बनाकर सदन की शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो यह शोभा नहीं है। हमें लोगों को प्रोत्साहन देना है, लोगों को सुविधा देनी है, असली माने में जो चीज चल सकती है उसको पास करें। यदि हम इसे यहां पास करते हैं और दंड की व्यवस्था करते हैं और मेजिस्ट्रेटी में ऐसे केस ले जाये जायेंगे और वहां हर माता को दंड देते हैं तो बहुत बड़ी कठिनाई पेश होगी। मैं सदन के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। मेरे गांव से मजिस्ट्रेट २६ मील दूर है। वहां तक कोई आदमी मोटर सर्विस में जाता है तो उसको ढाई रुपये किराये के देने पड़ते हैं। फर्ज कीजिये किसी माता की बदनीयत से नहीं, बल्कि बच्चे के अस्वस्थ होने से या उसमें अशिक्षा के कारण वह बच्चे के टीका नहीं लगवा सकी और अब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेशी पर जाना पड़ता है तो वह ढाई रुपये लगाकर वहां जायगी और ढाई रुपये लगाकर ही वापिस आयगी, तो उसको ५ रु० साधारण तौर से खर्च करने पड़ेंगे और यदि दुर्भाग्य से मजिस्ट्रेट साहब वहां नहीं मिले और ३–४ बार उसको पेशी पर इधर उधर आना-जाना पड़ा तो एक छोटी सी भूल की वजह से बहुत सख्त आफत उस पर थोप दी जायगी। तो जहां तक इसके प्रावधानों का प्रश्न है और यदि वाकई इसे ध्यान से करते हैं कि नागरिकों और बच्चों के हित की चीज है और किसी प्रकार माता पाबन्दी में रहे, प्रतिज्ञा में रहे ताकि काम हो जावे तो उसके लिये इतनी कठोर सजा रखना जरूरी नहीं है। हमारे यहां पंचायतें कायम हुई हैं। हमने पंचायतें इसलिये कायम की हैं कि प्रत्येक नागरिक को न्याय आसानी से मिल सके और लोगों को सुविधा मिल सके और जिस गांव में पंचायत मुकर्रर की है उसका वहां पर विशेष महत्व यह है कि वहां पर कोई भी जुर्म किया गया है, वास्तविक रूप में जुर्म किया है तो बनिस्पत मेजिस्ट्रेट के वहां के रहने वाले ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मामला किस तरह का है। जैसे, किसी ने असावधानी से या और किसी वजह से टीके नहीं लगाये और यदि पंचायत को यह मामला सुपुर्द कर देते हैं, पंचायतों को ऐसे मामले देना उस सिद्धान्त को भी पूरा करता है जिस सिद्धान्त पर पंचायतें कायम की की गई हैं, तो पंचायतवाले समझ सकते हैं कि आया उसने असावधानी से टीका नहीं लगाया या बदनीयती से नहीं लगाया, एक दूरी पर बैठा हुआ मेजिस्ट्रेट इस बात को नहीं समझ सकता। इसलिये यदि हम इस भावना को सामने रखकर यह प्रोविजन करते हैं तो इस मामले को पंचायतों के सुपुर्द करना चाहिये और एक प्रतिबन्ध के रूप में जो कानून बनाने जा रहे हैं उसमें होगा।

श्री जगदीशप्रसाद (सीकर) : जहां तक सजा का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में संशोधन आया था कि सजा का अधिकार मजिस्ट्रेट को दीजिये। लेकिन केवल यह सजा देनी है इसका प्रयोजन रिफॉर्म का रहना चाहिये। इसके लिये मैं संशोधन देना चाहता था कि ६ महीने की सजा को कम

(श्री जगदीशप्रसाद)

कम किया जाय लेकिन मैं लिखित रूप में संशोधन नहीं दे सका इसलिये मूल सेक्शन पर विचार करना है। इसके लिये मंत्रीजी से निवेदन है कि इसमें जो रिफॉर्मेशन का जो व्यू है उसको भी अपने सामने रखें। तो वे कम से कम यह सोच सकते हैं कि सजा यदि कम की जाय तो कोई बुरी बात नहीं है। यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो रहा है, एक छोटा सा अपराध है। इस पर मानवीय दृष्टिकोण रहना चाहिये।

एक सदस्य ने कहा था कि आत्मघात करने पर भी सजा दी जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि आत्मघात अपने साथ किया जाता है। अपने बच्चों के साथ कोई बात करते हैं तो यह आत्मघात का अपराध नहीं है। टीके नहीं लगाने के अपराध को आत्मघात के ऊपर लाना उचित नहीं है। अत: जब कि सजा देने का प्रश्न है, आज सब लोग निर्णय कर सकते हैं, कि कितनी सजा हो। हमारे सामने यह दृष्टिकोण; कि सजा देनी ही है, नहीं हो, यह व्यू हम नहीं रखें। जहां तक रिफॉर्मेशन का सवाल है, हम जुर्माने की सजा देते हैं, यह जुर्माने की सजा २५ रु०, ३० रु० रख दीजिये, जो इस प्रकार का अपराध करते हैं, उनके लिए यह जुर्माना रख दीजिये, यह जुर्माना न देने की हालत में जेल की सजा होगी, यह फिर भी माना जा सकता है। आपने रखा है कि ५०० रुपये का जुर्माना होगा और ६ महीने की सजा होगी, या दोनों, यह मजिस्ट्रेट के ऊपर रहेगा। मैं आपको बताऊं कि बहुत से मजिस्ट्रेट्स को सजा देने में आनन्द आता है, ऐसे मजिस्ट्रेट्स यहां हैं। अगर उनके सामने ऐसा केस आ गया, तो उनकी दृष्टि में रिफॉर्मेशन का प्रश्न न होकर सजा देने का दृष्टिकोण रहेगा। अगर इस क्लॉज़ के अनुसार मंत्रीजी के सामने सजा देने का ही सवाल है, तो सजा भी दीजिये लेकिन जुर्माने के साथ ही जो सजा देने का प्रोविजन है, उसे कम से कम ड्रॉप कर दीजिये। इसके साथ ही जुर्माने को भी सीमित कर रखा जाय। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को इसके अन्दर रखा जाय।

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चेचक के सिलसिले में सदन के सामने जो बिल रखा गया है, उसके बारे में मैं इस सदन का सदस्य होने के नाते विचार प्रगट नहीं कर रहा हूँ बल्कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सदस्य होने के नाते अपने विचार प्रगट करना चाहता हूँ। यह जो बिल रखा गया है, वास्तव में ठीक है, सरकार के लिये ठीक है। सरकार के सामने मुसीबत आई। जो गरीब हैं, वे ही अधिकतर टीके नहीं लगवाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे खराब बात है वह यह है कि जो लोग पढ़े-लिखे हैं, शिक्षित हैं, वे तो कानून के द्वारा अपने को कानून के फंदे से निकाल लायेंगे लेकिन जो गरीब लोग हैं, कानून को नहीं जानते हैं, वे अपराधी होंगे और उनको अपराध का दंड मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कानून जिला मजिस्ट्रेट के बजाय पंचायत को सुपुर्द किया जाय। इसमें जो सजा रखी गई है कि १००० रु० तक जुर्माना हो सकता है तथा ६ महीने की सजा दी जा सकती है, उसमें संशोधन किया जाय। अगर संशोधन नहीं किया जाता है तो वास्तव में जो गरीब मनुष्य हैं, चाहे कोई भी हो, किसान हो, आदिवासी हो, उसके लिए यह बहुत नुकसान कारक होगा, गरीब आदमियों का समय और पैसा पेशियों

(श्री बालमुकुन्द)

में बरबाद होगा और उसकी नासमझी के कारण उस पर जुर्माना भी हो जायगा, उसको सजा भी हो सकती है। इसलिए मैं इस कानून का विरोध करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून जिला मजिस्ट्रेट के आधीन है वह पंचायत के सुपुर्द किया जाय, और उसमें संशोधन किया जाय। इस छोटी सी चीज के ऊपर इतनी बड़ी सजा रखी गई है। क्या इस सदन के सदस्य इस चीज को मंजूर करते हैं ? अगर स्वीकृत कर लिया जाता है तो जो मेम्बर "हां" पक्ष के हैं, वे उसका पक्ष करते हैं और जो विरोधी हैं वे जानते हैं कि उनके विरोध को कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए वे विरोध करते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है, अध्यक्ष महोदय, इस पर ध्यान दें। जो गरीब हैं, उनके लिए यह मुसीबत है। इस सदन में जो गरीबों की ओर से ४८ सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे पूछ लीजिए, चाहे वे कांग्रेसी हों, चाहे विरोधी हों, वे सब एक दिल से कहेंगे कि यह चीज गलत है, उन गरीबों के लिए गलत है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और जोरदार विरोध करता हूं और आपको लागू होने के छः महीने के अन्दर बताऊंगा कि गरीबों के लिए वास्तव में यह चीज हानिकारक सिद्ध होगी।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष, यह जो विधेयक है इसके सम्बन्ध में मैं भी थोड़े से अपने विचार आपके सामने रखना चाहती हूं। इसके २० वें क्लॉज में जो सजा रखी गई है, उसमें सोचने का विषय है कि वह किसानों और गांवों में रहने वालों के लिये बहुत हानिकर होगी। गांव वाले जो नगरों से करीब ३०, ४० मील दूर रहते हैं वे इस क्लॉज के विषय में कैसे जानेंगे, किस तरह वे इस चीज को ध्यान में रखेंगे ? सोचने का विषय यह है कि आज गांव के किसान इसे नहीं समझ सकते। इसमें सजा १ हजार रुपये की रखी गई है, जब कि सजा एक पैसे की भी बहुत महसूस होती है। साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि २० वें क्लॉज में जो रखा जा रहा है कि १ हजार तक की सजा तथा ६ महीने की सजा हो सकती है वह बहुत ज्यादा है। ऐसी बहिनें हो सकती हैं जो विधवा होती हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे रह जाते हैं, वे भी इस कानून की पाबन्दी में आ जाती हैं। आप सोचिये कि वे विधवायें कैसे नगर में आयेंगी और मजिस्ट्रेट के पास पेश होंगी ? इसके साथ ही साथ मैं बताऊं कि मजिस्ट्रेट कभी मिलता है, कभी दौरे पर होता है, वह बार बार आयेंगी तो क्या सोचेंगी कि क्या यही राम–राज्य है। सोचने का विषय है कि जो खण्ड लागू किया जा रहा है, वह बहुत सख्त है, इस पर विचार करें। मैं समझती हूँ कि इस खण्ड को लागू न करके इसमें संशोधन किया जाय। यह जुर्माना जो है वह बहुत असहनीय है, इस जुर्माने को आप कम कीजिये। यह एक किसान के लिये, एक गरीब के लिये, जो चाहे गांव का रहने वाला है या शहर का रहने वाला है, उसके लिए असहनीय है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं और मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहती हूं कि यह जुर्माना जो लगाया जा रहा है, इसमें कमी की जाय जिससे कि गाँव की जनता यह अनुभव कर सके कि यह राज्य उनके फायदे के लिये है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह (१४): समय होगया है।

श्री अध्यक्ष : आखिरी भाषण आपका ही है।

श्री भैरोंसिंह : कुछ समय और दिया जाय, शायद मन्त्री महोदय सजा कम करने के मूड में आ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या बहस आज ही खत्म की जाय ?

श्री भैरोंसिंह : अभी तो थर्ड रीडिंग बाकी है, इसमें समय लगेगा और अभी बोलने वाले भी काफी हैं।

श्री तनसिंह : आज नहीं हो सकता। ११ बजे से लेकर ५ बजे तक बैठे हैं, आप कह दीजिये तो बिस्तर भी ले आयें।

एक माननीय सदस्य : यह बात ठीक है कि जुर्माना ज्यादा है तो बहस भी ज्यादा हो।

श्री अध्यक्ष : तो क्या बाकी की बहस अगले दिन पर रखें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस क्लॉज के बाद जो क्लॉज है उसमें कुछ आपत्ति नहीं होगी। सजा की बात ही कही जा रही है। उसको लेकर बहस लम्बी हो रही है। साथ ही समय भी खराब हो रहा है। अब तक यह कानून लागू था, कितने लोगों पर जुर्माना हुआ या कितनों को सजा हुई ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यदि यह कानून बेकार है तो लागू ही क्यों किया जा रहा है ?

श्री मूलचन्द : तीन तारीख के लिये छुट्टी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : जैसी सदन की इच्छा हो। (हंसी)

एक माननीय सदस्य : चार–पांच की भी छुट्टी हो जानी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : जैसी इच्छा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सोमवार के प्रातः ११ बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं ५ बजे, दिनांक ६ मई १६५७ के ११ बजे तक के लिये, स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार १ मई, १९५७)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	७२३

जयपुर से रिंगस तक बिजली की लाइन।

सरपंच राजपुरा पंचायत के प्रति अविश्वास प्रस्ताव।

गत वर्ष वन विकास हेतु निर्धारित धनराशि।

चाकसू–कोट खावड़ा व बसी से तुन्गा तक की सड़क।

ओ-माइनर से करनपुर तक डलवाई गई मिट्टी पर व्यय।

गत वर्ष में नीवी जागीर में जंगल का ठेका।

चक ३६ आर. बी. का डी. बी. प्राथमिक पाठशाला।

वन–बन्दोवस्त के लिपिकों का सी सी. एफ. कार्य में कार्य करना।

तहसील आमेर व जयपुर में स्थिति विभिन्न पंचायतें।

गत वर्ष झालावाड़ के दो कूपों की दयाभाव पर नीलामी।

चीफ कन्ज़र्वेटर के कार्यालय में सरकारी कारें।

जयपुर नगर में गन्दगी संबंधी स्थगन प्रस्ताव	७५१

श्री भैरोंसिंह के जयपुर नगर में गन्दगी सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई।

	स्कम्भ
राजस्थान लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन (१९५४-५५) की प्रस्तुति	७५२

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने उपरोक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

जन-लेखा एवं प्राक्कलन समितियों (१९५७-५८) हेतु निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव	७५३

उपरोक्त दोनों प्रस्ताव श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने प्रस्तुत किये एवं सदन द्वारा स्वीकृत हुए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुए वाद-विवादों के उत्तर	७५४

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) एवं मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने) ने उत्तर दिये एवं धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय का निर्वाचन	८०१

विधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय के निर्वाचन के सम्बन्ध में जिन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई थीं उनमें से श्री किशनलाल शर्मा ने श्री निरंजननाथ आचार्य को विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्री गुलाबसिंह

Page No.97

स्कम्भ

द्वारा किया गया। इसी आशय का एक और प्रस्ताव श्री भीमसेन द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन श्री धर्मपाल पंवार ने किया। शेष दो प्रस्ताव श्री नाथीसिंह (वि. सं. ११४) तथा श्रीतनसिंह के सम्बन्ध में क्रमशः श्री लच्छूराम व श्री रघुवीरसिंह द्वारा प्रस्तावित एवं श्री मोहरसिंह व श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा समर्थित किए गए।

श्री किशनलाल शर्मा के प्रस्ताव को सदन में मतदान के हेतु लेने से पूर्व विपक्षी दल के कतिपय सदस्यों ने सदन के प्रांगण से गमन (Walk out) किया। तदुपरान्त श्री शर्मा का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किया जाकर श्री निरंजन नाथ आचार्य विधान सभा के उपाध्यक्ष घोषित किए गये।

विधायी कार्य

(१) राजस्थान नौका नयन नियमन (संशोधन) विधेयक, १९५७ ८२७

श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मन्त्री, ने राजस्थन नौका नयन नियमन (संशोधन) विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५७ ८२८

स्कम्भ

श्री रामकिशोर व्यास, विधि मन्त्री, ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५७ ८२९

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मन्त्री, द्वारा राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव किये जाने पर श्री भैरोंसिंह (वि. सं. १४) ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता द्वारा उत्तर दिए जाने पर संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया एवं विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त खण्डशः विचार किया गया। खण्ड २ में श्री तनसिंह का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके पश्चात् खण्ड १ आदि स्वीकृत हुए और विधेयक सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित किया गया।

४. राजस्थान चेचक टीका विधेयक, १९५७ ८५३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य शासन मंत्री, ने राजस्थान चेचक टीका विधेयक, १९५७ को विचा-

Page No.98

रार्थ लिए जाने का प्रस्ताव किया। इस पर श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस संबंध में प्रस्तावक के अतिरिक्त निम्नांकित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये :—

१. श्री दयाकृष्ण।
२. श्री पुरुषोत्तमलाल।
३. श्री भैरोंसिंह।
४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।
५. श्री सतीशचन्द्र।
६. श्री शिवचरणदास।
७. श्री भैरोंसिंह (१४)।

स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा इस पर की गई बहस का उत्तर दिये जाने के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्ड २ से खण्ड १६ विधेयक के अंगभूत स्वीकार किये गये जिनमें से खण्ड १३ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

सोमवार, ६ मई, १९५७ की

कार्य-सूची

विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण १९५७-५८ का उपस्थापन

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या २६ का उत्तर देखिये)

Statement showing the steps taken for the development of forest

शिक्षा

३ शिक्षार्थी सुपीरियर फोरेस्ट सर्विस कोर्स और २ शिक्षार्थी रेन्जर्स कोर्स की ट्रेनिंग के लिए देहरादून भेजे गये। २० वर्तमान फोरेस्टर और २६६ फोरेस्ट गार्डों ने फोरेस्ट स्कूलों में शिक्षा पाई। तीन अफसर और दो रेन्जर्स देहरादून से ट्रेनिंग करके वापस आये।

अजमेर के २ रेन्जर्स को soil conservation की ट्रेनिंग के लिए कोटा भेजा गया और ३ फोरेन्टरों को ट्रेनिंग के लिये शिवपुरी फोरेन्टर्स स्कूल में भेजा गया।

वन सीमांकन और बन्दोबस्त

वन-बन्दोबस्त का कार्य १८७८ वर्ग मील भाग में समाप्त किया गया। २००० मील लम्बी सीमा-रेखा कटवाई व साफ कराई गई। २०००० पत्थर के मीनारे खरीदे गये जिनमें से ६८०० मीनारे मौके पर लगा दिये गये।

वन गवेषणा

२२ स्टेटिस्टिकल सेम्पल प्लॉट्स (Statistical Sample plots) बनाये गये। ६००० से अधिक वृक्षों की इण्टेरिम वोल्यूम टेबिल (Intereim volume tables) बनाने के लिए नापा गया। कई पौधशालाओं में विभिन्न पेड़ों के कृत्रिम पुनरुत्पादन (artificial regeneration) के अनुसन्धान के लिए १४ प्लॉट तैयार किये गये।

अन्न कृषि संस्था : F. A. O : द्वारा आयोजित टिम्बर ट्रेन्ड स्टडीज़ के लिये सामग्री एकत्रित की गई।

कर्म-करण योजना का निर्माण

चित्तौड़गढ़ और जोधपुर डिविजनों के वनों की कर्मकरण योजना बनाने के लिये फील्ड वर्क (Field work) जारी है। कुशलगढ़ राव सा० के वनों की एक कर्मकरण योजना तैयार की गई।

भूमि क्षय को रोकने के लिये वन उत्पादन

जल द्वारा भूमि क्षय को रोकने के लिये ५२५ एकड़ भूमि पर ४०० एकड़ के लक्ष्य के विरुद्ध और वायु द्वारा भूमि क्षय को रोकने के लिये ५५० एकड़ भूमि पर (३०० एकड़ के लक्ष के विरुद्ध) वन लगाये गये। १६५७-५८ में वन लगाने के लिये जल द्वारा भूमि क्षय को रोकने के लिये २००० एकड़ भूमि पर और वायु द्वारा भूमि क्षय को रोकने के लिये १७०० एकड़ भूमि पर एडवान्स सोइल वर्किंग (Advance soil working) पूरा किया गया। ८ पुरानी पौधशालाओं का संधारण व ४ नई पौधशालाएँ बनाने की कार्यवाही की गई।

भवन तथा पथ निर्माण

पथ

चित्तौड़गढ़ डिवीजन में गांधीसागर को खातीपुरा से जोड़ने के लिये लगभग १० मील लम्बी एकलिंगपुरा घाटा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।

अजमेर में ६ मील लम्बी वर्तमान सड़कों को सुऋतु (Fair weather) में मोटर योग्य बनाया गया।

भवन

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ४ भवन बनाये गये।

वाणिज्य वन रोपण

वाणिज्य प्रमुख : Commercially important : पेड़ों का १६४५ एकड़ भूमि

पर १८३० एकड़ के लक्ष्य के विरुद्ध प्लान्टेशन किया गया और २७ पुरानी पौधशालाओं का संधारण किया गया। सन् १६५७ में प्लान्टेशन के लिये १००० एकड़ भूमि पर एडवान्स स्वाईल वर्किंग (Advance Soil working) किया गया, एक नई पौधशाला के लिये भूमि की सफाई की गई।

औद्योगिक वन रोपण

२०० एकड़ से अधिक भूमि पर खस लगाया गया। हनुमानगढ़ में भाखड़ा की नहरों के क्षेत्र में, शहतूत का सिंचित वन (Irrigaten Plantation) लगाने के लिये ५ एकड़ की पौधशाला बनाई गई। जयपुर ग्रास फार्म पौधशाला की ५ एकड़ भूमि में शहूतत का सिंचित वन (Irrigated Plantation) लगाया गया।

क्षतिग्रस्त जागीर वनों का पुनः संस्थापन :

क्षतिग्रस्त (depleted) जागीर वनों में २५० एकड़ में वन लगाया गया तथा वनों में १००० एकड़ अपकृष्ट (degraded) वनों को सुधारने की कार्यवाही की गई। १६५७-५८ में प्लान्टेशन के लिये ४५० एकड़ भूमि पर(Advance soil work-ing) किया गया।

क्षतिग्रस्त वर्तमान वनों का पुनः संस्थापन

४००० एकड़ अपकृष्ट (degraded) सागवन और बांस के वनों में सुधार की कार्यवाही (cultural operations) की गई। सन् १६५७ में प्लान्टेशन के लिए२५०एकड़ क्षतिग्रस्त (depleted) वनों में (Advance soil working) किया गया।

अजमेर में क्षतिग्रस्त (degraded) २०० एकड़ वनों की सन् १६५७ में प्लान्टेशन के लिये (Advance soil working) किया गया।

सन् १६५५-५६ में घोषित किये गये ८ (आठ) पशु पक्षी आश्रमों को पत्थर की मीनारें लगा कर सीमांकित किया गया, साइन बोर्ड लगाये गये और वर्तमान ओदियों (odhis) व सड़कों की मरम्मत कराई गई। राज्य के वाइल्ड लाइफ बोर्ड की दो बैठकें हुईं। राजस्थान वन अधिनियम,१६५३ के अन्तर्गत शिकार की नियमावली (Shooting Rules) तैयार करके अन्तिम स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजी गई। जयसमन्द आश्रम में बाड़ लगाने के लिए कांटेदार तार खरीदा गया। घना (भरतपुर) बर्ड सेन्क्चुअरी को नेस्टिंग सीजन में देखने के लिये बड़ी संख्या में दर्शक आये। घना में दर्शकों के ठहरने की सुविधा के लिये महाराजा साहब भरतपुर द्वारा प्रदत्त शांति-कुटीर भवन की मरम्मत कराई गई जिससे यह भवन बाहर से आने वालों के लिए विश्राम गृह (Rest House) बन सके।

भूसंरक्षण

खेतों के आसपास की (marginal) क्षतिग्रस्तभूमि पर वन उत्पादन

खेतों के आसपास की ५७५ एकड़ क्षतिग्रस्त भूमि पर वन (प्लान्टेशन) लगाये गये, सन् १६५७ में ऐसी १७२५ एकड़ भूमि पर प्लान्टेशन लगाने के लिये (Advance soil working) किया गया। ६ पुरानी पौधशालाओं का संधारण किया गया और २ नई पौधशालाएं बनाने की कार्यवाही की गई।

अजमेर सन् १६५७ में २०० एकड़ पहाड़ी क्षेत्र में वन रोपण (प्लान्टेशन) के लिये (Advance soil working) किया गया। सड़कों के किनारे सन् १६५७ में वृक्षावलि लगाने के लिये ५ मील लम्बी सड़क पर के किनारों पर (Advance soil working) किया गया।

अचकुंड पोधशाला का विस्तार किया गया।

Name of the Scheme.	Budget estimates for 1956-57.	Sanactioned revised grant for 7 months i. e. 1-4-56 to 31-10-56 excludiug Ajmer.	Sanactioned revised grant for 5 months from 1-11-56 to 31-3-57 including Ajmer.	Total revised grant for 1956-57.	Actual expenditutre upto March 1957 includ-ing Ajmer excluding March sup-plementary etc.
1	2	3	4	5	6
1. Education.	1,58,460	63,160	95,300	1,58,460	1,39,315
2. Demarcation & Settlement.	4,21,290	2,13,790	1,30,900	2.94,690	3,28,770
3. Forest Research	37,980	14,580	20,150	34,730	32,308
4. Preparation of working plan & cost of equipment & original survey by Survey of India.	1.35,200	18,200	22,550	40,750	38,257
5. Plantation & creation of village forests (a) In areas subject to water erosion (b) In areas subject to wind erosion.	3,29.960	63,560	2,66,400	3,29,960	3,64,816
6. Commercial plantations.	4,00,000	2,18,700	1,95,800	4,14,500	3,34,698
7. Industrial plantions.	20,000	3,000	7,700	10,700	10,326
8. Rehailitation of jagir forests.	71,870	10,870	48,100	58,970	50,537
9. Rehabilitation of existing forests.	56,430	5,830	50,000	55,830	33,707
10. Communication & Buildings.					
Roads.	13,200	—	12,200	12,200	4.375
Buildings	*35,000	—	—	*Transferred to P.W.D.	
11. National Park & Game Sanctuary.	36,860	260	36.300	36,860	25059

1	2	3	4	5	6
12. Soil Conservation. Afforestation in eroded marginal lands.	2,11,720	76,420	1,17,400	1,93,820	1,39,681
13. Regeneration of degraded forests in Ajmer	102,00	--	7,100	7,100	3,337.
14. Forest Nursery.	14.000	—	6,200	6,200	1,200
Total.	52,170.	6,88,370.	10,66,400.	17,54,770.	15,06,381.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १ मई, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७५३	१	लोक सेवा आयोग.	लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन
,,	१८	)	(विराम)
७६१	७	हरिजन जाकर	हरिजन जा जाकर
७७५	२६	O you for the	to you for the
८१६	१	उपाध्यक्षीय निर्वान	उपाध्यक्षीय निर्वाचन
८२४	५	they shoul agive	they should give
८२६	२६–२७	ऐसा करना आवश्यक है	ऐसा करना आवश्यक नहीं है
८२९	९	(विचारार्थ एवं पारित) १ ५७	१९५७ (विचारार्थ एवं पारित)
८३०	१६	be accompained by	be accompanied by
८३४	३१	रा स्थान पचायत एक्ट	राजस्थान पंचायत एक्ट
८३८	२१	तो इष प्रकार के कानून	तो इस प्रकार के कानून
८४६–५३	१	पंचायत विधेयक (संशोधन)	पंचायत (सशोधन) विधेयक
८६६	२६	उसका सर्थन करता हूँ	उसका समर्थन करता हूँ
,,	३४	आज वह माना नहीं है	आज वह जमाना नही है
८६७	२९	उसमें आज जिन्दगी और बीमारी पावेंगे	उसमें आप गन्दगी और बीमारी पावेंगे
८८४	२४	संशोधन स्वीका करके	संशोधन स्वीकार करके
,,	२७	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) स्वास्थ्य मंत्री :	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) :
९१३	१७	सी. सी. एफ. कार्य में कार्य	सी. सी. एफ. कार्यालय में कार्य
,,	२०	स्थिति विभिन्न पंचायत	स्थित विभिन्न पंचायतें
९१५	७	तथा श्रीतनसिंह के सम्बन्ध	तथा श्री तनसिंह के सम्बन्ध
,,	११	द्वारा समर्थित किये गये	द्वारा समर्पित किये गए
९१९	१५	फोरेन्टर्स स्कूल में भेजा गया	फोरेस्टर्स स्कूल में भेजा गया
९२०	१३	(Irrigatan plan tation)	(Irrigated plantation)
९२१	२	अजमेर सन् १९५७ में	अजमेर में सन् १९५७ में
९२१	३–४	(Advance soil working)	Advance soil working